9 3 rd

Annual Report 2014 - 15



स्वत एवं सुविक्षत खेकिंग, सखका अधिकाय...



Inauguration of Bank's Jagatpur (Gaulapar), Haldwani Branch



Inauguration of Bank's Tapovan (Rishikesh) Branch



Board of Directors निदेशक मंडल



Shri S.K. Gupta Chairman & CEO



Shri S.G. Rao



Shri Neeraj Sharda



Dr. V.P.S. Arora



Shri Mradul Kumar Agarwal



Shri Atul Kumar Aggarwala



Dr. (Mrs.) K.K. Sharma



Shri S. Gnanavel

Executives




Shri Naresh Bhardwaj **Chief Operating Officer**

Vice Presidents



Shri K.K. Arora



Shri Pramod Kumar



Shri D.K. Kandpal

Associate Vice Presidents



Shri S.N. Dubey



Shri S.C. Joshi



Shri Narendra Sharma



Shri B.S. Rachora



Shri Ravindra Saxena



Shri K.C. Tewari



Shri Deep Chandra



Shri G.C. Pant



Shri Raman Kumar Gupta Shri B.C. Chandola





Shri Sanjay Lal Sah



Shri R.C. Chaudhary



Shri Amar Singh



Shri M.C. Pant



Shri U. C. Ruwali



Performance Highlights 2014-15

- ➤ Total Business of the Bank increased from ₹ 7,120 crore as on 31st March, 2014 to ₹ 7,941 crore, registering a growth of 11.54%.
- ➤ Total Deposits increased to ₹ 5,344 crore against ₹ 4,650 crore last year, recording a growth of 14.94%.
- ➤ Gross Advances registered a growth of 5.14% over previous year to reach at ₹ 2,597 crore against ₹ 2,470 crore last year.
- Share of CASA to Total Deposits stood at 34.36%.
- C.D. Ratio stood at 48.59%.
- Bank's Net owned Funds increased to ₹ 494.68 crore as on March 31st, 2015 as against ₹ 445.28 crore last year.
- Cost of Deposits increased to 7.23 % as on March 31st, 2015 as against 7.00% last year.
- Yield on Advances stood at 12.18%.
- > Priority Sector Lending stood at 61.18% of Adjusted Net Bank Credit against RBI stipulation of minimum 40%.
- ➤ Operating Profit increased to ₹ 105.41 crore, up by 8.83% as against ₹ 96.86 crore last year.
- Net Profit increased to ₹ 67.18 crore as on March 31st, 2015 as against ₹ 65.42 crore last year.
- Capital Adequacy Ratio stood at 14.71% as per Basel-II and 14.86% as per Basel-III norms.
- Gross NPA to Gross Advances increased to 2.98% as on March 31st, 2015 as against 2.47% last year.
- Net NPA maintained at 0.00% (ZERO level).
- Net Interest Margin (NIM) stood at 3.20%.
- Return on Average Assets stood at 1.26%.
- > Business per Employee increased to ₹ 9.88 crore from ₹ 8.73 crore and Profit per Employee stood at ₹ 0.09 crore.
- Book Value per Share increased to ₹ 71.86 as on March 31st, 2015 as against ₹ 65.97 last year.
- Earning per Share (EPS) increased to ₹ 9.95 as on March 31st, 2015 as against ₹ 9.69 last year.
- All branches working on CBS platform with RTGS/NEFT and SMS Alert, Mobile Banking & Net Banking facilities.
- > Implementation of Financial Inclusion Plan in line with RBI/GOI Directives.



विषय-सूची CONTENTS

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 1 Report of the Board of Directors बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण 21 Basel III Pillar 3 Disclosures 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 49 Balance Sheet as on 31st March 2015 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का 50 Profit & Loss Account for the Year Ended लाभ और हानि खाता 31st March, 2015 तुलन–पत्र की अनुसूचियां 51 Schedules to Balance Sheet खातों पर टिप्पणियां 59 Notes on Accounts 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के 80 Statement of Cash Flow for the Year Ended नकदी प्रवाह का विवरण 31st March, 2015 लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 81 Auditors' Report

हमारी शाखायें 83 Our Branch Network



निदेशक मंडल की 93 वीं रिपोर्ट

प्रिय अंशधारको,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2014—15 के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ—हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरणी तथा व्यवसाय व परिचालन विवरणी के साथ बैंक की 93वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष है।

महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतकः

- बैंक का सकल व्यवसाय जो, 31 मार्च, 2014 को रू. 7120 करोड़ था, 11.54 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए रू. 7941 करोड़ रहा।
- बैंक की सकल जमा राशि, जो विगत वर्ष रु.4650 करोड़ थी, 14.94 प्रतिशत वृद्धि के साथ रू. 5344 करोड़ रही।
- बैंक के (सकल) अग्रिम, जो विगत वर्ष रू. 2470 करोड़ थे, 5.14 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए, इस वर्ष रू. 2597 करोड़ रहे।
- कुल जमा राशि में कम लागत वाली जमा राशि (CASA) का अंश
 34.36 प्रतिशत रहा।
- 🕨 ऋण जमा अनुपात इस वर्ष ४८.५९ प्रतिशत रहा।
- बैंक की शुद्ध निजी निधि जो विगत वर्ष रु. 445.28 करोड़ थी, 31 मार्च, 2015 को रु.494.68 करोड़ रही।
- जमा लागत विगत वर्ष के 7.00 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 7.23
 प्रतिशत रही।
- अग्रिमों से आय 12.18 प्रतिशत रही।
- समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 61.18 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया गया जबिक इसके लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक 40 प्रतिशत है।
- परिचालन लाभ, जो विगत वर्ष रु.96.86 करोड़ था 8.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए रु.105.41 करोड़ रहा।
- शुद्ध लाभ, जो विगत वर्ष रू. 65.42 करोड़ था बढ़कर 31 मार्च, 2015 को रु.67.18 करोड़ रहा।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल—II मानकों के अनुसार 14.71 प्रतिशत तथा बेसल III मानकों के अनुसार 14.86 प्रतिशत रहा।
- सकल अग्रिमों में सकल गै.नि.आ. (एन.पी.ए.) जो विगत वर्ष 2.47 प्रतिशत थी, 31 मार्च, 2015 को 2.98 प्रतिशत रहीं।
- 🕨 शुद्ध गै.नि.आ.(एन.पी.ए.) का प्रतिशत ०.०० (शून्य) बना रहा।
- 🕨 शुद्ध ब्याज अन्तर (एनआईएम) ३.२० प्रतिशत रहा ।
- 🕨 औसत आस्तियों से प्राप्ति 1.26 प्रतिशत रही।

93rd REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dear Members,

The Directors of your Bank feel immense pleasure in presenting the 93rd Annual Report of the Bank along with statement of the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash-Flow Statement and the Report on Business and Operations for the Financial Year 2014-15.

KEY PERFORMANCE INDICATORS:

- ➤ Total Business of the Bank increased from ₹ 7,120 crore as on 31st March, 2014 to ₹ 7,941 crore, registering a growth of 11.54%.
- ➤ Total Deposits increased to ₹ 5,344 crore against ₹ 4,650 crore last year, recording a growth of 14.94%.
- Gross Advances registered a growth of 5.14% over previous year to reach at ₹ 2,597 crore against ₹ 2,470 crore last year.
- > Share of CASA to Total Deposits stood at 34.36%.
- C.D. Ratio stood at 48.59%.
- Bank's Net owned Funds increased to ₹ 494.68 crore as on March 31st, 2015 as against ₹ 445.28 crore last year.
- Cost of Deposits increased to 7.23 % as on March 31st, 2015 as against 7.00% last year.
- Yield on Advances stood at 12.18%.
- Priority Sector Lending stood at 61.18% of Adjusted Net Bank Credit against RBI stipulation of minimum 40%.
- Deperating Profit increased to ₹ 105.41 crore, up by 8.83% as against ₹ 96.86 crore last year.
- Net Profit increased to ₹ 67.18 crore as on March 31st, 2015 as against ₹ 65.42 crore last year.
- Capital Adequacy Ratio stood at 14.71% as per Basel-II and 14.86% as per Basel-III norms.
- ➤ Gross NPA to Gross Advances increased to 2.98% as on March 31st, 2015 as against 2.47% last year.
- Net NPA maintained at 0.00% (ZERO level).
- Net Interest Margin (NIM) stood at 3.20%.
- > Return on Average Assets stood at 1.26%.



- प्रति कर्मचारी व्यवसाय रु. 8.73 करोड़ से बढ़कर रु. 9.88 करोड़ रहा और प्रति कर्मचारी लाभ रु.0.09 करोड़ रहा।
- प्रति शेयर बही मूल्य जो विगत वर्ष रु.65.97 था, 31 मार्च, 2015 को बढ़कर रु.71.86 रहा।
- प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.), जो विगत वर्ष रु.9.69 थी, 31 मार्च, 2015 को बढ़कर रू. 9.95 हो गई।
- बैंक की सभी शाखाएं आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी, एस.एम.एस. एलर्ट, मोबाइल बैंकिंग और नैट बैंकिंग सुविधाओं के साथ सी.बी.एस. पटल पर कार्य कर रही हैं।
- भा.रि.बैं./भारत सरकार के अनुदेशों की तर्ज पर वित्तीय समावेशन (फाइनेन्सियल इन्वलूजन) योजना का कार्यान्वयन किया गया।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

2013-14 में विश्व की अधिकांश विकसित और तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में जैसी उम्मीद थी, वैसी वृद्धि नहीं हुई। विगत वर्ष के दौरान विश्व के केन्द्रीय बैंकों ने बाजार और विस्तृत अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए निर्णायक कदम उठाये। यूरोप में, यूरोपियन केन्द्रीय बैंक (ई.सी.बी.) द्वारा दीर्घकालिक पुनर्वित्तीयन कार्यक्रम चलाये जाने के कारण, जिसने यह स्निश्चित करने में सहायता की कि उनकी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता है, के कारण बैंकिंग क्षेत्र में आंशिक सुधार आया। अमेरिका में परिदृश्य पहले की अपेक्षा उत्साहवर्धक परन्तु मिश्रित रहा। यद्यपि उद्योगों और ग्राहकों ने पुनः उधार लेना आरम्भ कर दिया किन्तु ऋणों में वृद्धि की दर मध्यम रही। वैश्विक आर्थिक परिवेश स्पष्टतः मजबूत हुआ तथा उम्मीद है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं आर्थिक समृद्धि के चलते इसमें और भी सुधार आयेगा। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक अस्थिरता रही और ऋणों की लागत में वृद्धि हुई जिससे निवेश हतोत्साहित हुआ और विकास वृद्धि पर दबाव बना रहा। 4 वर्ष की निरंतर आर्थिक मंदी के बाद, वर्ष 2014 की दूसरी छमाही में वैश्विक आर्थिक क्रियाकलाप मजबूत हुए इसके बावजूद आई.एम.एफ. ने 2015 और 2016 में वृद्धि के पूर्वानुमान में संशोधन करके इसे कम कर दिया है। यूरो क्षेत्र में अपस्फीति सम्बन्धी दबाव, ग्रीस में राजनीतिक तनाव और बेरोजगारी के अभी भी बढ़े हुए स्तर के माहौल में आर्थिक स्थितियां और खराब हुईं। 2015–16 में वैश्विक वृद्धि का सुधार की ओर झुकाव परिलक्षित होता है। जापान में विगत वर्ष में बढ़ाये गये उपभोग कर के प्रभाव से उबरने के बाद मांग में सुधार अभी शुरु ही हुआ है और येन के मूल्यह्मस से निर्यात में सहायता मिल रही है। चीन में सम्पत्ति बाजार के कमजोर पड़ने और विविध उद्योगों में उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता ने अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर तेल निर्यात आदि को, अत्यधिक कमजोर किया है।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आई.एम.एफ.) ने हाल ही में लगाये गये पूर्वानुमान में कहा है कि भारत 2016 तक, जब यह सम्भवतः चीन की अनुमानित वृद्धि दर को पार कर लेगा, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की समष्टि आर्थिक अपेक्षाएं मजबूत हुई हैं और देश अब वैश्विक निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हुए उभरती बाजार अर्थव्यवस्था बन गया है। इस

- ➤ Business per Employee increased to ₹ 9.88 crore from ₹ 8.73 crore and Profit per Employee stood at ₹ 0.09 crore.
- Book Value per Share increased to ₹ 71.86 as on March 31st, 2015 as against ₹ 65.97 last year.
- Earning per Share (EPS) increased to ₹ 9.95 as on March 31st, 2015 as against ₹ 9.69 last year.
- All branches working on CBS platform with RTGS/NEFT and SMS Alert, Mobile Banking & Net Banking facilities.
- Implementation of Financial Inclusion Plan in line with RBI/GOI Directives.

GLOBAL ECONOMIC SCENE

Global growth did not recover as expected across most major developed and rapid-growth economies in 2013-14. During the year gone by, the central bankers across the globe took decisive steps to restore confidence in markets and broader economy. In Europe, the banking situation improved in part due to the long-term refinancing operations of the European Central Bank (ECB), which helped ensure there was plenty of liquidity in the system. In the US, the picture was more upbeat but still mixed. Although businesses and consumers started to borrow again, credit growth remained tepid. The global economic environment broadly strengthened, and is expected to improve further, with much of the growth impetus emanating from advanced economies. There was acute financial volatility in emerging market economies, and increases in the cost of capital which dampened investments and weighed on growth. After continuous four years of deceleration, global economic activity had strengthened in second half of 2014. However IMF has revised its forecast for growth in 2015 & 2016 downwards. In the Euro area, economic conditions have deteriorated in an environment of deflationary pressures, political tensions in Greece and still elevated level of unemployment. Global growth is poised to improve in 2015-16. Demand in Japan is just only beginning to recover from the impact of consumption Tax increased in last year and Yen's depreciation, however is helping exports. Due to weakening of property market and excess capacity of production in several industries in China, other (EMEs) Emerging Market Economies growth has also weakened sharply particularly in Oil Exports etc.

INDIAN ECONOMIC ENVIRONMENT

International Monetary Fund (IMF) in its recent forecast said that India may become the world's fastest growing major economy by 2016, when it is likely to cross the China's Projected growth rate. India's macro economic prospects have strengthened and Country is now positioned as emerging market economies,



उपलब्धि के बावजूद 2014—15 में वृद्धि की दर पिछले वर्ष से कम रही। मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबाव और संरचनात्मक अवरोध कुछ ऐसे कारक हैं जो वृद्धि की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं।

सकारात्मक व्यावसायिक संवेदनाओं, उपभोक्ताओं के भरोसे में वृद्धि, आर्थिक विकास में सुधार की उम्मीद और मुद्रास्फीति में कमी की अपेक्षाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण में पिछले दो महीनों में सुधार आया है। किन्तु मध्यम अविध में अवस्फीतिकारी गित बनाये रखने की चुनौती वैसी ही बनी रहेगी।

रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये स्वतंत्र पेशेवर अर्थविदों के सर्वेक्षण के 27वें दौर में दर्शाया है कि भारत में 2014—15 में लगभग 5.50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मध्यम सुधार की उम्मीद है। सर्वेक्षण में, पहले चक्र में 2014—15 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में, संशोधन करते हुए उसे 8.50 प्रतिशत से घटाकर 8.00 प्रतिशत किया गया है। इसी पूर्वानुमान में 2014—15 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) में भी अब बड़ी कमी करते हुए इसे सकल घरेलू उत्पाद का 2.40 प्रतिशत दर्शाया गया है।

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य

बैंकिंग व्यवस्था अर्थव्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब होती है। भारतीय बैंकिंग उद्योग जिसकी सकल आस्तियां रु. 81 ट्रीलीयन (यू.एस. डालर में 1.34 ट्रीलीयन) है, लगातार किन्तु सावधानी के साथ बढ़ रहा है। इस तथ्य के कारण कि बैंकिंग उद्योग खराब ऋणों से ग्रसित है, ऋण दाताओं ने ऋण देने में धीमे चलने का रास्ता चुना है। बैंकिंग क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था का पैमाना होता है, समष्टि आर्थिक स्थिरता को प्रतिबिम्बित करता है। अभी जबिक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती हासिल करनी हैं, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था लगातार आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार, जोखिम और पूंजी की पर्याप्ता के प्रबन्धन के विवेकपूर्ण प्रयासों के क्रियान्वयन में लगी हुई है।

भारतीय बैंकिंग उद्योग का सबसे खराब दौर समाप्त हुआ प्रतीत होता है। समष्टि आर्थिक सुधारों और चुनाव बाद के सुधारों की सम्भाव्यता के परिणामस्वरुप ऋण वसूली में सुधार एवं ऋणों की गुणवत्ता में न्यूनतम गिरावट के कारण कुल खराब ऋणों की मात्रा में कमी आना अपेक्षित है। समष्टि आर्थिक परिवेश में सुधार और आर्थिक वृद्धि में अपेक्षित पुनःप्रवर्तन जोखिम को कम करने और आस्तियों की गुणवत्ता की समस्या को सुलझाने में सहायक होगा।

भा.रि.बैं. ने बेसल III के अनुसार पूंजी के मानकों के क्रियान्वयन को एक वर्ष के लिए स्थिगित करके बैंकों को, जो गै.नि.आ. (NPA) में वृद्धि के कारण कम आय और लाभप्रदता में दबाव से संघर्ष कर रहे हैं, कुछ समय के लिए राहत दी है। भा.रि.बैं. के नये मानक बैंकों को सम्भाव्य खराब ऋणों को चिन्हित करने और उन पर सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2015 में समग्रतः ऋण वृद्धि 14—15 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है। ऋण वृद्धि में निजी क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पूर्ववत आगे निकल सकते हैं। वित्त वर्ष 2015 में समग्रतः (सार्व. क्षेत्र के बैंक + निजी क्षेत्र के बैंक) सकल गै. नि. आ. (NPA) जो वर्ष 2014 में 3.90 प्रतिशत थीं, वर्ष 2015 में 4.00—4.20 प्रतिशत तक बनी रह सकती हैं।

gaining global investor's attention. However, despite this pickup, the growth rate in 2014-15 was lower than last year. Inflationary pressures and structural bottlenecks are some of the factors weighing down the growth process.

The outlook for the Indian economy has improved over the past two months with cautiously positive business sentiments, improved consumer confidence, expectations of a modest recovery in growth and decline in inflation expectations. The challenge for maintaining dis-inflationary momentum over the medium term, will however, remain same.

Reserve Bank's 27th round of the Survey of Professional Forecasters outside the Reserve Bank showed that a modest recovery in 2014-15 is expected with growth at round 5.50%. The expected CPI inflation for 2014-15 has been revised downwards to 8.00% from 8.50% in the previous round of the survey. Their forecast for CAD in 2014-15 is also now significantly lower at 2.40% of GDP.

INDIAN BANKING SCENARIO

"The banking system is a direct reflection of the state of the economy". Indian banking industry, with total asset size of ₹ 81 trillion (USD 1.34 trillion), is expanding continuously but on a cautious note. The fact that the industry is plagued by bad loans, the lenders have chosen to go slow in terms of credit off-take. The banking sector, being the barometer of the economy, is reflective of the macro-economic variables. While the Indian economy is yet to catch strength, the Indian banking system continues to deal with improvement in asset quality, execution of prudent risk management practices and capital adequacy.

The worst seems to be over for the Indian banking industry. Macroeconomic improvements and potential for post-election reforms should see a gradual reduction in stressed loans on lower slippages and higher recoveries. Recovery in macroeconomic environment and expected revival in economic growth will help to mitigate risks and resolve problems of asset quality.

By postponing the implementation of Basel III capital norm by one year, RBI has given some breathing space to banks struggling with stressed margins and lower profitability on account of increase in NPA's. The RBI's new norms will further encourage banks to identify potential bad loans and take corrective actions.

The overall credit growth may revive marginally at 14-15% in FY15; Private Sector Banks may continue to outpace PSB's in credit growth. Overall (PSB's + Private Sector Banks) Gross NPA's could remain at 4.00-4.20% by FY15 as against 3.90% in FY14.



बैंकों को आगामी दो वर्षों में (वित्त वर्ष 2015—2016) में रु.1.80—2.00 द्रिलीयन की पूंजी जुटानी है जोकि 45—50 प्रतिशत अतिरिक्त टियर—I के रुप में जारी करके, 35—40 प्रतिशत टियर—II के माध्यम से और शेष सामान्य इिवटी के माध्यम से जुटाई जा सकती है। किन्तु यदि अतिरिक्त टियर—II पूंजी के लिए विनिवेशक नहीं मिलते हैं तो भारतीय बैंकों को, जैसा कि एक रेटिंग एजेन्सी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, आगामी दो वर्षों में रु.1.00—1.30 ट्रिलीयन सामान्य इिवटी कैपिटल जुटाने की आवश्यकता हो सकती है।

बैंक के कार्यकलाप

उपरोक्त परिदृश्य के अन्तर्गत विविध मानकों में हमारे बैंक के कार्यकलाप निम्नानुसार रहे –

वित्तीय उपलब्धियां

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.15 की स्थिति के अनुसार	31.03.14 की स्थिति के अनुसार
1.	कुल ब्याज आय	507.55	432.58
	(क) अग्रिमों से ब्याज के रुप में आय	288.25	268.03
	(ख) निवेशों से ब्याज के रुप में आय	95.22	79.39
	(ग) अन्य	124.08	85.16
2.	गैर ब्याज आय	49.20	25.95
	कुल आय-क (1 + 2)	556.75	458.53
3.	कुल ब्याज जो खर्च किया गया	337.70	268.72
	(क) जमा पर खर्च किया गया ब्याज	337.60	268.63
	(ख) अन्य ब्याज व्यय	0.10	0.09
4.	स्टाफ लागत	77.68	63.32
5.	अन्य परिचालन लागत	35.96	29.63
	सकल खर्चे—ख (3 + 4 + 5)	451.34	361.67
	परिचालन लाभ (क – ख)	105.41	96.86
	प्रावधान और आकस्मिकताएं–ग	38.23	31.43
	शुद्ध लाभ (क—ख—ग)	67.18	65.43

Banks need to raise capital of ₹ 1.80-2.00 trillion over the next two years (FY15-16); of which 45-50% may be issued in the form of additional Tier-I, 35-40 % through Tier-II and balance through common equity. However, if there are no seekers for additional Tier-I capital instruments, Indian banks may need to mop up ₹ 1.00-1.30 trillion common equity capitals over the next two years as mentioned by a rating agency report.

BANK'S PERFORMANCE

Under the above scenario the Bank's performance on various parameters was as listed below:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(₹ in crore)

	(< III cror			
Sr. No.	Particulars	As on 31.3.2015	As on 31.3.2014	
1.	Total Interest Income	507.55	432.58	
	(a) Interest Income from Advances	288.25	268.03	
	(b) Interest Income from Investments	95.22	79.39	
	(c) Others	124.08	85.16	
2.	Non Interest Income	49.20	25.95	
	TOTAL INCOME -A (1+2)	556.75	458.53	
3.	Total Interest Expended	337.70	268.72	
	(a) Interest Expended on Deposits	337.60	268.63	
	(b) Other Interest Expenses	0.10	0.09	
4.	Staff Cost	77.68	63.32	
5	Other Operating Costs	35.96	29.63	
	Total Expenses - B (3+4+5)	451.34	361.67	
	Operating Profit (A-B)	105.41	96.86	
	Provision & Contingencies – C	38.23	31.43	
	Net Profit (A – B – C)	67.18	65.43	



वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.15 की स्थिति के अनुसार	31.03.14 की स्थिति के अनुसार
1.	जमा की औसत लागत (%)	7.23	7.00
2.	अग्रिमों से औसत प्राप्ति (%)	12.18	12.53
3.	शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	3.20	3.71
4.	आस्तियों से औसत प्राप्ति (%)	1.26	1.48
5.	औसत कार्यशील निधि में स्टाफ का खर्च (%)	1.46	1.43
6.	औसत कार्यशील निधि पर परिचालन लाभ (%)	1.98	2.19
7.	प्रति शेयर आय (रु० में)	9.95	9.69
8.	प्रति शेयर बही मूल्य (रू० में)	71.86	65.97

पूंजी की पर्याप्तता

बेसल II के मानकों के अन्तर्गत बैंक की पूंजी की पर्याप्तता जो विगत वर्ष 15.02 प्रतिशत थी, इस वर्ष 14.71 प्रतिशत रही। 31.03.2015 को सकल पूंजी की पर्याप्तता में टीयर—I पूंजी 14.26 प्रतिशत तथा टीयर—II पूंजी 0. 45 प्रतिशत रही।


बेसल III मानकों के अन्तर्गत 31.03.2015 को बैंक की पूंजी की पर्याप्तता 14.86 प्रतिशत रही जिसमें टियर—I पूंजी 14.41 प्रतिशत तथा टियर—II पूंजी 0.45 प्रतिशत है।

31.03.2015 को बैंक की शुद्ध निजी निधि रू. 494.68 करोड़ है जबिक 31. 03.2014 को यह रू. 445.28 करोड़ थी। इस प्रकार इसमें विगत वित्तीय वर्ष से 11.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जमा संग्रहण

बैंक की जमा राशियां जो 31.03.14 को रू. 4650 करोड़ थीं, 31.03.2015 को बढ़कर रु. 5344 करोड़ हो गयीं। इस प्रकार इनमें 14.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31.03.2015 को कुल जमा राशियों में कम लागत वाली जमा राशियां 34.36 प्रतिशत रहीं जबकि विगत वर्ष ये 36.33 प्रतिशत थीं।

कुल जमा राशि / TOTAL DEPOSIT



FINANCIAL RATIOS

Sr. No.	Particulars	As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
1.	Average cost of Deposits (%)	7.23	7.00
2.	Average Yield on Advances (%)	12.18	12.53
3.	Net Interest Margin (%)	3.20	3.71
4.	Average Return on Assets (%)	1.26	1.48
5.	Staff Expenses to Avg. Working Fund (%)	1.46	1.43
6.	Operating Profit to Avg. Working Funds (%)	1.98	2.19
7.	EPS (in ₹)	9.95	9.69
8.	Book Value per share (in ₹)	71.86	65.97

CAPITAL ADEQUACY

Bank's Capital Adequacy under Basel-II norms stood 14.71% against 15.02% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier-I capital was 14.26% and Tier-II was 0.45% as on 31.03.2015.


The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 14.86% out of which, Tier I Capital was 14.41% & Tier II was 0.45% as on 31.03.2015.

The Net Owned Funds of the Bank is ₹ 494.68 crore as on 31.03.2015 against ₹ 445.28 crore as on 31.03.2014 representing a strengthening of capital by 11.09% over previous financial year.

DEPOSIT MOBILISATION

The Total Deposits of the Bank as on 31.03.2015 increased to ₹ 5,344 crore from 4,650 crore on 31.03.2013, showing a growth of 14.94%. The share of low cost deposit was 34.36% as on 31.03.2015 as against 36.33% in previous year.

कम लागत वाली जमा राशि / CASA





निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report


अग्रिम अभिनियोजन

31.03.2015 को बैंक का सकल ऋण बढ़कर रु. 2597 करोड़ हो गया जबिक 31.03.2014 को यह रू. 2470 करोड़ था। इस प्रकार इसमें विगत वर्ष से 5.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

CREDIT DEPLOYMENT

The Gross Advances of the Bank increased to ₹ 2,597 crore as on 31.03.2015 from ₹ 2,470 crore on 31.03.2014, showing a rise of 5.14% over previous year.

सकल अग्रिम/GROSS ADVANCES




प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पूर्व की तरह ही भा०रि०बैं० द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक रहा। 31.03.2015 को बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सकल अग्रिम रू. 1522.58 करोड़ रहा जबिक 31.03.2014 को यह रू. 1421.01 करोड़ था। इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण बैंक के समायोजित शुद्ध ऋण का 61.18 प्रतिशत रहा।

The Priority Sector Advances of the Bank continued to be higher than regulatory stipulation of RBI @ 40%. The Gross Priority Sector Advances of the Bank increased to ₹ 1,522.58 crore as on 31.03.2015 from ₹ 1,421.01 crore as on 31.03.2014 representing 61.18% of Adjusted Net Bank Credit.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम





बैंक का खुदरा ऋण जो 31.03.2014 को रू. 1613 करोड़ था, 31 मार्च, 2015 को 3.29 प्रतिशत की वृद्धि अंकित करते हुए रू. 1666 करोड़ रहा। Retail Advances of the Bank increased to ₹ 1,666 crore as on March 31st, 2015 from ₹ 1,613 crore as on 31st March, 2014, registering a growth of 3.29%.

अग्रिमों से औसत प्राप्ति, जो विगत वर्ष 12.53 प्रतिशत थी, 31.03.2015 को 12.18 प्रतिशत रही।

The Average Yield on Advances stood at 12.18% as on 31.03.2015 as against 12.53% last year.

नये प्रयास

आज के वैश्विक परिस्थितियों में न केवल सफलतापूर्वक बैंकिंग परिचालन के लिए अपितु ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगों की संतुष्टि के लिए भी सूचना प्रौद्यौगिकी का व्यापक प्रयोग आवश्यक हो गया है। पिछली दो दशकों में तकनीकी प्रगति ने बैंकिंग को पुर्नपरिभाषित किया है। ग्राहकों को और अधिक कुशलता से और प्रभावपूर्ण ढंग से, सेवा प्रदान करने के लिए कम्प्यूटरीकरण एवं अराध्य तकनीकी का सर्वाधिक उपयोग अपेक्षित है। बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस पटल पर कार्य कर रही हैं और ग्राहकों को इलैक्ट्रोनिक भुगतान सुविधा जैसे आरटीजीएस, एनइएफटी,

NEW INITIATIVES

In today's Global village, extensive use of information technology has become a necessity not only to carry out successful banking operations but also to satisfy growing customer demands. In last two decades, the technology has redefined the 'Banking'. To serve the customer efficiently and effectively, the way-out is to go in for computerization and make maximum use of technology available. Bank's all branches are functioning on CBS platform and facilitating customers by providing electronic payment facility



आईएमपीएस(एसएमएस चैनल पर मोबाइल बैंकिंग) और नैट बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को रु पे एटीएम कार्ड और एसएमएस बैंकिंग उनलब्ध करा रहा है।

बैंक ने सूचना तकनीकी (IT) कार्ययोजना तैयार की है जिसमें व्यावसायिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र, जिन पर जोर देना है, चिन्हित किये गये हैं—

- अपने वर्तमान एवं सम्भावित ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने का कार्य प्रगति पर है।
- पब्लिक फाइनैन्शियल मैनेजमैंट सिस्टम के क्रियान्वयन का कार्य चल रहा है।

विकास

- बैंक में 14 फरवरी, 2015 से नैट बैंकिंग सुविधाओं की शुरुआत कर दी गई है।
- बैंक ने अपने वर्तमान ग्राहकों के लिए (आधार और गैर आधार आधारित) नाच (एनएसीएच) प्लेटफार्म के माध्यम से डी.बी.टी. "पहल" को कियान्वित किया है।
- बैंक ने उत्तरी ग्रिड में सी.टी.एस. साफ्टवेयर का सफलतापूर्वक
 क्रियान्वयन किया है।
- बैंक ने अपने वेब पोर्टल का नवीनीकरण किया है जिसके द्वारा और अधिक सूचनाएं व इन्टरेक्टिव ग्रैफिकल यूजर इन्टरफेस (UI) उपलब्ध कराई जा रही है।

पुरस्कार

- बैंक को सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यकलापों के लिए ऐसोचैम द्वारा "सोशल बैंकिंग एक्सीलैंस अवार्ड 2014" प्रदान किया गया है।
- बैंक को एन.पी.सी.आई. द्वारा चैक ट्रन्केशन सिस्टम (सी. टी. एस.) में उसके उत्कृष्ट कार्यकलापों को मान्यता देते हुए "नेशनल पेमैन्ट एक्सीलैन्स अवार्ड 2014" प्रदान किया गया है।
- बैंक को प्र.म.ज.ध.यो. (पी. एम. जे. डी. वाई.) के अन्तर्गत विभिन्न मानकों में श्रेष्ठ कार्य कलापों के लिए फेडरेशन आफ इण्डस्ट्रीज, ट्रेड एण्ड सर्विसेज (एफ आई टी एस), नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया।
- हमारे अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. के. गुप्ता को विजन वर्ल्ड फाउन्डेशन, अहमदाबाद द्वारा "विजिनरी सीईओ" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

आस्ति गुणवत्ता प्रबन्धन

गै.नि.आ. से निपटने की दिशा में बैंक ने अधिसक्रिय रवैया अपनाकर वसूली के प्रयासों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। like RTGS, NEFT, IMPS (mobile banking on SMS channel) and NET BANKING. Bank is issuing Rupay ATM cards and SMS banking facility to its customers.

Bank has prepared IT Strategy Plan wherein following major thrust areas are identified for achieving business growth-

- > Issuance of Debit Card to our existing as well as prospective customers is in progress.
- > Implementation of Public Financial Management System is under progress.

DEVELOPMENTS

- Net Banking facilities have been launched w.e.f. 14th February, 2015.
- Bank has implemented DBT "Pahal" through NACH platform to our existing customers (Aadhar & Non-Aadhar based).
- Bank has successfully implemented CTS software in Northern Grid.
- Bank has revamped web portal offering expanded content, interactive Graphical User Interface.

AWARDS

- Bank has been awarded for "Social Banking Excellence Award 2014" by ASSOCHAM for outstanding performance in the field of Social Banking.
- Bank has been conferred with 'National Payments Excellence Award 2014' by NPCI in recognition of excellent performance in Cheque Truncation System (CTS).
- Bank has been conferred Excellence award for excellent performance on different parameters under PMJDY by Federation of Industries, Trade & Services (FITS), New Delhi.
- Our Chairman & CEO Shri S. K. Gupta has been conferred with "Visionary CEO" award by Vision World Foundation, Ahemdabad.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

The Bank has a proactive approach towards tackling NPAs and focused recovery efforts.



Directors' Report



आस्तियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

आस्ति वर्गीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.15 की स्थिति के अनुसार		31.03.14 की स्थिति के अनुसार	
	राशि %		राशि	%
मानक	2,518.37	96.98	2,408.71	97.53
अवमानक	23.23	0.89	12.02	0.49
संदिग्ध	37.03	1.43	31.47	1.27
हानिकर आस्ति	18.28	0.70	17.61	0.71
सकल अग्रिम	2,596.91	100.00	2,469.99	100.00

31.03.2015 को बैंक की सकल गैर निष्पादक आस्तियां रु. 77.41 करोड़ रहीं जबिक 31.03.14 को ये रू. 61.10 करोड़ थीं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक पुराने गै.नि.आ. खातों के साथ हाल ही में गै.नि.आ. में सिम्मिलित नये खातों को सुधारने और उन्हें उच्चतर स्तर पर लाने के प्रयास कर रहा है। फिर भी बैंक ने समूचे खराब खातों के लिए शत प्रतिशत का प्रावधान किया है और शुद्ध एन पी ए के स्तर को शून्य पर बनाये रखा है।

निवेश परिचालन

विभिन्न प्रतिभूतियों में बैंक के कुल निवेश जो 31.3.2014 को रु. 1139.74 करोड़ थे, 31 मार्च, 2015 को रु. 1378.15 करोड़ रहे। कुल निवेश की 47.19 प्रतिशत प्रतिभूतियां "बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी" एवं "ट्रेडिंग के लिए आयोजित श्रेणी" में "बाजार मूल्य पर चिन्हित" हैं तथा शेष 52.81 प्रतिशत प्रतिभूतियां "परिपक्वता अविध तक रखे गए निवेश" श्रेणी में वर्गीकृत हैं।

निवेशों में लेन–देन, प्राप्तियों में सर्वाधिक वृद्धि करने तथा मूल्य ह्रास से संविभाग को सुरक्षित रखने के साथ–साथ पर्याप्त तरलता बनाये रखने के लिए किया गया।

लाभप्रदता

बैंक का सकल लाम जो 31.03.2014 को रु. 96.86 करोड़ था 31.03.2015 को 8.83 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए रु. 105.41 करोड़ रहा। बैंक का शुद्ध लाम 31.03.2015 को रु.67.18 करोड़ रहा जबिक 31.03.2014 को यह रु. 65.42 करोड़ था। प्रति शाखा व्यवसाय 31.03.2014 के रु. 61.38 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31.03.15 को रु. 65.63 करोड़ रहा। घाटा देने वाली उन 14 शाखाओं में से जो 31.03.2014 से पहले खोली गई थी 5 शाखाएं लाम अर्जित करने लगी हैं। तथापि 31.03.2015 को हांनि देने वाली शाखाओं की संख्या 16 रही जिनमें से 5 शाखाएं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गईं।

Asset classifications of the Bank are detailed below:

ASSET CLASSIFICATION

(₹ in crore)

	As on 31.3.2015		As on 31.3.2014	
	Amount %		Amount	%
Standard	2,518.37	96.98	2,408.71	97.53
Sub-Standard	23.23	0.89	12.02	0.49
Doubtful	37.03	1.43	31.47	1.27
Loss assets	18.28	0.70	17.61	0.71
Gross Advances	2,596.91	100.00	2,469.99	100.00

Gross NPA of the Bank increased to ₹ 77.41 crore as on 31.03.2015 from ₹ 61.10 crore as on 31.03.2014. The Bank endeavors to recover and upgrade the recently added NPA accounts alongwith old NPA accounts during the current financial year. However, the Bank made 100% provision to cover entire impaired portfolio and maintained the status of Net NPA at ZERO level.

INVESTMENT OPERATIONS

Total Investments of the Bank in various securities stood at ₹ 1,378.15 crore as on 31.03.2015 against ₹ 1,139.74 crore on 31.03.2014. Out of total investments, 47.19% securities have been "marked to market" in "Available for Sale (AFS) category & Held for Trading (HFT)" and rest 52.81% is classified under "Held to Maturity (HTM)" category.

The investment transactions were taken with a view to maximize yield, protect portfolio against depreciation and simultaneously ensuring sufficient liquidity.

PROFITABILITY

Operating Profit of the Bank has increased to ₹ 105.41 crore as on 31.03.2015 from Rs 96.86 crore as on 31.03.2014 showing an increase of 8.83%. Net profit of the Bank stood at ₹ 67.18 crore s on 31.03.2015 as against ₹ 65.42 crore in 31.03.2014. Business per branch increased to ₹ 65.63 crore as on 31.03.2015 from ₹ 61.38 crore as on 31.03.2014. Out of 14 loss making branches opened before 31.03.2014, 05 branches turned profitable. However the total number of loss making branches as on 31.03.2015 stood at 16 which included 05 branches opened during the current financial year.



आंतरिक नियन्त्रण व्यवस्था

बैंक का निरीक्षण प्रभाग उचित लागत से बैंक के कार्य कलापों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए वर्ष के दौरान "जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा" व्यवस्था को युवितसंगत रूप से अपनाया गया है। निरीक्षण प्रभाग निदेशक मंडल की अंकेक्षण समिति को भी और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने में सहयोग देता है। बैंक ने निर्धारित व्यवसाय को समवर्ती लेखा परीक्षा नियंत्रण के अन्तर्गत सम्मिलित करने के सम्बन्ध में भा.रि.बैं. द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है।

सामाजिक कार्यकलाप

बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता पर दबाव के माहौल में भी बैंक सामाजिक बैंकिंग के अर्न्तगत अपने दायित्वों को पूरा करने के प्रति जागरूक रहा है। प्राथमिक क्षेत्र को ऋण का लक्ष्य पूर्ववत् पूरा कर लिया गया। वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को रु. 1522.58 करोड़ का ऋण दिया गया जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 61.18 प्रतिशत है, जबिक कृषि ऋण रु. 464.22 करोड़ रहा जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 18.65 प्रतिशत है जबिक इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत के न्यूनतम मानक से कम है।

वित्तीय समावेशन योजना (2000 से अधिक आबादी वाले गांव): हमारे बैंक को आवंटित 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी —11—गांवों में आई. सी.टी. आधारित बिजनैस करैसपोन्डैंट मॉडल पद आधारित वित्तीय समावेशन योजना को पहले ही क्रियान्वित किया गया जा चुका है।

वित्तीय समावेशन योजना(2000 से कम आबादी वाले गांव): हमारे बैंक को उत्तराखण्ड में 387 गांव तथा उत्तर प्रदेश में 27 ऐसे गांव जिनकी आबादी 2000 से कम है, बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवंटित किये गये हैं।

हमारी सेवा प्रदाता कम्पनी मैं. टाटा कम्यूनीकेशन्स पेमैन्ट सोल्यूशन लि. (टी.सी.पी.एस.एल.) से प्राप्त सूचनानुसार अभी तक उत्तराखण्ड राज्य के लगभग 200 गांवों में 33 बी.सी. एजेन्ट और उत्तर प्रदेश के 12 गांवों में एक बी.सी. एजेन्ट बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

इस प्रकार वित्तीय समावेशन योजना के अन्तर्गत 223 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 45 बी.सी. नियुक्त किये गये हैं। 31–03–2015 को वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत 12028 नो फिल बचत खाते खोले गये और 1309 बचत खातों में रु.1.78 करोड़ की ओवरड्राफ्ट राशि अतिशेष है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान बी.सी.—आई.सी.टी. खातों में कुल रु. 49.72 लाख के 2768 जमा लेन—देन किये गये।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)ः

विस्तृत वित्तीय समावेशन योजना के क्रियान्वयन के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री ने 28-08-2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का श्रीगणेश किया । इस योजना के अन्तर्गत बैंकों को निर्देश दिया गया कि उन सभी घरों, जिनका किसी बैंक में खाता नहीं है, के दो सामान्य बचत खाते खोले

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Inspection division of the Bank is promoting effective control on the affairs of the Bank at a reasonable cost. The 'Risk Based Internal Audit' system has been suitably adopted during the year to have better supervision and control. Audit committee of the Board is also being assisted by Inspection Department to discharge its obligations more effectively. Bank has complied with the directives of the regulator in respect of coverage of stipulated business under concurrent audit system.

SOCIAL COMMITMENT

The Bank has maintained its focus on meeting commitments under social Banking even in the era of increased competition and stress of profitability. Priority sector lending targets continued to be surpassed. Lending to priority sector stood at ₹ 1,522.58 crore during the year and constituted 61.18% of Adjusted Net Bank Credit. Whereas agriculture credit stood at ₹ 464.22 crore constituting 18.65% of Adjusted Net Bank Credit, against the minimum norms of 18% laid down by the Reserve Bank of India, for the purpose.

Financial Inclusion Plan (villages having population above 2000): has already been implemented in all the 11 villages allotted to our Bank having population above 2000 by adopting ICT based Business Correspondent model.

Financial Inclusion Plan (villages having population below 2000): Our Bank has been allotted 387 villages in Uttarakhand State and 27 villages in Uttar Pradesh for providing Banking Services in the villages having population below 2000.

As per the information received from our vendor company M/s. Tata Communications Payment Solutions Ltd. (TCPSL) till date 33 BC agents are providing banking services approx in 200 villages in Uttarakhand State and 1 BCA is providing Banking Services in 12 villages in Uttar Pradesh.

Thus, under FI Plan, till date 45 BCA's have been appointed for providing Banking services in 223 villages: Total number of no frill Savings Bank accounts opened under FI are 12028 as on 31.03.2015 and total outstanding amount in 1,309 OD in SB accounts is ₹ 1.78 crore. A total number of 2768 credit transactions amounting to ₹ 49.72 lac were carried out in BC-ICT Accounts during the financial year 2014-15.

PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJNA (PMJDY)

For the implementation of Comprehensive Financial Inclusion Plan, Hon'ble Prime Minister launched Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna on 28.08.2014. Under the scheme banks are directed to open 02 Basic Savings Bank Deposit accounts of all the





जाएं। प्रत्येक खाता धारक को एक रुपे ए.टी.एम. / डेबिट कार्ड, जिसमें रु. 1.00 लाख का एक्सीडेन्टल बीमा कवर उपलब्ध है, दिया जाना है। खाताधारकों को उनके खाते में छः महीने तक संतोषजनक लेन—देन होने पर रु.5000 / — तक की ओवरङ्गाफट सुविधा भी दी जायेगी।

भिन्न-भिन्न राज्यों के एस.एल.बी.सी. ने बैंकों को विशेष कैम्प लगाकर प्र. म.ज.ध.यो. के अन्तर्गत बी.एस.बी.डी. खाते खोलने के लिए एस.एस.ए. /गांव/वार्ड आवंटित किये हैं। हमने 31-03-2015 तक 45576 ऐसे खाते खोले हैं और रु.343.44 लाख का जमा संग्रहण किया।

शाखा जाल एवं शाखा विस्तार कार्यक्रम

बैंक ने वर्ष के दौरान —5— नई शाखाएं खोलीं जिनसे 31.03.2015 को इसकी कुल शाखाओं की संख्या 121 हो गई। बैंक का वित्तीय वर्ष 2015—16 में 10 और शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।

बैंक की वर्तमान शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:

क्र0सं0	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2015	2014
1	महानगरीय	24	24
2	शहरी	29	27
3	अर्द्धशहरी	39	38
4	ग्रामीण	29	27
	कुल	121	116

households, who do not have bank account. Every account holder is to be given a RuPay ATM/Debit card with in built accidental insurance cover of ₹ 1.00 lac. On satisfactory dealing for 06 months an overdraft facility upto ₹ 5,000.00 shall also be extended to such account holders.


SLBC's of different states have allotted SSAs/Villages/Wards to banks for opening BSBD accounts under PMJDY by organizing special camps. We have opened 45,576 accounts and mobilized deposit of ₹ 343.44 lakh till 31.03.2015.

BRANCH NETWORK & EXPANSION PROGRAMME

The Bank has opened -05- new branches during the year increasing its tally to 121 as on 31.03.2015. The Bank is proposing to open 10 more branches in F.Y. 2015-16.

Area wise classification of existing branches of the Bank is detailed below:

S. No.	Area	No. of Branches		
		2014	2013	
1	Metro	24	24	
2	Urban	29	27	
3	Semi Urban	39	38	
4	Rural	29	27	
	Total	121	116	






वर्तमान में बैंक की शाखायें देश के 5 राज्यों में हैं। इनका राज्य वार विवरण नीचे दिया गया है – The Bank is having its presence in -05- states of the country. The State wise position of branches is given below:

शाखाओं की राज्य वार स्थिति

क्र0सं0	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2015	2014
1	दिल्ली	16	16
2	हरियाणा	05	05
3	राजस्थान	02	02
4	उत्तर प्रदेश	30	28
5	उत्तराखण्ड	68	65
	कुल	121	116

STATE WISE POSITION OF BRANCHES

S. No.	Area	No. of Branches		
		2015	2014	
1	Delhi	16	16	
2	Haryana	05	05	
3	Rajasthan	02	02	
4	Uttar Pradesh	30	28	
5	Uttarakhand	68	65	
	Total	121	116	



मानव संसाधन की स्थिति

बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्ग वार संख्या इस प्रकार रही :-


क्र.सं.	संवर्ग	31.03.2015	31.03.2014
1	कार्यपालक	18	21
2	अधिकारी	343	341
3	लिपिक	288	290
4	अधीनस्थ कर्मचारी	102	104
5	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	84	87
	कुल	835	843

HUMAN RESOURCE POSITION

The cadre wise strength of Bank staff was as under:

S.No.	Cadre	31.03.2015	31.03.2014
1	Executive	18	21
2	Officers	343	341
3	Clerks	288	290
4	Sub-Ordinate Staff	102	104
5	Part Time Sub- Staff	84	87
	TOTAL	835	843





कर्मचारियों की उपरोक्त स्थिति के अतिरिक्त 31-03-2015 को बैंक में 44 प्रबन्धन प्रशिक्षु (मैनेजमैन्ट ट्रेनीज) थे।

उपरोक्त के अलावा बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान 50 प्रबन्धन प्रशिक्षु (मैनेजमैन्ट ट्रेनीज) की नियुक्ति की।

बिभिन्न संवर्गों / ग्रेड में अधिकारियों / स्टाफ सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और कर्मचारियों को पदोन्नित का अवसर देने के लिये अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में, लिपिक कर्मचारियों को अधिकारी संवर्ग—किनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड / स्केल—I में, किनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड / स्केल—I में मध्य प्रबन्धन ग्रेड / स्केल—II में, मध्य प्रबन्धन ग्रेड / स्केल—III में मध्य प्रबन्धन ग्रेड / स्केल—III में, मध्य प्रबन्धन ग्रेड / स्केल—III में वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड / स्केल—IV में पदोन्नित की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

बैंक ने अपने स्टाफ को प्रशिक्षण तथा विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रखे तािक वे चालू बैंकिंग परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों।

कार्यपालकों और अधिकारियों को निब्सकाम, नोएडा, एन.आई.बी.एम., पुणे और बड़ौदा कारपोरेट सेन्टर, मुम्बई में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता के लिये भेजा गया । उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक, इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया आदि द्वारा आयोजित विशिष्ट वर्कशाप/सेमिनार में भी सहभागिता की ।

उपरोक्त के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ—साथ हमारे स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी में अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ सदस्यों के लिये नियमित रुप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाये गये।

In addition to the above listed position of the Human Resources in the Bank, there were **-44- Management Trainee** in the Bank as on 31.03.2015.

To cater to the Bank's Specialist Manpower Requirement - Twelve- Information Technology Officers, -Two- Personnel Officers, - Two- Law Officers, -One- Company Secretary were recruited in JMGS-I of the Bank. In MMGS-II- One- Manager (Security) was recruited. Twelve Management Trainees were absorbed in JMGS-I.

Besides above, the Bank has recruited **-Fifty Management Trainees-** during the Financial Year.

In order to cater to the need of officers/ staff members in various cadres/grades and to extend career progression opportunities to the employees, promotion exercises for promotion from Subordinate Cadre to Clerical Cadre, Clerical Cadre to JMGS-I, MMGS-II to MMGS-III and MMGS-III to SMGS-IV were initiated.

Bank continued its pursuit of extending training and development facilities to the staff, so as to equip them to meet the challenges in the current banking scenario.

Executives and Officers were deputed to and attended training programmes at NIBSCOM, Noida, NIBM, Pune, Baroda Corporate Centre, Mumbai. They also participated in specific workshops/seminars arranged by Reserve Bank of India, Institute of Company Secretaries of India etc.

Besides above, regular training programmes were also carried at our Staff Training Centre, Haldwani besides locational programmes at Regional Offices.



समीक्षित वर्ष के दौरान 213 स्टाफ सदस्य, बैंक द्वारा तात्कालिक चिन्तनीय विषयों पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों / कार्यशालाओं में सम्मिलित हुए।

कारपोरेट गवरनैन्स

बैंक पूर्ववत् कारपोरेट गवरनैन्स के महत्व से परिचित है। वह न केवल वैद्यानिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है अपितु अपने सभी हितलाभार्थियों जिसमें उसके अंशधारक, ग्राहक, सरकार और वृहद रुप में जनता सिम्मिलित हैं, के सर्वोत्तम हितों के लिए सुदृढ़ कारपोरेट गर्वनैन्स नीति का अनुपालन कर रहा है। कारपोरेट गर्वनेन्स पर बैंक का दर्शन सरकार, भा. रि.बें. और अन्य हित लाभार्थियों को सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता के साथ साफ सुथरा और एकदम सही प्रकटीकरण करने का हैं, जैसा कि सम्बन्धित कानून के तहत उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता को बनाये रखने के लिये अपेक्षित है तािक अंशधारकों के मूल्यों को सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाया जा सके और उनके हितों की सुरक्षा की जा सके। बैंक ने निदेशक मण्डल में सिम्मिलित निदेशकों, अपने वरिष्ठ प्रबन्धन जिसमें वे व्यक्ति जो इसके स्थाई प्रबन्धन दल के सदस्य हैं, सिम्मिलित हैं और परिचालनकर्ता शीर्ष अधिकारियों के लिए एक आचार संहिता तैयार की है।

अच्छे कोरपोरेट गवरनैन्स के भाग के रुप में हर वर्ष वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर इसकी स्थिति रिपोर्ट भी निदेशक मण्डल के सम्मुख समीक्षा के लिए रखी जाती है।

कारपोरेट गवरनैन्स के अन्तर्गत "ग्रीन इनिसिएटिव"

'ग्रीन इनिसिएटिव' की शुरुआत कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा कारपोरेट गर्वनैन्स के एक भाग के रुप में की गई थी तािक इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा कागज रहित अनुपालन का कार्य किया जा सके। इससे दस्तावेज जल्दी भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं और डाक के आने—जाने में वैधानिक दस्तावेजों के खोने का भय नहीं रहता। इस सम्बन्ध में बैंक ने उन अंशधारकों को ई—मेल भेजना शुरु किया है जिन्होंने अपना ई—मेल पता बैंक में अंकित कराया है तथा बैंक की वैबसाइट से लिंक द्वारा उन्हें बैंक के प्रपत्रों जैसे—वार्षिक साधारण सभा का नोटिस, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य के अलावा निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि सम्मिलित हैं, उपलब्ध कराया है तािक बैंक के अंशधारकों के लिए वैधानिक प्रपत्रों की प्राप्ति अधिक सुविधाजनक हो सके।

मूल प्रबन्धकीय व्यक्ति

कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 203 में दिये गये प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ फाईनैन्शियल आफीसर (सी. एफ.ओ.) और कम्पनी सचिव मूल प्रबन्धकीय व्यक्ति की परिधि में आते हैं। चीफ आपरेटिंग आफीसर श्री नरेश भारद्वाज बैंक के चीफ फाईनैन्शियल आफीसर (सी.एफ.ओ.) मनोनीत हुए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों को अलग—अलग करने सम्बन्धी 'गांगुली कमेटी' की सिफारिशों से छूट प्रदान की है। During the year under review **-213-** staff members attended various training programs, seminars/workshops on the subject of immediate concern to the Bank.

CORPORATE GOVERNANCE

Bank recognizes the importance of corporate governance and has not only been complying with statutory requirements but in its endeavor to serve best to the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Public at large and has adhered to robust Corporate Governance practices. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to stick to highest level of transparency, all fair and accurate disclosures to the Government & Regulatory Authorities and other Stakeholders', as required under relevant laws, to maintain a high level of business ethics to maximize shareholders' value and to protect their interest. The Bank has formulated a Code of Conduct for Directors on the Board and its Senior Management including personnel's forming Core Management Team and functional heads of the Bank.

As a part of good Corporate Governance, a status report is also placed before the Board each year at the commencement of Financial Year for Board's review.

GREEN INITIATIVE UNDER CORPORATE GOVERNANCE

"GREEN INITIATIVE" was introduced by The Ministry of Corporate Affairs as a part of Corporate Governance, in order to promote paperless compliances through electronic mode. This is to facilitate early communication of the documents and evade loss of statutory documents in postal transit. In this regard, we have initiated to send e-mail to the shareholders' who have registered their e-mail addresses with the Bank and facilitating them with a link on the Bank's website, providing free access to documents of the Bank e.g. Notice of Annual General Meeting, Annual Report of the Bank which, inter-alia, includes Directors' Report and Auditors' Report etc in order to make it more convenient to the shareholders of the Bank to access its Statutory documents.

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

In terms of provisions contained in Section 203 of The Companies Act 2013, Chairman and Chief Executive Officer, Chief Financial Officer (CFO) and Company Secretary have been the persons falling within the ambit of Key Managerial Personnel. Chief Operating officer Mr. Naresh Bhardwaj has been nominated as Chief Financial Officer (CFO) of the Bank.

Reserve bank of India has exempted the Bank from 'Ganguly Committee' Recommendations pertaining to separating post of Chairman and Managing Director/Chief Executive officer.





निदेशक मंडल

निदेशक मण्डल की संरचनाः निदेशक मण्डल का गठन कम्पनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के सम्बन्धित प्रावधानों, भा.रि.बैं. के निर्देशों और कारपोरेट गर्वनैन्स की अपेक्षाओं के अनुरुप हुआ है। जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में विनिर्दिष्ट है निदेशक मण्डल के सदस्य सम्माननीय, कुशल, अनुभवी एवं विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, वित्त, कानून, कृषि क्षेत्र, एकाउन्टैन्सी और अन्य क्षेत्रों का ज्ञान रखते हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना

कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 177 के अनुसार बैंक की लेखा परीक्षा समिति (रिपोर्टिंग की दिनांक को) की संरचना निम्नानुसार है:—

1.	श्री नीरज शारदा	अध्यक्ष
2.	श्री एस. ज्ञानवेल	सदस्य
3.	श्री एस.जी. राव	सदस्य
4.	श्री अतुल कुमार अग्रवाल	सदस्य
5.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य
6.	डॉ. (श्रीमती) के. के. शर्मा	सदस्य
	चीफ आपरेटिंग आफीसर	संयोजक

कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 और समय—समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—िनर्देशों के साथ पढ़ा जाये के अनुसार बैंक के निदेशक मण्डल की विभिन्न अन्य समितियां हैं— मैनेजमैंन्ट कमेटी आफ बोर्ड, मैनेजमैंन्ट कमेटी आफ बोर्ड (ए. एल.एम. एण्ड रिस्क मैनेजमैंन्ट), नोमिनेशन एण्ड रेमूनरेशन कमेटी आफ बोर्ड, कस्टमर सर्विस कमेटी आफ बोर्ड, स्टेकहोल्डर्स रिलेशनिशप कमेटी आफ बोर्ड, आई.टी.स्ट्रेटेजी कमेटी आफ बोर्ड और लार्ज वैल्यू फ्रौड्स कमेटी आफ बोर्ड।

वित्तीय वर्ष 2014—15 के दौरान बोर्ड की विभिन्न उपसमितियों की अनेक बैठकों के अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम 2013 में दिये गये सम्बन्धित प्रावधानों के अनुरुप निदेशक मण्डल की कुल —7— बैठक हुईं।

समीक्षित अवधि के दौरान निदेशक मण्डल की संरचना में परिवर्तन हुआ है। श्री एच.एस.क्लेर और श्री ई.एच.रहिमन, निदेशकों ने निदेशक मण्डल से त्याग पत्र दिया।

बैंक, श्री एच एस क्लेर और श्री ई.एच.रिहमन, जिनके कार्यकाल में बैंक ने प्रगति की नई ऊँचाईयां हासिल कीं, के प्रति उनके द्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में दिये गये बहुमूल्य योगदान एवं सहयोग के लिये कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है तथा इसे रिकार्ड में अंकित करता है।

BOARD OF DIRECTORS

Composition of Board: The Constitution of the Board is in conformity with relevant provisions of The Companies Act, 2013, The Banking Regulation Act, 1949, RBI directives and Corporate Governance requirements. The Board members are persons of repute, skill having experience & knowledge in various sectors such as Banking, finance, accountancy, law, agriculture & other areas as specified under The Banking Regulation Act, 1949.

COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE OF BOARD

In terms of section 177 of The Companies Act, 2013, the composition of the Audit committee of the Board [on the date of reporting] is as follows:

1.	Shri Neeraj Sharda	Chairman
2.	Shri. S. Gnanavel	Member
3.	Shri S.G. Rao	Member
4.	Shri Atul Kumar Aggarwala	Member
5	Shri Mradul Kumar Agarwal	Member
6.	Dr. (Mrs.) K.K Sharma	Member
	Chief Operating Officer	Convener

Various other Sub-Committees of the Board of the Bank are: Management Committee of Board, Management Committee of Board (ALM & RISK Management), Nomination & Remuneration Committee of Board, Customer Service Committee of Board, Stakeholders' Relationship Committee of Board, IT Strategy Committee of Board and Large Value Frauds Committee of Board in accordance with the relevant provisions of The Companies Act, 2013 read with Banking Regulation Act, 1949 and Reserve Bank of India Guidelines, issued from time to time.

During the Financial Year 2014-15, total -07-meetings of the Board of Directors were held in compliance of relevant provisions of Companies Act, 2013, in addition to several meetings of various Sub-Committees of Board.

The composition of Board has changed during the period under report. Mr. H. S. Kler and Mr. E. H. Rahiman Directors resigned from the Board.

The Board gratefully acknowledges and places on record the valuable contribution and support of Mr. H. S. Kler and Mr. E. H. Rahiman as Director of the Bank, under whose stewardship the Bank attained new heights of progress.



कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अन्तर्गत सूचना —निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य —

निदेशक मंडल एतदद्वारा यह विवरण देता है कि-

- यह व्यक्त किया जाता है कि वार्षिक खातों की तैयारी के लिये लागू मानकों का पालन किया गया है ताकि बैंक के कार्यकलापों की सही और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत की जा सके।
- पुनः, यह व्यक्त किया जाता है कि आपके बैंक ने उन लेखा नीतियों को चुना है तथा उन पर अमल किया है जो हमारे निर्णय और आकलन के अनुसार उचित एवं विवेकसम्मत हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य—कलापों तथा उक्त अविध में बैंक के लाम की सही एवं वास्तविक स्थिति को दर्शाती हैं।
- पुनः, निदेशकों ने खातों के अभिलेखों की देख-रेख के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है ताकि बैंक की आस्तियां सुरक्षित रहें तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम हो सके।
- पुनः बैंक ने सभी प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनििश्चत
 करने के लिये उचित व्यवस्था अपनायी है। यह व्यवस्था पर्याप्त है तथा
 प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।
- पुनः यह व्यक्त किया जाता है कि निदेशकों ने वार्षिक खातों को चालू कारोबार आधार पर तैयार किया है।

वार्षिक विवरणी

निदेशक मण्डल एतद्द्वारा यह पुष्टि करता है कि बैंक की वार्षिक विवरणी निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत रिजस्ट्रर आफ कम्पनीज के कार्यालय में जमा कर दी गई।

लाभांश

आपके निदेशक 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 22 प्रतिशत के लाभांश की संस्तुति करते हैं। यदि इसकी अनुमित मिलती है तो वर्ष 2014—15 के लाभांश पर रु.2.97 करोड़ के लाभांश कर सहित रु. 17.82 करोड़ व्यय होगा।

जोखिम प्रबन्धनः

स्थायी और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने एक व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित की है तािक बैंक द्वारा अनुमानित जोखिमों का लगातार और व्यवस्थित आकलन व मॉनिटरिंग की जा सके। यह उल्लेखनीय है कि जोखिम प्रबन्धन प्रणाली सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी बैंक के निदेशक मंडल पर है। प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए नियंत्रक रुपरेखा बनाने के प्रयोजन से निदेशक मंडल अथवा बोर्ड समिति द्वारा समय—समय पर नीितयां अनुमोदित की जाती है। इन नीितयों के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। विभिन्न जोखिमों के निर्धारण, मूल्यांकन तथा प्रबंधन की प्रक्रिया संक्षेप में निम्नानुसार है।

INFORMATION U/S 134 (5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 - DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors hereby state that:

- It is stated that for preparation of annual accounts, the applicable accounting standards have been followed so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank.
- It is further stated that your Bank has opted such accounting policies and applied them consistently, which in Bank's judgments and estimates are reasonable and prudent and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the said period.
- Further, the Directors had taken proper and adequate care for the maintenance of accounts and records in accordance with the provisions of The Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Bank and for prevention and detection of fraud and other irregularities.
- Further, the Bank has devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.
- It is further stated that Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

ANNUAL RETURN

The Board of Directors hereby confirms that Annual Return of the Bank was filed with the office of Registrar of Companies concerned within stipulated prescribed time.

DIVIDEND

Your Directors recommend dividend of 22% for the year ended 31st March, 2015. Total dividend outgo for the year 2014-15, if approved, would be ₹ 17.82 crore including dividend tax for ₹ 2.97 crore.

RISK MANAGEMENT

To ensure sustainable and consistent growth, your Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored continuously. It may be noted that the ultimate responsibility for setting up the risk management framework lies with the Board of the Bank. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk. The business activities are undertaken within these policy frameworks. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within your Bank is as follows.



निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report

आस्ति देयता प्रबन्धन (एएलएम)

आपके बैंक के आस्ति देयता प्रबन्धन (एएलएम) का लक्ष्य नीतिपरक योजना बनाना, कार्यांवयन तथा नियंत्रण प्रक्रिया है जो बैंक की आस्तियों व देयताओं की मात्रा, मिश्रण, परिपक्वता, दर की संवेदनशीलता, गुणवत्ता तथा तरलता पर लक्षित है, जिसके द्वारा, यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसका प्रतिफल लिए गए जोखिम के स्तर के अनुरुप है।

आपके बैंक में, तरलता जोखिम दो दृष्टिकोणों से मापा तथा मॉनीटर किया जाता है— प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण। ब्याज दर जोखिम का आंकलन तथा मॉनीटरिंग पारम्परिक अंतराल अप्रोच (जोखिम पर आय) तथा आविधक अंतराल अप्रोच (इक्विटी का बाजार मूल्य) दोनों माध्यम से किया जाता है।

ऋण जोखिम

आपके बैंक का ऋण जोखिम प्रबन्धन एक विस्तृत और सुपरिभाषित ऋण नीति से संचालित है जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। ऋण संविभागों में अविवेकी जमाव को नियत्रित करने के प्रबंधन करने हेतु आपके बैंक ने उद्योगों, सेक्टरों और ऋणकर्ताओं के लिए विवकेशील उच्च सीमाएं तय कर रखी हैं। ऋण जोखिम की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम का तात्पर्य बाजार दरों अथवा मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण आर्थिक मूल्य अथवा अर्जन की हानियों से है। बाजार जोखिम के स्रोत निम्नानुसार गिने जा सकते हैं :--

- ब्याज दर जोखिम
- इिक्वटी कीमत जोखिम

आपके बैंक ने अपनी ट्रेजरी गतिविधियों को मॉनीटर एवं नियंत्रण करने की स्पष्ट नीतियां बनायी हैं। बाजार जोखिम का आकलन मानकीकृत विधि से किया गया है।

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक परिचालन प्रक्रिया, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाला जोखिम है। इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं। परिचालन जोखिम का आकलन मूलभूत सूचक प्रणाली से किया गया है।

तरलता कवरेज अनुपात

आपके बैंक ने तरलता मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क को— तरलता कवरेज अनुपात, तरलता जोखिम मॉनिटरिंग टूल्स और एलसीआर घोषणा मानकों के लिए कार्यान्वित कर दिया है। एलसीआर मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण गंभीर दबाव परिवेश में, 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके। एलसीआर और मॉनीटरिंग टूल्स सभी भारतीय बैंकों के लिए स्टेंड

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

Your Bank's Asset Liability Management (ALM) is aimed at strategic planning, implementation, and control processes that affect the volume, mix, maturity, rate sensitivity, quality, and liquidity of the Bank's assets and liabilities, thereby ensuring that the returns are commensurate with the level of risk taken.

In your Bank, the liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock approach. For measurement and monitoring of Interest rate risk, both Traditional gap approach (Earnings at Risk) and Duration gap approaches (Market Value of Equity) are followed.

CREDIT RISK

Your Bank's Credit Risk management is governed by a comprehensive and well-defined Credit Policy which is approved by the Board. To manage the undue concentration risk in the portfolios, the Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. Standardized Approach is being used for calculating credit risk.

MARKET RISK

Market Risk is the "risk" of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices. The sources of market risk may be enumerated as under :-

- Interest rate risk
- Equity price risk

Your Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. The market risk is calculated using Standardized Approach.

OPERATIONAL RISK

Operational Risk implies the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks. The Operational Risk is calculated using the Basic Indicator Approach.

LIQUIDITY COVERAGE RATIO

Your Bank has implemented Basel III Framework on Liquidity Standards – Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by the RBI. The LCR and monitoring tools is applicable since January 2015 for Indian banks at whole bank level only i.e.



अलोन आधार पर शाखाओं के माध्यम से विदेशी परिचालन सहित पूरे बैंक हेतु जनवरी 2015 से लागू है और मार्च, 2016 से यह समेकित आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

बेसल III कार्यान्वयनः

बेसल III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकों द्वारा 1 अप्रेल 2013 से किया गया है। बेसल III में सरलता से पारगमन के लिए पूंजी आवश्यकता के अनुरुप समुचित पारगमनीय व्यवस्था की गई है और न्यनतम बेसल III पूंजी अनुपातों व पूंजी के घटकों से सम्बन्धित पूर्ण नियामकीय समायोजन की प्राप्ति के लिए वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के साथ घोषित करने हेतु सभी आवश्यक घोषणाएं समेकित स्तर पर की गई हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा और दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है। बैंक लघुतम नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं की पर्याप्त उपलब्धता के साथ नियामकीय मानदंडों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट को इस रिपोर्ट का भाग बनाया गया हैं। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 व कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं बैंककारी कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधि से दी गई हैं तथा यह 31 मार्च, 2015 को बैंक के कामकाज की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष के दौरान केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया क्यों कि वर्तमान केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र थे और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में अपेक्षित अनुमति प्रदान कर दी थी।

जहां तक शाखा की सांविधिक लेखा परीक्षा का सम्बन्ध है, 26 लेखा परीक्षक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र थे, उन्हें लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया और लेखा परीक्षण के कार्य के लिए 15 नये लेखा परीक्षक नियुक्त किये गयें।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने यह पुष्टि की है कि तुलनपत्र और लाम—हांनि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानां, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार तैयार किये गये हैं। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि इस सम्बन्ध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30 के उपनियम 7 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के प्रावधानों का भी अनुपालन किया गया है। बैंक द्वारा इन्वेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड में आवश्यक धनराशि को अंतरित करने में कोई विलंब नहीं किया गया है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

नैनीताल बैंक लिमिटेड द्वारा अच्छी कॉरपोरेट प्रक्रिया का पालन और प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के विभिन्न पहलुओं की लेखा परीक्षा हेतु सुश्री नम्रता श्रीवास्तव, कम्पनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखा on a stand-alone basis including overseas operations through branches and from March 2016, this shall be implemented on Consolidated basis

BASEL III IMPLEMENTATION

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to Basel III, appropriate transitional arrangements have been made with capital requirement and disclosures at consolidated level which are to be disclosed with the publication of financial results have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. The bank is fully equipped to comply with the regulatory norms with reasonable cushion over the minimum regulatory capital requirements.

STATUTORY AUDITORS

The appended Auditors Report is made part of this Report. Auditors Report contains all the information required by The Banking Regulation Act, 1949 as well as The Companies Act, 2013, in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2015.

It is submitted that no changes was made in respect of Central Statutory Auditors during the year, as existing Central Statutory Auditors were eligible for re-appointment and required approval was granted by Reserve Bank of India in this regard.

As regards, Branch Statutory Audit, **26** Auditors were eligible for re-appointment and were assigned the audit job and **15** fresh Auditors were appointed for audit work.

The Central Statutory Auditors have confirmed that the Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. They also confirmed compliance of sub section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949 as well as section 143(3) of the Companies Act, 2013. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

SECRTARIAL AUDIT

Ms. Namrata Srivastava, Practicing Company Secretary was appointed as the Secretarial Auditor for the Financial Year 2014-15, in respect to audit various aspects of compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate



परीक्षक ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में नैनीताल बैंक लिमिटेड, (बैंककारी कम्पनी) द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके अर्न्तगत दिये गये नियमों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 और भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये बही, प्रपत्र, कार्यवृत पुस्तिका, जमा की गई विवरणियों और तैयार किये गये अन्य रिकार्ड तथा जहां कहीं प्रयोज्य हो निम्नलिखित के सम्बन्ध में जांच की:—

- (क) विविध सांविधिक रजिस्टर और दस्तावेजों का रख—रखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टि।
- (ख) फार्म, विवरणी, दस्तावेज और प्रस्ताव जिन्हें रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, कम्पनी लॉ बोर्ड या अन्य अधिकारियों के सम्मुख फाईल किया जाना अपेक्षित है।
- (ग) बोर्ड और निदेशकों की विभिन्न समितियों की बैठकों के नोटिस।
- (घ) निदेशकों और निदेशकों की सभी समितियों की बैंठकें और परिपत्र से पारित प्रस्ताव।
- (ङ) वार्षिक साधारण सभा, जो 20 सितम्बर, 2014 को हुई, को आहूत करने का 13 अगस्त, 2014 का नोटिस।
- (च) बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों और सामान्य बैठकों की कार्यवाही का कार्यवृत्त।
- (छ) निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों का संघठन और निदेशकों जिनमें प्रबन्ध निदेशक और कार्यकारी निदेशक भी सम्मिलित हैं की नियुक्ति, निवृत्ति और पुनर्नियुक्ति।
- (ज) सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और मानदेय।
- (झ) आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए निरीक्षण विभाग की समिति का गठन।
- (ञ) कम्पनी के शेयरों का अन्तरण और संचरण, शेयरों को जारी और आबंटित करना और शेयर सर्टिफिकेटों की सुपुर्दगी।
- (ट) लाभांश की घोषणा और भुगतान।
- (ठ) जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित है, इन्वैस्टर एजूकेशन एवं प्रोटेक्शन निधि में राशि का अन्तरण।
- (ड) निदेशक मंडल की रिपोर्ट।
- (ढ) 31 मार्च, 2014 के तुलनपत्र को प्रकाशित करवाना और उन महत्वपूर्ण विवरणियों को फाइल करना जैसे— बैंक की तरल आस्तियां और देयताएं, फार्म—8 जिन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना है।
- (ण) इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया द्वारा जारी सेक्रेटेरियल मानकों के प्रयोज्य प्रावधानों का अनुपालन।

practices by The Nainital Bank Limited. The Secretarial Auditor examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by The Nainital Bank Limited ("the Banking Company") for the financial year ended on 31st March, 2015 according to the provisions of, The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under; The Banking Regulation Act, 1949 & RBI Act, 1934 as and where applicable with regard to-

- a. Maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
- Forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, Company Law Board or other authorities;
- Notice of Board and various Committee meetings of Directors;
- d. Meetings of Directors and all the Committees of Directors and passing of circular resolutions;
- e. Notice dated 13th August, 2014 for convening of Annual General Meeting which was held on 20th September 2014:
- f. Minutes of the proceedings of the Board Meetings,
 Committee Meetings and General Meetings;
- g. Constitution of the Board of Directors, Committees of Directors and appointment, retirement and reappointment of Directors including Managing Directors and Executive Directors;
- Appointment and remuneration of Statutory & Internal Auditors;
- Constitution of inspection department committee for conducting internal audit;
- j. Transfer and transmission of the Company's shares, issue and allotment of shares and issue and delivery of certificates of shares;
- k. Declaration and payment of dividend;
- Transfer of amounts as required under the Act to the Investor Education and Protection Fund;
- m. Report of the Board of Directors;
- n. Publishing of Balance sheet as on 31st March, 2014 & filing of important returns which are to be submitted to the RBI such as return of Bank's Liquid Assets & Liabilities, form 8, as per the Banking regulation Act, 1949
- Compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of the Company Secretaries of India



(त) सामान्यतः अधिनियम के अन्य सभी प्रयोज्य प्रावधान और उसके अन्तर्गत नियम।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने पुष्टि की कि समीक्षित अवधि के दौरान कम्पनी ने सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा—निर्देशों, मानकों आदि का जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है और जो बैंककारी कम्पनी पर लागू होते हैं, निम्नलिखित प्रेक्षण के आधीन सामान्यतः अनुपालन किया है:—

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 135 के अनुसार नैनीताल बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह सी.एस.आर. समिति का गठन करे। तद्नुसार जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित है, सी.एस.आर. समिति गठन की प्रक्रिया चल रही है। कमेटी के गठन में विलम्ब प्रथमदृष्ट्या इसलिये हुआ है क्योंकि बैंकों ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया कि उन्हें सी.एस.आर. क्षेत्र से बाहर रखा जाय। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सितम्बर, 2014 में बैंकों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस सूचना की प्राप्ति के बाद सी.एस.आर. समिति के गठन से सम्बन्धित मामला निदेशक मएडल के सम्मुख उसकी 22-11-2014 की बैंडक में रखा गया । निदेशक मण्डल ने मामले में विचार करते हुए निदेशित किया कि "बैंक को चाहिए कि वह बैंक आफ बड़ौदा की सी. एस.आर. नीति की एक प्रति प्राप्त करे और इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश / राय प्राप्त करे कि क्या इससे सम्बन्धित प्रावधान बैंक पर लागू होते हैं और उसके बाद विचार किये जाने हेतू नया प्रस्ताव रखें" । निदेशक मंडल के निर्देशों का पालन करते हुए मामला कम्पनी द्वारा बैंक आफ बड़ौदा को भेजा गया है जहां से इस मामले में दिशा-निर्देशक / राय अभी प्रतीक्षित है। कम्पनी ने सूचित किया है कि सी.एस.आर. समिति के गठन से सम्बन्धित मामले और नीति को आगामी बैठक में निदेशक मंडल के सम्मुख रखा जायेगा। यह नोट किया गया है कि प्रावधानों का आंशिक अनुपालन करते हुए बैंक ने पहले ही सामाजिक कार्यकलापों जैसे खेलों, शिक्षा, पर्यावरण और जानवरों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये भुगतान / दान दिया है ।
- (ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खण्ड 5(क) के प्रावधान के अनुसार मेमोरेन्डम आफ एसोसिएशन और आर्टिकल आफ एसोसिएशन के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची—1 को अंगीकार करना नैनीताल बैंक लिमिटेड से सम्बन्ध नहीं रखता है।
- (iii) अभिलेखों से प्रकट होता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के उलंघन के लिए कोई कारण बताओं नोटिस या अभियोजन नैनीताल बैंक लिमिटेड के विरुद्ध जारी नहीं हुआ है।
- (iv) हमने 11-04-2015 को हुई आडिट कमेटी की मीटिंग के सम्मुख रखी चीफ कम्पलाइन्स आफीसर द्वारा तैयार कम्पलाइन्स रिर्पोट की जांच भी की। जो यह बताती है कि भारत सरकार, विनियामक भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्राधिकारियों द्वारा सभी अपेक्षित अनुपूर्तियों का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के भीतर हुआ है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा यह पुष्टि भी की गई कि कम्पनी का निदेशक मण्डल कार्यकारी निदेशकों, गैर—कार्यकारी निदेशकों और स्वतन्त्र निदेशकों के उचित सन्तुलन के साथ भलीभांति गठित है। निदेशक मण्डल के संगठन p. Generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules there under.

The Secretarial Auditor confirmed that during the period under review, the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above and applicable upon a Banking Company, subject to the following observations:

- (i) According to Section 135 of Companies Act 2013, The Nainital Bank Limited is required to have the CSR Committee and is in the process of forming the CSR Committee as required by the Act. Delay in formation of committee is prima facie caused due to reference to finance ministry by Banks to exclude from the Scope of CSR. The Finance Ministry Government of India in later September 2014 did not accede to request of banks. After receipt of this information the matter relating to the constitution of the CSR Committee was placed before the Board in its meeting dated 22.11.2014. However the board while considering the matter directed as under "The bank should obtain a copy of CSR policy of Bank of Baroda and should seek guidance/ opinion whether relevant provisions in this regard are applicable upon the bank and thereafter place a fresh note for consideration of the Bank." In compliance of the direction of Board of Director the matter has been referred by the Company to Bank of Baroda whereas guidance /opinion on this matter are still awaited. The Company has informed that the matter shall be placed relating to constitution of CSR Committee and policy shall be placed before the Board in forthcoming meeting. It has been noted that in partial compliance of the provision the bank has already made payments/donation for the social activities such as promotion of sports, education, environment & animal protection.
- (ii) In view of the provision of Section 5A of the Banking Regulation Act, 1949, the adoption of Schedule - I of the Companies Act, 2013 for Memorandum of Association and Articles of Association is not relevant to The Nainital Bank Limited.
- (iii) Record reveals no show cause notice or prosecution for violation of provisions of the Companies Act, 2013 has been initiated against The Nainital Bank Limited.
- (iv) We have also examined the Compliance Report furnished by the Chief Compliance officer before the Audit Committee meeting held on 11.04.2015, which conforms that compliances required by the Government of India, the regulator Reserve Bank of India and other authorities have been complied within prescribed time limit.

It was further confirmed by the Secretarial Auditor that the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors. Non-Executive Directors and



में समीक्षा अवधि के दौरान जो भी परिवर्तन हुआ वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (जहां कहीं वे प्रयोज्य हों) के अनुरुप है। समस्त निदेशकों को निदेशक मण्डल की बैठक सुनिश्चित करने के लिए नोटिस, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गये और सम्बंधितों द्वारा बैठक से पहले कार्यसूची के मदों पर आगे और सूचनाएं और स्पष्टीकरण चाहने और प्राप्त करने की एक व्यवस्था है ताकि वे बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता कर सकें।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने पुनः यह पुष्टि की कि कम्पनी में उसके आकार और परिचालन के अनुरुप प्रयोज्य कानून, नियम, विनियमन और दिशा निर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त प्रक्रिया और व्यवस्था है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दि नैनीताल बैंक लिमिटेड ने 8 मई, 2015 को हुई अपने निदेशक मण्डल की बैठक में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) समिति गठित कर ली है और बैंक की सी.एस. आर. नीति को अनुमोदित किया गया है। तथापि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने सी.एस.आर. के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरुप प्रस्तावित पात्र सामाजिक कार्यों पर रु.1,73,000 /-खर्च किये। बैंक को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुरुप सी.एस.आर. के अन्तर्गत पात्र प्रस्ताव पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हुए, परिणामतः इस सम्बन्ध में कम व्यय हुआ। सी.एस.आर. कमेटी अब पूरी तरह कार्य कर रही है और चाल वित वर्ष के दौरान सांविधिक प्रावधानों का पालन करेगी।

आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को महत्वपूर्ण दिशानिर्देश एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल बैंक ऑफ बडौदा के प्रति भी उसके द्वारा सभी महत्वपूर्ण मुददों पर दिये गये बहुमूल्य दिशा निर्देश एवं उचित समय पर सहयोग के लिए, जिसके बिना वर्तमान परिणाम प्राप्त करना संभव न होता, कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल बैंक के सम्माननीय अंशधारकों, ग्राहकों और अन्य सभी के प्रति उनके सतत संरक्षण के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की उसके द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं के लिए भी प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल भारतीय बैंक संघ के प्रति भी उनको भेजे गए मसलों पर उनके सहयोग एवं दिशा-निर्देश के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उसके लिए.

ह0 /-एस. के. गुप्ता अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नैनीताल दिनांक : 04 / 06 / 2015

Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and Companies Act, 2013 wherever Applicable. Required notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

It was further confirmed by the Secretarial Auditor that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

The Members are informed that The Nainital Bank Limited, in its Board Meeting held on May 08, 2015 had constituted Corporate Social Responsibility (CSR) Committee and approved Corporate Social Responsibility Policy of the Bank. However, during the financial year 2014-15, the Bank spent ₹ 1, 73,000.00 only towards eligible social causes under CSR, for the proposals which conforms provisions of The Companies Act 2013. The Bank did not receive adequate eligible proposals under CSR, conforming provisions of The Companies Act 2013, consequently resulting in lesser spending in this regard. The CSR Committee is now fully functional and shall abide statutory provisions during current financial year.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors expresses its sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India for the valuable guidance and support. The Board also acknowledges with gratitude and especially thanks Bank of Baroda for their valuable guidance and well-timed support on all vital issues, without which it would not have been feasible for the Bank to achieve present growth. The Board also records its sincere gratitude to the Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation for every employee of the Bank for their dedicated service.

The Board of Directors place on records the support and guidance received from IBA on the issues referred by the Bank.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-S. K. GUPTA **CHAIRMAN & C.E.O**

PLACE: Nainital DATED: 04/06/2015



बेसल III पिलर 3 प्रकटीकरण (31.03.2015)

सारणी डीएफ- 1: लागू किये जाने का दायरा

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम, जिस पर यह ढांचा लागू होता है-

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

- (i) गुणात्मक प्रकटीकरण
- क. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह हस्तियों की सूची ऐसी कोई हस्ती नहीं है जिसे समेकन हेतु विचार में लिया जा सके।

Basel III Pillar 3 Disclosures (31.03.2015)

TABLE DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the banking group to which the framework applies:

The Nainital Bank Ltd.

- (i) Qualitative Disclosures:
- a. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered under accounting scope of consolidation.

Name of the entity/ (Country of Incorportion)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
संस्था का नाम / निगमन देश शून्य / Nil	क्या उस हस्ती को समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उसे हस्ती को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीके में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही दायरे में समेकित किया गया हो, तो उसके कारण स्पष्ट करें।

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार में न लिए गए समूह हस्तियों की सूची ।

ऐसी कोई समूह हस्ती नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु लिया गया हो ।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ग. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह हस्तियों की सूची

ऐसी कोई समूह हस्ती नहीं है जिसे समेकन हेतु विचार मे लिया जा सके।

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजी में किमयों की सकल राशि जिसे समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया है:

बैंक की ऐसी कोई अनुषंगी नहीं है इसलिए किसी अनुषंगी में पूंजी के अभाव का अवसर नहीं है।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशियां (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

बैंक किसी बीमा संस्था में कोई हित लाभ नहीं रखता है।

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियां या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं।

कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no entities in the group which are considered for consolidation under both accounting and regulatory scope of consolidation.

- (ii) Quanitative Disclosures:
- c. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered for consolidation.

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

Bank dose not have any subsidiary as such there is no scope of capital deficiency in any of subsidiary.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are riskweighted

The bank has no interest in insurance entity.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction.



सारणी डीएफ-2 : पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक ने एक संतुलित जोखिम प्रबन्धन संरचना बनाई है जिसमें पूंजी को इष्टतम बनाने और लाभ को सर्वाधिक करने, अर्थात् उपलब्ध पूंजी से सर्वाधिक व्यवसाय करने जिससे बदले में सर्वाधिक लाभ या इक्विटी से वापसी होगी, पर ध्यान केन्द्रित किया है। बैंक बेसल III की रुपरेखा के अनुसार वैश्विक रुप से स्वीकृत मजबूत जोखिम व्यवस्था, जो संसाधनों के कुशल, साम्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आवंटन में सक्षम है, का अनुसरण कर रहा है।

पूंजी योजना प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:--

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता
- व्यावसायिक रणनीति और जोखिम प्रवृत्ति के संबंध में लक्षित और धारणीय पूंजी

पूंजी की आवश्यकता की निगरानी शीर्षस्थ कार्यपालकों की जोखिम प्रबन्धन समिति करती है। पूंजी की आवश्यकता का अग्रिमों, निवेशों में वृद्धि की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है।

जमाकर्ताओं एवं लेनदारों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से बैंक एक्सपोजरों, कारोबारों इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम को संभालने के लिए पूंजी बनाये रखता है। उसकी सभी जोखिमों के व्यापक मूल्यांकन एवं उसे प्रलेखित करने तथा उसके लिए पूंजी के आवंटन की पुष्टि हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मुल्यांकन नीति (ICAAP) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धित, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धित तथा सीआरआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आविधक पद्धित अपनायी है।

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक जरूरतें तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी, पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजीगत आयोजन की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता।
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूंजी।
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।

TABLE DF-2: CAPITAL ADEQUACY

(i) Qualitative Disclosures

a. The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

- · Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital needs are monitored periodically by the Risk Management Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected annually considering the expected growth in advances, investments.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- · Current capital requirement of the bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.



(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्रम. सं.	मद	(राशि करोड़ रु. में) 31.3.2015
(ख)	ऋण जोिखम के लिए पूंजी अपेक्षाएं	
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	226.44
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाए	
	• मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण	47.38
	• ब्याज दर जोखिम	20.28
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	
	• इक्विटी जोखिम	27.10
(घ)	परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं	
	• मूल संकेतक दृष्टिकोण	29.07
(ङ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी गत अनुपात :	
•	समेकित समूह के लिए CRAR	
	• सीईटी 1 अनुपात	
	• टियर 1 अनुपात	
	• टियर 2 अनुपात	
	• सीआरएआर	
	स्टेन्ड लोन सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	14.41%
	• टियर 1 अनुपात	14.41%
	• टियर 2 अनुपात	0.45%
	• सीआरएआर	14.86%

सारणी डीएफ-3: ऋण जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) ऋण आस्तियों को वगीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति हैं :—

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए): गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ –

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अविध के लिए ब्याज तथा / या मूलधन की किश्त, अतिदेय हो जाती है।
- ओवर ड्राफ्ट / नकद उधार (ओडी / सीसी) के संबंध में खाता अनियमित (आउट ऑफ आर्डर) रहा है।
- खरीदे गए तथा बहे खाते डाले गए बिलों के संदर्भ में 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया अतिदेय बिल।

(ii) QUANTITATIVE DISCLOSURES

SI.		Items	Amount (in crores)
			31.3.2015
(b)	Са	pital requirements for Credit Risk	
	•	Portfolios subject to Standardized Approach	226.44
	•	Securitization Exposures	
(c)	Са	pital requirements for Market Risk	
	•	Standardized Duration Approach	47.38
		Interest Rate Risk	20.28
		 Foreign Exchange Risk (including Gold) 	
		Equity Risk	27.10
(d)	Ca Ris	pital requirements for Operational sk	
	•	Basic Indicator Approach	29.07
(e)		mmon Equity Tier 1, tier 1 and Total pital ratios:	
	•	Group CRAR	
		CET 1 Ratio	
		Tier 1 Ratio	
		Tier 2 Ratio	
		• CRAR	
	•	Stand alone CRAR	
		CET 1 Ratio	14.41%
		Tier 1 Ratio	14.41%
		Tier 2 Ratio	0.45%
		• CRAR	14.86%

TABLE DF-3: CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,



- अल्पाविध फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज दो फसली मौसमों से अतिदेय हो जाता है।
- लम्बी अवधि की फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज एक फसली मौसम से अतिदेय हो जाता है।

किसी भी ओ.डी. / सी.सी. खाते को उस स्थिति में "अनियमित" खाता माना जाता है जब खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि निरन्तर रूप से बकाया रहती हो। उन मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहां तुलन—पत्र की तारीख को निरन्तर 90 दिनों से कोई जमा न किया गया हो या जमा की गई राशि उसी अवधि में लगाये जा रहे ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त न हो ऐसे खाते अनियमित समझे जाते हैं।

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी राशि को उस स्थिति में "अतिदेय" माना जाता है जब इसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख को भुगतान नहीं किया जाता है।

बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

अवमानक आस्तियां

अवमानक अस्ति से अभिप्राय, ऐसी अस्तियों से है जो 12 महीनों या उससे कम समय से गैर निष्पादक आस्ति रही हो। वसूली संबंधी सभी उपाय—अवमानक अस्तियों से भी सम्बंधित हैं। यदि सम्पूर्ण अतिदेय नकद वसूली के रूप में प्राप्त हो जाता है तो खाते को तुरन्त ही मानक श्रेणी के अन्तर्गत अपग्रेड किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है तो उसे तकनीकी कारणों के संबंध में "क्लीयरेंस" प्राप्त होने पर अपग्रेड किया जायेगा।

संदिग्ध आस्तियां

किसी भी आस्ति को 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में संदिग्ध के रूप में वगीकृत किया जायेगा। ऐसे अवमानक तथा संदिग्ध । खाते जो पुनःसारणी बद्ध हो सकते हों / जिनकी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जा सकता हो को अवधि के दौरान खाते के संतोषजनक कार्य निष्पादन को देखते हुए उस तारीख जब ब्याज अथवा मूल राशि का प्रथम भुगतान किया गया हो तथा इनमें से जो भी पहले हो से एक वर्ष की अवधि के पश्चात उकत मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।

हानिकर आस्तियां

हानिकर आस्ति से अभिप्राय ऐसी आस्ति से है जहां हानि बैंक अथवा आंतिरिक अथवा बाहय लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो। हानि आस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया शेष / देयों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। चूंकि प्रतिभूति बैकअप उपलब्ध नहीं होता है अतः पुनर्निर्धारण / पुनर्स्थापन यदि यह आवश्यक हो तो इस पर अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

SUB STANDARD ASSETS

A sub standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

DOUBTFUL ASSETS

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

LOSS ASSETS

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.



ख-कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति है जो निम्नानुसार है :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋणकर्त्ताओं के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप और उद्योग के लिए एक्सपोजर सीमाएं।
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता।
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार।
- ऋण वितरण के संबंध में प्रक्रियाएं—स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना,
 मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली।
- मूल्य निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन संरचना और प्रणाली निम्नानुसार है:

ऋण जोखिम दर्शन :

- बैंक के ऋणों तथा उनसे प्राप्ति में अधिकाधिक वृद्धि करना तािक बैंक के संसाधनों की सुरक्षा व कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित होने के साथ सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों एवं शेयर धारकों को आर्थिक लाभ में बढोत्तरी हो।
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रिमक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनाये ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करना ताकि संस्थागत वित्त के उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न ऋण खण्डों को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण स्विधा उपलब्ध करवाना।
- ऋण प्रबंधन की दक्षता जैसे स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही के उपाय को सुदृढ़ बनाना ताकि बैंक में स्वस्थ ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके।
- गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन एवं गित के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपालना के साथ ऋण प्रस्तावों पर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यवाही करना।
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य प्राधिकारियों द्वारा एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देशों, पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन पर दिये गये मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना।

STRATEGIES AND PROCESSES:

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- · Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

THE CREDIT RISK PHILOSOPHY, ARCHITECTURE AND SYSTEMS OF THE BANK ARE AS UNDER:

Credit Risk Philosophy:

- To Optimise the Credit and return envisaged in order that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely presanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.



बैंक की जोखिम प्रबंधन की संरचना और प्रणालियां :

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है।
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देख-रेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है।
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।
- ऋण विभाग निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान, माप, देखरेख तथा
 ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है।
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार किये गये जोखिम पैरामीटर्स तथा विवेकपूर्ण सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस को विकसित करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देख-रेख, समस्याओं की पहचान, किमयों में सुधार करना।
- तैयार किए गए नियमों और दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना करते हुए ऋण वितरण प्रणाली में सुधार लाना।

जोखिम रिर्पोटिंग और/अथवा आंकलन पद्धति का क्षेत्र व प्रकृति

बैंक में ऋण एक्सपोजर के लिए संतुलित ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली लागू है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना तथा इसके साथ ही बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमत लगाने में लचीलापन रखना शामिल है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) कुल सकल जोखिम एक्सपोजर

राशि करोड रु. में

विवरण	31.03.2015
निधि आधारित एक्सपोजर	2596.91
गैर निधि आधारित एक्सपोजर	111.27
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	2708.18

(ग) एक्सपोजरों का भौगोलिक वितरण

राशि (करोड़ रु. में)

एक्सपोजर	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर निधि आधारित एक्सपोजर
घरेलू परिचालन	2596.91	111.27
ओवरसीज परिचालन		
कुल	2596.91	111.27

ARCHITECTURE AND SYSTEMS OF THE BANK:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Risk Management function on a regular basis.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Department deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

THE SCOPE AND NATURE OF RISK REPORTING AND/ OR MEASUREMENT SYSTEM:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

(II) QUANTITATIVE DISCLOSURES

(B) TOTAL GROSS CREDIT RISK EXPOSURE

Amount (₹ in Crores)

Particulars	31.03.2015
Fund Based Exposures	2596.91
Non-fund Based Exposures	111.27
Total Gross Credit Exposures	2708.18

(C) GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amount (₹ in Crores)

Exposures	Fund Based	Non-fund
	Exposures	Based Exposures
Domestic operations	2596.91	111.27
Overseas operations		
Total	2596.91	111.27



घ) एक्सपोजरों का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण :

d) Industry Type Distribution of Exposures

	(राशि करोड़ में) / (₹ in			in Crores)
क्र.सं. Sr.N.	उद्योग Industry	निधि आधारित Fund based	गैर निधि आस्तियां Non Fund Based	कुल Total
A	खान एवं खनन / Minning and Quarrying	5.81		5.81
A.1	कोयला / Coal	0.00		0.00
A.2	अन्य / Other	5.81		5.81
В	फूड प्रोसेसिंग / Food Processing	190.61	0.55	191.16
B.1	चीनी / Sugar	0.00		0.00
B.2	खाने का तेल और वनस्पति / Edible Oils and Vanaspati	30.76		30.76
B.3	चाय / Tea	0.00		0.00
B.4	काफी / Coffee	0.00	0.00	0.00
B.5	अन्य / Others	159.85	0.55	160.40
С	पेय पदार्थ / Beverages	0.04		0.04
C.1	तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद / Tobacco and Tobacco Products	0.04		0.04
C.2	अन्य / Others	0.00		0.00
D	टैक्सटाईल / Textiles	23.55		23.55
D.1	सूती टैक्सटाईल / Cotton Textile	0.52		0.52
D.2	जूट टैक्सटाईल / Jute Textile	0.07		0.07
D.3	हैन्डीकाफ्ट / खादी / Handicraft/Khadi	11.36		11.36
D.4	सिल्क / Silk	0.00		0.00
D.5	ऊनी / Woollen	0.00		0.00
D.6	अन्य / Others	11.60		11.60
	टैक्सटाईल में से स्पिनिंग मिलों को / Out of D to Spinning Mills	0.00		0.00
E	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद / Leather and Leather Products	2.24		2.24
F	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद/Wood and Wood Products	0.00		0.00
G	कागज और कागज के उत्पाद / Paper and Paper Products	10.34		10.34
Н	पैट्रोलियम / Petroleum	1.03		1.03
ı	कैमिकल और कैमिकल उत्पाद / Chemicals and Chemical Products	17.51		17.51
l.1	फर्टिलाईजर / Fertilizers	0.60		0.60
1.2	दवाई एवं फार्मास्यूटिकल्स / Drugs and Pharmaceuticals	1.33		1.33
1.3	पैट्रो–कैमिकल्स / Petro-Chemicals	0.00		0.00
1.4	अन्य / Other	15.58		15.58
J	रबड़ प्लास्टिक और उनके उत्पाद / Rubber Plastic and their Products	24.56		24.56
K	कांच एवं कांच के उत्पाद / Glass and Glassware	2.18		2.18
L	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद / Cement and Cement Products	1.43		1.43



क्र.सं. Sr.N.	उद्योग Industry	निधि आधारित Fund based	गैर निधि आस्तियां Non Fund Based	कुल Total
М	मूलभूत धातु एवं धातु उत्पाद / Basic Metal and Metal Products	18.74		18.74
M.1	लोहा एवं इस्पात / Iron and Steel	15.78		15.78
M.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद / Other Metal and Metal Products	2.96		2.96
Ν	सभी इन्जीनियरिंग / All Engineering	47.70	10.20	57.90
N.1	इलैक्ट्रोनिक्स / Electronics	3.05		3.05
N.2	अन्य इन्जीनियरिंग / Other Engg	44.65	10.20	54.85
0	वाहन, वाहन के पुर्जे और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट / Vehicle, vehicle parts and Transport Equipments	4.34		4.34
Р	रत्न एवं आभूषण/Gems and Jewellery	0.00		0.00
Q	निर्माण / Construction	115.32		115.32
R	आधारभूत सुविधाएं / Infrastructure	149.08		149.08
R.1	यातायात सुविधाएं / Transport	79.33		79.33
R.1.1	रेलवे / Railways	0.00		0.00
R.1.2	सड़क यातायात / Roadways	79.33		79.33
R.1.3	वायु मार्ग यातायात / Aviation	0.00		0.00
R.1.4	जल मार्ग यातयात / Waterways	0.00		0.00
R.1.5	अन्य ट्रांसपोर्ट / Others Transport	0.00		0.00
R.2	ऊर्जा / Energy	0.00		0.00
R.2.1	विद्युत उत्पादन–संवहन–संवितरण / Electricity gen-trans-distribution	0.00		0.00
R.2.1.1	जिसमें से राज्य बिजली बोर्ड / Of which state electricity board	0.00		0.00
R.2.2	तेल / Oil	0.00		0.00
R.2.3	गैस / एल.एन.जी.(भण्डारण) एवं पाइपलाईन) / Gas/LNG (Storage and Pipelin	ne) 0.00		0.00
R.2.4	अन्य / Other	0.00		0.00
R.3	संचार / Telecommunication	0.00		0.00
R.4	अन्य / Others	69.75		69.75
R.4.1	वाटर सेनिटेशन / Water Sanitation	0.00		0.00
R.4.2	आधारभूत सामाजिक एवं वाणिज्यिक सुविधाएं Social and Commercial Infrastructure	69.75		69.75
R.4.3	अन्य / Others	0.00		0.00
S	अन्य उद्योग / Other Industries	48.13	9.05	57.18
	समस्त उद्योग (सकल)/ALL INDUSTRIES (Total)	662.61	19.80	682.41
	अवशिष्ट अन्य अग्रिम (उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है)/ Residuary other advances (not included above)	1934.30	91.47	2025.77
	सकल ऋण और अग्रिम/Total Loan & Advances	2596.91	111.27	2708.18



उद्योगों को उस ऋण एक्सपोजर जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के समग्रता सकल ऋण एक्सपोजर के 5 प्रतिशत से अधिक है, का विवरण निम्नानुसार है:-

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

SI No क्र.स.	Industry उद्योग	Total Exposure(in Crores) कुल एक्पोजर (रुपए करोड में)	% of Total Gross Credit Exposure कुल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत
1.	खाद्य प्रसंस्करण / FOOD PROCESSING	191.16	7.06%
2.	मूलभूत सुविधाएं / INFRASTRUCTURE	149.08	5.50%

ङ) परिसम्पत्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषण/e) Residual maturity breakdown of assets :

(रु. करोड़ में) / (₹ in Crore)

		6.	·	9 177 (* 01010)
समयावधि	अग्रिम	निवेश	कुल अस्तियां	प्रतिशत
Time Bucket	Advances	Investment	Total Assets	%age
1 दिन ∕ 1 day	23.31	148.00	478.80	7.77
2–7 दिन / 2 - 7 days	94.58	0.00	228.25	3.71
8—14 दिन / 8 -14 days	96.36	14.72	185.11	3.01
15—28 दिन ∕ 15- 28 days	191.23	14.80	234.02	3.80
29 दिन −3 महीने ⁄ 29days - 3months	196.11	403.86	526.69	8.55
>3 महीने –6 महीने />3months-6months	51.22	29.20	578.59	9.39
>6 महीने 1 वर्ष / >6months-1yr	104.66	24.50	1119.91	18.18
>1 বর্ष — 3 বর্ष />1yr-3yrs	1390.04	107.84	1659.87	26.94
>3 বৰ্ষ – 5 বৰ্ষ />3yrs-5yrs	167.11	135.36	346.82	5.63
>5 বর্ष / >5yrs	282.29	500.95	802.22	13.02
कुल / TOTAL	2596.91	1379.23	6160.27	100

छ) अनर्जक परिसम्पित्तियों की राशि (सकल)/(f) Amount of Non Performing Assets (Gross)

क्रमांक	आस्ति श्रेणी	(रु. करोड़ में)
Sr. No.	Asset Category	(₹ in Crore)
(a)	एनपीए (सकल)/NPAs (Gross):	
	अवमानक / Substandard	22.69
	संदिग्ध 1/Doubtful 1	8.64
	संदिग्ध 2/Doubtful 2	23.78
	संदिग्ध 3 / Doubtful 3	4.14
	हानिकर/Loss	18.16
(b)	शुद्ध एनपीए / Net NPAs	0.00
	कुल / Total	0.00
(c)	एनपीए अनुपात / NPA Ratios	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए/Gross NPAs to gross advances (%)	2.98%
	निवल अग्रिम में निवल एनपीए / Net NPAs to net advances (%)	0.00%
(d)	एनपीए (सकल) में उतार—चढ़ाव / Movement of NPA(Gross)	
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	61.10
	वृद्धि / Additions	26.30
	कमी / Reductions	9.99
	अन्तिम शेष / Closing balance	77.41
(e)	एनपीए के लिए प्रावधान का उतार—चढ़ाव / Movement of provisions for NPAs	
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	67.07
	वर्ष के दोरान किया गया प्रावधान / Provisions made during the period	10.67
	बट्टे खाते / Write offs	0.33



	अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना / Write back of excess provisions	0.00
	अन्तिम शेष / Closing balance	77.41
(f)	गैर निष्पादक निवेश की राशि / Amount of Non Performing Investments	0.00
(g)	गैर निष्पादक निवेश के लिए किये गये प्रावधान की रिश	0.00
	Amount of provisions held for Non-Performing Investments	0.00
(h)	निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का उतार–चढाव/	
	Movement of provisions for depreciation on investments	
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3.72
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान / Provisions made during the period	0.00
	बद्टे खाते / Write-off	
	अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना/Write back of excess provisions	2.64
	अन्तिम शेष / Closing balance	1.08

सारणी डीएफ-4: संविभागों के लिए ऋण जोखिम प्रकटीकरण -मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन

(i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए:

बैंक ने ऋण पात्रता निर्धारण और मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन पूंजी प्रभाग की गणना के लिए और जोखिम भार निधारित करने के लिए निम्नलिखित ऋण पात्रता निर्धारण समितियों को स्वीकार किया है—

घरेलू ऋण पात्रता निर्धारण समितियां-

- क्रेडिट एनालिसेज एण्ड रिसर्च लिमिटेड(CARE)
- क्रिसिल लिमिटेड
- इकरा लिमिटेड
- इण्डिया रेटिंग (पूर्व में फिच इण्डिया)
- ब्रिकवर्क

एक्सपोजरों के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गयाः

उपरोक्त सभी एजेन्सियों को सभी प्रकार के एक्सपोजर के पात्रता निर्धारण के लिए स्वीकार किया है।

सार्वजनिक निर्गम पात्रता निर्धारणों को बैंकिंग बही में तुलनीय परिसंपत्तियों पर अंतरित करने हेतु प्रयुक्त प्रकिया का वर्णनः

- बैंक उन आस्तियों जिनकी परिपक्वता अविध 1 वर्ष तक है लघु अविध की पात्रता निर्धारण तथा उन आस्तियों के लिए जिनकी परिपक्वता 1 वर्ष के बाद है दीर्घ अविध की ऋण पात्रता निर्धारण बाह्य ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों द्वारा प्रंदत्त रेटिंग को स्वीकार करता है।
- बैंक ने एक ही ग्राहक के लिए एक ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की एक एक्सपोजर के लिए और दूसरी ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की दूसरे एक्सपोजर के लिए ऋण पात्रता निर्धारण को तब तक स्वीकार नहीं किया है जब तक कि दिए गए एक्सपोजर के लिए एक ऋण पात्रता निर्धारण उपलब्ध न हो।
- रु.10 करोड़ से अधिक की राशि बाह्य एजेन्सि द्वारा पात्रता निर्धारण के आधीन है।
- बैंक ने अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों से केवल मांगी
 गई पात्रता निर्धारण को स्वीकार किया है।

Table Df-4: Credit Risk Disclosures for portfolios subject to Standardised Approach

(i) Qualitative Disclosures

(a) For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings (Formerly FITCH India)
- Brickwork

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- Bank has used short term ratings for assets with maturity up to one year and long term ratings for assets maturing after one year as accorded by the approved external credit rating agencies.
- Bank has not used one rating of a CRA (Credit Rating Agency) for one exposure and another CRA's rating for another exposure on the same counterparty unless only one rating is available for given exposure.
- Amount above ₹ 10 Crores are subject to external rating.
- Bank has used only solicited rating from the recognized CRAs.



(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

(ख) बैक में एक्सपोजर की मात्रा—मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन प्रमुख जोखिम समूहों में बैंक के सकल ऋण (पात्रता निर्धारित एव पात्रता गैर निर्धारित), जोखिम कम करने के साधनों की गणना के बाद (जैसे—प्रतिभृतियां आदि)

एक्सपोजर की राशि जिसमें गैर निधि आधारित भी सम्मिलित है मानकीकृत दृष्टिकोण (पात्रता निर्धारित या बिना पात्रता निर्धारित) के आधीन जोखिम न्यूनीकरण के बाद तीन बड़े जोखिम समूहों में निम्नानुसार है :

(राशि करोड रुपये में)

क्र. स.	जोखिम भार की श्रेणी	निधि आधारित 31.03.2015	निधितर आधारित 31.03.2015
1	100 प्रतिशत जोखिम भार से कम	4225.09	
2	100 प्रतिशत जोखिम भार	718.39	77.33
3	100 प्रतिशत भार से अधिक	219.16	
4	कुल सीआरएम घटांए	205.66	33.94
5	कुल एक्सपोजर	5368.30	111.27

सारणी डीएफ-5 : ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए नीति एव प्रक्रिया:— बैंक की निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित संपार्शिवक नीति है जिसमें प्रक्रिया, उद्देश्य, संपार्शिवक के स्वीकृत प्रकारों और रुपरेखा जिनमें प्रभावपूर्ण संपार्शिवक प्रबंधन के लिए उचित प्रबन्धन सूचना व्यवस्था सम्मिलित है, निहित है। संपार्शिवक और गारिन्टयों को उचित तरीके से लिया गया और निम्नलिखित के लिए नियोजित किया गया है:—

- अपेक्षित नकदी प्रवाह की अपर्याप्तता होने अथवा न होने के कारण /ऋण सुविधा में उधारकर्ता की चूक होने पर पुनर्भुगतान के गौण स्रोत को उपलब्ध कराके जोखिम को कम करना;
- चूक होने पर पुनर्भुगतान के स्रोत पर नियन्त्रण प्राप्त करना;
- उधारकर्ता की भुगतान क्षमता के क्षरण पर पहले ही चेतावनी देना; और
- जोखिम भारित आस्तियों को समक्ष रखना ओर बचे हुए जोखिमों में पर्याप्त रुप से कमी लाना।

बैंक अपने एक्सपोजरों में ऋण जोखिमों को कम करने के लिये अनेक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन प्रक्रिया और बैंक का व्यवहार समूचे कार्यकलापों, जिनमें संपार्श्विक मूल्यों की सुरक्षा और संरक्षण, संपार्श्विकों और गारंटियों की वैधता ओर मूल्यांकन/आविध् कि निरीक्षण सम्मिलित है. को आवेष्टित करती है।

(ii) QUANTITATIVE DISCLOSURES

(b) Amount of the Bank's Exposures-Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets -under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

The amount of exposure including non-fund based after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

(₹ in Crore)

SI. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2015	Non-Fund Based 31.03.2015
1	Below 100 % risk weight	4225.09	
2	100 % risk weight	718.39	77.33
3	More than 100 % risk weight	219.16	
4	Total CRM Deducted	205.66	33.94
5	Total Exposure	5368.30	111.27

Table Df-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

(i) QUALITATIVE DISCLOSURES

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management, The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which it is exposed. Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation /periodical inspection.



मूल्यांकनः बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की सुरक्षा के लिये प्राप्त की गई आस्तियां बैंक के पैनल में रखे गये वैल्यूअर्स द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधीन हैं। खातों की मौद्रिक सीमाएं, उधारकर्ता की आस्तियों का वर्गीकरण जो मूल्यांकन के आधीन है, मूल्यांकन की आवधिकता बैंक की नीति दिशा निर्देश नीति (पालिसी गाइडलाइन्स) में दिये गये हैं। बैंक इस सम्बन्ध में नीतियों का समय—समय पर पूर्न—निर्धारण करता रहता है।

बैंक द्वारा ली गई संपार्शिवक के मुख्य प्रकारों का वर्णनः

बैंक—द्वारा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली संपार्शिवक सम्पत्तियाँ निम्न प्रकार की हैं:-

- 1. चल आस्तियाँ जैसे स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि।
- 2. अचल आस्तियाँ जैसे भूमि, भवन, प्लांट तथा मशीनरी।
- 3. बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, सरकार व भा.रि.बै. द्वारा जारी बाण्ड, एलआइसी पॉलिसियाँ इत्यादि।
- 5. गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन।
- स्वर्ण आभूषण।
- अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर।

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में बैंक ने सुस्पष्ट नीति तैयार की है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

गांरटीकर्ता काउंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी विश्वसनीयताः

बैंक के ऋण जोखिम के विरूद्ध गारंटरों के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार है :

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटिया)
- कार्पोरेटस
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- सीजीएफटीएसआई

सीआरएम संपार्श्विक प्रतिभूति प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और एलआईसी पॉलिसियों के पेटे ऋणों में उपलब्ध हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

नई पूंजी की पर्याप्तता की रुपरेखा (बेसल II मानक) के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए ऋण जोखिम कम करने वाले उपायः

बैंक ने नई पूंजी की पर्याप्तता की रुपरेखा (बेसल II मानक) के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए नकदी, बैंक की निजी जमाराशि, स्वर्ण और सोने के जेवर को स्वीकार किया । **Valuation:** Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

Description of the main types of collateral taken by the Bank:

The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

- 1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
- 2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
- 3. Bank's own deposits
- NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
- 5. Cash Margin against Non-fund based facilities
- 6. Gold Jewellery
- 7. Shares as per approved list

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank. The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are :

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- CGFTSI

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms)

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms).



(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण / QUANTITATIVE DISCLOSURES

क्र.स. SL NO	विवरण PARTICULARS	राशि ∕ करोड़ रुपए में AMOUNT (₹ in Crores) 31.03.2015
(ডা) (b)	अलग से प्रकट किये गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियों के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपाध्विक द्वारा किया गया हो । The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	239.96
(c) (ग)	अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जो गारंटी / ऋण डेरिवेटिव (जहां भारतीय रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमित हो) द्वारा कवर हो । The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	

सारणी डीएफ–6 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

नीति संबंधी दिशा—निर्देश किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को ग्रहण नहीं करती।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

बैंकिंग बही

क्र.स.	विवरण	31.03.2015
	शून्य	

ट्रेडिंग बही

क्र.स.	विवरण	31.03.2015
	शून्य	

बैंक के पास 31–03–2015 को प्रतिभूतिकृत आस्ति का कोई मामला नहीं है।

सारणी डीएफ-7 : ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिमः

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—िनर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मानकीकृत अविध दृष्टिकोण नामक एक समुचित पद्धित बनाई है। इस प्रकार आंकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को सीआरएआर का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

TABLE DF-6: SECURITIZATION EXPOSURES: DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACH

(i) QUALITATIVE DISCLOSURES

The policy guidelines do not undertake any securitization exposures.

(ii) QUANTITATIVE DISCLOSURES

BANKING BOOK

SINo	Particulars	31.03.2015
	NIL	

TRADING BOOK

SINo	Particulars	31.03.2015
	NIL	

The bank does not have any case of its assets securitised as on 31.03.2015.

TABLE DF-7: MARKET RISK IN TRADING BOOK

(i) QUALITATIVE DISCLOSURES

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.



सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन के कार्य की संरचना और संगठनः बैंक की बाजार जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है—

- निदेशक मण्डल
- निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति
- एएलएम कमेटी
- जोखिम प्रबन्धन समिति

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

विवरण	पूंजी की आवश्यकता (करोड़ रुपए में) 31.03.2015
ब्याज दर जोखिम	20.28
इक्विटी स्थिति पर जोखिम	27.10
विदेशी मुद्रा जोखिम	

सारणी डीएफ-8: परिचालन जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

कार्य योजनाएं एवं प्रकियाएं:

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और मजबूत परिचालन प्रक्रिया, जिसमें कारपोरेट मूल्य, रवैया, सक्षमता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और अनिश्चित योजना सम्मिलित हैं द्वारा संचालित है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई गई है।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना और संगठनः

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है-

- निदेशक मण्डल
- निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति
- आस्ति प्रबन्धन देयता समिति
- जोखिम प्रबन्धन समिति

जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापने की व्यवस्था का क्षेत्र और स्वभावः

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखा/कार्यालय में लोगों, प्रक्रिया, तकनीकी और बाह्य घटनाओं से सम्बन्धित परिचालन जोखिम घाटे की घटनाएं सम्मिलित है।

जोखिम को कम करने और / या शांत करने की नीति तथा कम करने / शांत करने वालों की सतत् प्रभावशीलता की निगरानी के लिए प्रकियाएं:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई है। नीति की रुप रेखा में परिचालन जोखिम प्रबन्धन जैसे– चिन्हीकरण, प्रबन्धन, परिचालन जोखिम क्षेत्रों की निगरानी और अल्पीकरण के विभिन्न पहलु निहित हैं। The structure and organization of the relevant risk management function: The Market Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Management Committee of the Board (MCB)
- ALM Committee
- Risk Management Committee

(ii) QUANTITATIVE DISCLOSURES

Particulars	Amount of Capital requirement (₹ in Crores) 31.03.2015
Interest Rate Risk	20.28
Equity Position Risk	27.10
Foreign Exchange Risk	

Table DF-8: Operational Risk

(i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Management Committee of the Board (MCB)
- Asset Management Liability Committee
- Risk Management Committee

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/ events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.



कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई हैं।

परिचालनगत जोखिम सम्बन्धित पूंजी का आकलनः

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिये आधारमूल सूचक पद्यति अपनायी है ।

(ii) गुणात्मक प्रकटीकरणः

31.03.2015 को परिचालन जोखिम के लिये रु. 29.07 करोड़ का पूंजी प्रभार रहा और 31.03.2015 को परिचालन जोखिम के लिये रु. 323.00 करोड़ की जोखिम भारित आस्तियां रहीं।

सारणी डीएफ–9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

(i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी):

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। चूंकि बैंक का तुलन पत्र विभिन्न परिपक्वता / पुनः कीमत, करैन्सी, बाजार एवं बैंचमार्क दरों के प्रति संवेदनशील होता है और इन मानकों में कोई विपरीत घट—बढ़ बैंक को ब्याज दर जोखिम में डाल देती है। बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम बैंक की आय पर (लघु अवधि का प्रभाव) और शुद्ध सम्पत्ति (दीर्घ अवधि प्रभाव) को दर्शाता है। ब्याज दर में विपरीत उतार—चढ़ाव के कारण इसका मापन मासिक आधार पर किया जाता है।

सगठनात्मक रुपरेखाः

बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को), निदेशक मण्डल / जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहनशीलता के अनुसार ब्याज दर जोखिम प्रबंधन कार्ययोजना को बनाने, उपयोग में लाने एवं उसके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है।

कार्ययोजना और प्रक्रियाएं:

बैंक उचित परिपक्वता मिलान के साथ अपनी उन आस्तियों और देयताओं की कीमतों के मिलान के लिये प्रयास करता है जो अलग—अलग समय में परिपक्व हो रही हैं या जिनकी पुनः कीमत लगायी जा रही है तािक उनके मूल्य अन्तर को कम किया जा सके। आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र के मदों जो दरों के प्रति संवेदनशील है की घरेलू स्थिति के ब्याज दर जोिखम को मापने और उसके प्रबन्धन के लिए बैंक पारंपरिक अन्तर (अल्पाविध) विश्लेषण और ड्यूरेशन गैप विश्लेषण दोनों को ग्रहण कर रहा है।

ब्याज दर जोखिम पुनः कीमत लगाने, आय रेखा में परिवर्तन और आधार—भूत जोखिम के कारण उत्पन्न होता है। बैंक का लक्ष्य इन जोखिमों, जो परिपक्वता और पुनः कीमत लगाने के गलत मिलान की वजह से उत्पन्न होते हैं, को आय और आर्थिक मूल्य के परिपेक्ष में निम्नलिखित तरकीबों का प्रयोग करते हुए रोकना है।

1. अंतर विश्लेषणः ब्याज दर जोखिम को मापने का मूलभूत हथियार ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी को दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और दरों In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Operational Risk capital assessment

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

(ii) QUANTITATIVE DISCLOSURES

Capital charge for operational Risk as on 31.03.2015 was ₹ 29.07 Cr. and Risk Weighted Assets for Operational Risk as on 31.03.2015 was ₹ 323.00 Cr.

TABLE DF-9: INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

(i) QUALITATIVE DISCLOSURES

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/ repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing, implementing and managing interest rate risk management strategy as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its domestic position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

1. Gap Analysis: The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by



के प्रति संवेदनशील दायित्वों और तुलनपत्र के अलग-अलग समय श्रेणी के विभिन्न मदों को समूहीकृत करके बची हुई परिपक्वता के अनुसार या अगली पुनः कीमत लगाने जो पहले हो, विवरणी बनाना और शुद्ध अन्तर पर पहुंचना है।

एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर का मतलब है बाजार में ब्याज दर में वृद्धि के परिणाम स्वरुप शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि। एक नकारात्मक या देयता के प्रति संवेदनशील अंतर यह सूचित करता है कि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरुप बैंक की शुद्ध ब्याज आय में कमी आ रही

- 2. जोखिम से आयः जोखिम से आय स्चित करती है कि क्या बैंक इस स्थिति में है कि वह सकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में वृद्धि से लाभ कमा सके या नकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में कमी से लाभ कमा सके। ब्याज दर में समानान्तर शिफट के कारण आय पर पुनःकीमत लगाने के जोखिम के प्रभाव का विभिन्न दर समूहों में परिवर्तन पर आंकलन किया जाता है। आय पर प्रभाव का आंकलन, आय प्राप्ति रेखा एवं मूलभूत जोखिम को मापने के लिए भी किया जाता है।
- 3. इक्विटी का बाजार मृल्यः बदलती हुई ब्याज दर का दीर्घ अवधि प्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य या शुद्ध सम्पत्ति (नेट वर्थ) पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों का आर्थिक मूल्य, देयताएं और तुलन पत्र की स्थिति बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। समूचे बैंक में संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याज दर में परिवर्तन से निर्धारित रेट-शाक के परिणाम स्वरुप इक्विटी के बाजार मुल्य में आकलित कमी अवधि अन्तर विश्लेषण (डी.जी.ए.) द्वारा अनुमानित की जाती है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

आय जोखिम (परम्परागत अन्तर विश्लेषण)(लघु अविध):

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के त्वरित प्रभाव का विश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। घरेलु परिचालन के लिये जोखिम से आय का विश्लेषण विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जाता

- प्राप्ति रेखा (कर्व) जोखिमः आस्ति और देयताओं के लिये 1% का समानान्तर परिवर्तन (शिफ्ट) मान लिया गया है।
- आस्तियों के लिये समूहवार विभिन्न प्राप्ति परिवर्तनों को मान लिया गया है और यही बात देयताओं के लिये भी लागू होती

		(रु. कराड़ म)
आय पर जोखिम	-100 बीपीएस	100 बीपीएस
	-15.95	15.95

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घ अवधि)

इक्विटी का आर्थिक मूल्य आस्तियों और देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके किया गया है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि तक पहुंचा जा सके। घरेलू परिचालन के लिये इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव की समीक्षा 200 बीपीएस रेट शौक के लिये अवधि अन्तर विश्लेषण विधि के माध्यम से मासिक आधार पर की जाती है।

इविवटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 बीपीएस	200 बीपीएस
	2.62%	-2.62%

grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL).

A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

- 2. Earnings at Risk (EaR): Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.
- 3. Market Value of Equity (MVE): A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Networth as the economic value of bank's assets, liabilities and off balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank.

ii) QUANTITATIVE DISCLOSURES

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

- Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
- Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.

(₹ in Crores)

		(1 11 010100)	
Earning at Risk	-100 bps	100 bps	
	-15.95	15.95	

Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at monthly intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	200 bps
	2.62%	-2.62%



सारणी डीएफ-10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी, नकदी प्रवाह के फाइनल निपटान से पहले भुगतान में चूक कर देता है। यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। बैंक के ऋण जोखिम के विपरीत, जहां ऋण जोखिम एक पक्षीय है और केवल उधारकर्ता बैंक को नुकसान होता है, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पाजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचलन के साथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।

बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं—अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि (रु. करोड़ में)

क्र	विवरण	कल्पित	वर्तमान
₹.		राशि	एक्सपोजर
		31.03.2015	31.03.2015
1	विदेशी मुद्रा संविदाएं	_	_
2	पारस्पिरिक मुद्रा ब्याज दर की	_	_
	अदला–बदली		
3	एकल मुद्रा ब्याज दर की	_	_
	अदला—बदली		
4	जोड़	_	_

TABLE DF-10: GENERAL DISCLOSURES FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party.

(ii) Quantitative Disclosures

Amount (₹ in Crores)

SI	Particulars	Notional	Current
No		Amount	Exposure
		31.03.2015	31.03.2015
1	Foreign Exchange Contracts		
2	Cross Currency Interest rate		
	Swaps		
3	Single Currency Interest Rate		
	Swaps		
4	Total		





सारणी डीएफ-11 : पूंजी की संरचना / Table DF-11: Composition of Capital

(₹ मिलियन में / in Million)

<u>~</u>	विवरण / Items	पात्रता	बासल III पूर्व	संदर्भ
क्र. सं.	विवर् ग/ ॥।।।।	पात्रता राशि	पद्धति के ट्रीटमेंट	सं.
C		Eliaribia	के अधीन राशि	DefNe
Sr. No.		Eligible Amount	Amounts Subject to Pre-Basel III	Ref No
			Treatment	
साम	ान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां / Common Equity Tie	r 1 capital: i	instruments and rese	rves
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) / Directly issued qualifying common share capital	1310.00		a=
	plus related stock surplus (share premium)			a1+a2
2	प्रतिधारित आय / Retained earnings			
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां) / Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	3540.22		
4	सीईटी 1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लिए लागू) / Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)			
	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम Public sector capital injections grandfathered unt		•	ਰ)
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी/Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)			
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विऔ टियर 1 पूंजी / Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	4850.22		
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन/Common Equity Tiei	· 1 Capital: ı	regulatory adjustmen	ts
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन / Prudential valuation adjustments			
8	गुडविल (संबंधित कर देयता के निवल) / Goodwill (net of related tax liability)			
9	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता के निवल) Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)			
10	आस्थगित कर संपत्ति / Deferred tax assets			
11	नकदी–प्रवाह बचाव रिजर्व / Cash-flow hedge reserve			
12	अपेक्षित हानिं हेतु प्रावधानों की कमी / Shortfall of provisions to expected losses			
13	विकय पर प्रतिभूतिकरण लाभ / Securitisation gain on sale			
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हांनि Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities			
15	परिभाषित—लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति / Defined-benefit pension fund net assets			
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो) / Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)			



17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रास—होल्डिंग/		
18	Reciprocal cross-holdings in common equity बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी	 	
	में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are		
	outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital		
	(amount above 10% threshold)	 	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के		
	सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र, शार्टपोजिशन के निवल (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)/Significant investments in the common stock of banking,		
	financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory		
	consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	 	
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)/ Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	 	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से		
	अधिक राशि, संबंधित कर देयता के निवल) / Deferred tax assets arising from		
	temporary difference (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	 	
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि / Amount exceeding the 15% threshold	 	
23	जिनमें सेः वित्तीय संस्थाओं के समान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश / of which: significant investments in the common stock of financial entities	 	
24	जिनमें से: मार्टगेज सर्विसिंग अधिकार / of which: mortgage servicing rights	 	
25	जिनमें सेः अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तिया /		
	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	 	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (२६क+२६ख+२६ग+२६घ)/		
26-	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	 	
20a	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश / of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance		
	subsidiaries	 	
26b	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों के ईविवटी पूंजी में निवेश /		
	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	 	
26c	जिसमें से: बैंक के साथ गैर—समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी		
	में कमी ⁄ of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial		
	entities which have not been consolidated with the bank	 	
26d	जिसमें सेः अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय/of which: Unamortised pension funds expenditures	 	
	पूर्व—बासल III पद्धति के टीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर		
	1 पर लागू विनियामक समायोजन / Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	 	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें) / of which: [INSERT TYPE		
	OF ADJUSTMENT]		
	उदाहरण के लिः एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अवसूल हानियों को बाहर निकाल देना		
	(भारतीय संदर्भ में अप्रासंगिक)/ For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	 	



	जिसमें सेः (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)/ of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	जिसमें सेः (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें) /			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन / Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions			
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन / Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1			
29	सामान्य ईविवटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1) / Common Equity Tier 1 capital (CET1)	4850.22		
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजीः लिखत / Additional Tier 1 capita	l: instrume	nts	
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित शेयर अधिशेष (31+32)/Directly issued qualifying Additional Tier 1			
	instruments plus related stock surplus (31+32)			
31	जिसमें सेः लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रुप में वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)/of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)			
32	जिसमें सेः लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रुप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)/of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)			
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत / Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1			
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत) / Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)			
35	जिसमें सेः चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत / of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out			
36	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर-1 पूंजी / Additional Tier-1 capital before regulatory adjustments			
	अतिरिक्त टियर-1 पूंजी : विनियामक समायोजन करने से पूर्व / Additional Tier-1	capital : b	efore regulatory adju	stments
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर–1 लिखत में निवेश / Investments in own Additional Tier-1 instruments			
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्वास–होल्डिंग्स/ Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments			
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में निवेश का पात्र शार्टपोजिशन के निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है।/ Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net			
	of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)			



40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र (शार्टपोजिशन के निवल)			
	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance			
	entities that are outside the scope of regulatory consolidation			
	(net of eligible short positions)			
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (४१ क + ४१ ख)/			
	National specific regulatory adjustments (41a + 41b)			
41a	जिनमें से: गैर—समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश /			
	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance			
	subsidiaries			
41b	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त पूंजी में कमी जिनको बैंक			
	के साथ समेकित नहीं किया गया है।/Shortfall in the Additional Tier 1 capital of			
	majority owned financial entities which have not been consolidated with			
	the bank			
	पूर्व—बासल III पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीनराशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 के लिए			
	लागू किए गए विनियामक समायोजन / Regulatory Adjustments Applied to			
	Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	जिसमें से (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें, जैसे डीटीए)/ of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]			
	जिसमें से (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें, जैसे विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर			
	1 में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है)/ of which: [INSERT TYPE OF			
	ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier			
	1 at 50%]			
	जिसमें से (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)/			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर			
	लागू विनियामक समायोजन / Regulatory adjustments applied to Additional Tier			
	1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions			
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन/			
	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital			
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / Additional Tier 1 capital (AT1)			
44a	पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी/			
	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy			
45	टियर 1 पूंजी (टी1=सीईटी1 + एटी1)(29+44क)/			
	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	4850.22		
	टियर 2 पूंजीः लिखत एवं प्रावधान / Tier 2 capital: instrumen	ts and prov	visions	
46	सीधे जारी किए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टाक अधिशेष/			
	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus			
47	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए			
	गए पूंजी लिखत / Directly issued capital instruments subject to phase out			
	from Tier 2			
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किये गये एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह			
	टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये			
	गये सीईटी1 और एटी1 लिखत)/			
	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5			
	or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in			
	group Tier 2)			



49	जिनमें सेः चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा			
49	जारी किए गए लिखत /of which: instruments issued by subsidiaries subject			
	to phase out			
<u>-</u>		454.70		
50	प्रावधान / Provisions	151.72		
51	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी/			
	Tier 2 capital before regulatory adjustments	151.72		
	टियर 2 पूंजीः विनियामक समायोजन / Tier 2 capital: regulat	ory adjustn	nents	
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश / Investments in own Tier 2 instruments			
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्वास—होल्डिंग्स/Reciprocal cross-holdings in			
	Tier 2 instruments			
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में निवेश का पात्र (शार्टपोजिशन निवल), जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है। / Ilnvestments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)			
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के			
	सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र (शार्ट—पोजिशन निवल)			
	Significant investments in the capital banking, financial and insurance			
	entities that are outside the scope of regulatory consolidation			
	(net of eligible short positions)			
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क+56 ख)/			
	National specific regulatory adjustments (56a+56b)			
56a	जिसमें सेः गैर–समेकित सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश			
	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries			
560	जिसमें से:बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। / of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	पूर्व–बासल III पद्धति के टीटमेंट के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी			
	टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन / Regulatory Adjustments Applied To			
	Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	जिनमें से (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें, जैसे विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 2			
	में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है)/of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT			
	e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]			
	जिनमें से (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें) /			
F 7	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT			
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन / Total regulatory adjustments to Tier 2 capital			
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)/Tier 2 capital (T2)	151.72		
	पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी/	101.72		
Joa	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	151.72		
58h	टियर 2 पूंजी के रुप में मान्य अतिरिक्त अधिक टियर 1 पूंजी/			
000	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital			
58c		151.72		



59	कुल पूंजी (टीसी =टी1+टी2) (45+58ग) / Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	5001.94		
	पूर्व– बासल III पद्धति के अधीन राशि के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां			
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	जिसमें सेः (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)/ of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	जिसमें से/of which			
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60 क + 60 ख + 60 ग) / Total risk weighted assets (60 a + 60 b + 60 c)	33653.88		
60a	जिसमें सेः कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां / of which: total credit risk weighted assets	25159.56		
60b	जिसमें सेः कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां / of which: total market risk weighted assets	5264.37		
60c	जिसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां / of which: total operational risk weighted assets	3229.95		
	पूंजीगत अनुपात / Capital ratios			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)/ Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.71%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में) / Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.71%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में) / Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	14.86%		
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकताएं (न्यूनतम सीईटी। अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)			
65	जिसमें सेः पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकताएं / of which: capital conservation buffer requirement			
66	जिसमें सेः बैंक विशिष्ट प्रतिचकीय बफर आवश्यकताएं / of which: bank specific countercyclical buffer requirement			
67	जिसमें सेः जी–एसआईबी बफर आवश्यकताएं/of which: G-SIB buffer requirement			
68	बफर की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)			
	राष्ट्रीय न्यूनतम (बासेल III से मिन्न हो तो) / National minima (if	different fro	om Basel III)	
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9%		



	कटौती के लिए अधिकतम सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले) Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर—महत्वपूर्ण निवेश / Non-significant investments in the capital of other financial entities	e risk weigi		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश / Significant investments in the common stock of financial entities			
74	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता के निवल)/ Mortgage servicing rights (net of related tax liability)			
75	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता के निवल) Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			
ि	टेयर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स) / Applicable caps	on the incl	usion of provisions in	n Tier 2
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एकसपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) / Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)			
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा (पर कैप) / Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach			
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) / Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)			
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा / Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach			





सारणी डीएफ—12: पूंजी की संरचना— मिलान संबंधी अपेक्षाएं TABLE DF-12: COMPOSITION OF CAPITAL- RECONCILIATION REQUIREMENTS

चरण 1/Step 1 (रु. मिलियन में /₹ in Million)

चरण 1/	see i		(७. ।मालयन म /र In Million)
		वित्तीय विवरणों के	समेकन के विनियामक
		अनुसार तुलन पत्र	दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र
		रिपोटिंग् तिथि की	रिपोर्टिंग तिथि की
		स्थिति के अनुसार	स्थिति के अनुसार
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of
		illialiciai statellielits	consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
क / A	पूंजी तथा देयताए / Capital & Liabilities		
प/।	प्रदत्त पूंजी ⁄ Paid-up Capital	675.00	675.00
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष / Reserves & Surplus	4271.84	4271.84
	अल्प शेयर धारियों का हित लाभ / Minority Interest		
	कुल पूंजी / Total Capital	4946.84	4946.84
ii	जमाराशियां / Deposits	53440.43	53440.43
	जिनमें से: बैंकों की जमाराशियां/of which: Deposits from banks	5193.22	5193.22
	जिनमें से: ग्राहकों की जमाराशियां / of which: Customer Deposits	48247.21	48247.21
	जिनमें से: अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)/of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	उधार / Borrowings	1.61	1.61
	जिनमें सेः भारतीय रिजर्व बैंक से / of which: From RBI		
	जिनमें से: बैंकों से / of which: From banks	0.14	0.14
	जिनमें सेः अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से/		
	of which: From other institutions & agencies	1.47	1.47
	जिनमें से: अन्य(कृपया स्पष्ट करें) / of which: Others (pl. specify)		
	जिनमें सेः पूंजी लिखत ⁄ of which: Capital instruments		
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities & provisions	1390.38	1390.38
	कुल ∕ Total	59779.26	59779.26
ख/B	आस्तियां / Assets		
i	नकदी व भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष / Cash and balances with Reserve Bank of India	2742.68	2742.68
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Balance with banks and money at call and short notice	16849.22	16849.22
ii	निवेश / Investments:	13781.48	13781.48
	जिनमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां / of which: Government securities	10669.87	10669.87
	जिनमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / of which: Other approved securities		
	जिनमें सेः शेयर / of which: Shares		
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड / of which: Debentures & Bonds	1631.61	1631.61
	जिनमें से : अनुषंगी कंपनियां / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं / of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates		
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)/ of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	1480.00	1480.00
iii	ऋण तथा अग्रिम/Loans and advances	25568.45	25568.45
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम/of which: Loans and advances to banks	192.33	192.33
	जिनमें सेः ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम/ of which: Loans and advances to customers	25376.12	25376.12
iv	अचल आस्तियां / Fixed assets	183.64	183.64
V	अन्य आस्तियां / Other assets	653.79	653.79
	जिनमें से साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां / of which: Goodwill and intangible assets		
	जिनमें सेः आस्थगित कर आस्तियां/of which: Deferred tax assets		
Vi	समेकन पर गुडविल / Goodwill on consolidation		
Vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष / Debit balance in Profit & Loss account		
	कुल आस्तियां / Total Assets	59779.26	59779.26
	,		



चरण 2/Step 2

(रु. मिलियन में / ₹ in Million)

वरण	2/Step 2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		वित्तीय विवरणों के	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र	सदंर्भ संख्या
		अनुसार तुलन पत्र रिपोटिंग तिथि की	रिपोर्टिंग तिथि की	त्तिख्या
		रिपाटिंग ।तथि का स्थिति के अनुसार	स्थिति के अनुसार	
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref. No.
		As on reporting date	As on reporting date	
 क ∕ A	पूंजी तथा देयताएं / Capital & Liabilities			
प/।	प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	675.00	675.00	
	जिसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि/			
	of which: Amount eligible for CET1	675.00	675.00	a1
	जिसमें सेः एटी 1 के लिए पात्र राशि / of which: Amount eligible for AT1			
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष / Reserves & Surplus	4271.84	4271.84	
	जिसमें से ⁄ःof which:			
	–सांविधिक आरक्षितियां / -Statutory Reserve	1240.71	1240.71	
	−शेयर प्रीमियम ⁄ -Share Premium	635.00	635.00	a2
	–केपिटल रिजर्व / -Capital Reserve	47.12	47.12	
	–स्थाई आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन / – Revaluation of Fixed Assets	46.57	46.57	
	–अन्य आरक्षितियां / -Other Reserve	0.55	0.55	
	–रेवेन्यू और अन्य आरक्षितियां / -Revenue and Other Reserve	2349.01	2349.01	
	–निवेश आरक्षिति खाता ∕-Investment Reserve Account			
	–खराब और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्ब /-Reserve for Bad and Doubtful Debts	31.25	31.25	
	—अन्य आरक्षिति—आस्थगित कर / -Other reserve-deferred tax	0.68	0.68	
	–अन्य आरक्षिति / -Other Reserve	2128.95	2128.95	
	–निवेश आरक्षिति खाता /- Investment Reserve A/c	18.12	18.12	
	—विशेष आरक्षिति धारा 36 के अन्तर्गत / -Special reserve u/s36	170.01	170.01	
	—वर्तमान समय का लाभ जो खाते में नहीं लिया गया ∕ -Current period profit not recognized			
	कुल पूंजी / Total Capital	4946.84	4946.84	
ii	जमाराशियां / Deposits	53440.43	53440.43	
	जिनमें से:बैंकों की जमाराशियां/of which: Deposits from banks	5193.22	5193.22	
	जिनमें सेः ग्राहकों की जमाराशियां / of which: Customer deposits	48247.21	48247.21	
	जिनमें से :अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें) / of which: Other deposits (pl. specify)			
iii	उधार / Borrowings	1.61	1.61	
	जिनमें से:भारतीय रिजर्व बैंक से / of which: From RBI			
	जिनमें से: बैंकों से ⁄ of which: From banks	0.14	0.14	



	जिनमें सेः अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से			
	of which: From other institutions & agencies	1.47	1.47	
	जिनमें सें: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)/of which: Others (pl. specify)			
	जिनमें सेः पूंजी लिखत ⁄ of which: Capital instruments			
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities & provisions	1390.38	1390.38	
	जिनमें से:गुडविल से संबंधित डीटीएल / Of which: DTLs related to goodwill			
	जिनमें सेः अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएलएस/ Of which: DTLs related to intangible assets			
	कुल / Total	59779.26	59779.26	
ख/B	आस्तियां / Assets			
I	नकदी व भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष / Cash and balances with Reserve Bank of India	2742.68	2742.68	
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/			
	Balance with banks and money at call and short notice	16849.22	16849.22	
Ш	निवेशः / Investments:	13781.48	13781.48	
	जिनमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां / of which: Government securities	10669.87	10669.87	
	जिनमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / of which: Other approved securities			
	जिनमें सेः शेयर / of which: Shares			
	जिनमें सेः डिबेंचर तथा बांण्ड / of which: Debentures & Bonds	1631.61	1631.61	
	जिनमें सेः अनुषंगी कंपनियां / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं / of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates			
	जिनमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)/ of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	1480.00	1480.00	
lii	ऋण तथा अग्रिम / Loans and advances	25568.45	25568.45	
	जिनमें सेःबैंकों को ऋण तथा अग्रिम ∕ of which: Loans and advances to banks	192.33	192.33	
	जिनमें सेःग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम / of which: Loans and advances to customers	25376.12	25376.12	
lv	अचल आस्तियां / Fixed assets	183.64	183.64	
	जिनमें सेः गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां / Of which: Goodwill and intangible assets			
V	अन्य आस्तियां / Other assets	653.79	653.79	
	जिनमें सेः गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां / Of which: Goodwill and intangible assets			
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां/ of which: Deferred tax assets			
Vi	समेकन पर गुडविल / Goodwill on consolidation			
Vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष / Debit balance in Profit & Loss account			
	कुल आस्तियां / Total Assets	59779.26	59779.26	



चरण 3 / Step 3 (रु. मिलियन में / ₹ in Million)

बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेंम्प्लेट का उद्धरण (जोड़े गए स्तंभ सहित)—सारणी डीएफ—11 (भाग ।/II, जो भी लागू हो) Extract of Basel III common disclosure template (with added column) - Table DF-11 (Part I/ Part II whichever, applicable)

> सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित निधियां Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

	Common Equity rier reapital. Institu	illents and reserves	
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers / letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा गैर—संयुक्त—स्टाक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टाक अधिशेष का जोड़ Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	1310.00	a1 and a2
2	प्रतिधारित आय / Retained earnings		
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य निधियां) / Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	3540.22	
4	सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल गैरसंयुक्त नान स्टाक कंपनियों पर लागू) / Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	4850.22	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन / Prudential valuation adjustments		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता के निवल)/ Goodwill (net of related tax liability)		

सारणी डीएफ — 13 : विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विषेशताएं

बैंक ने किसी प्रकार की विनियामक पूंजी लिखत जारी नहीं किए हैं।

TABLE DF-13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Bank has not issued any kind of regulatory instruments.



31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन—पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(रू० हजारों में) (₹ In thousands)

				(र in thousands)
		अनुसूची	31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
		SCHEDULE	के अनुसार	के अनुसार
			As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
पूँजी और दायित्व	CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	675000	675000
आरक्षितियां और अधिशेष	Reserves & Surplus	2	4271839	3777843
जमा राशियां	Deposits	3	53440429	46495804
उधार	Borrowings	4	1614	1802
अन्य दायित्व और उपबंध	Other Liabilities & Provisions	5	1390380	2475452
जोड़	Total		59779262	53425901
आस्तियां	ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक	Cash & Balances with	6	2742677	2191796
में अतिशेष	Reserve Bank of India			
बैंकों में अतिशेष और मांग पर	Balances with Banks & Money			
तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	at call and Short Notice	7	16849221	14570344
निवेश	Investments	8	13781477	11397400
अग्रिम	Advances	9	25568455	24370425
स्थिर आस्तियां	Fixed Assets	10	183639	189125
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	653793	706811
जोड़	Total		59779262	53425901
समाश्रित दायित्व	Contingent Liabilities	12	843252	683816
संग्रह के लिए बिल	Bills for collection		7608	20954
प्रमुख लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
खातों पर टिप्पणी	Notes on Accounts	18		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन—पत्र का अभिन्न अंग हैं। Schedules referred above form an integral part of Balance Sheet

एस.के.गुप्ता अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	एस.जी. राव निदेशक	डॉ. वी.पी.एस. अरोड़ा निदेशक	सी.ए. नीरज शारदा निदेशक
सी.ए. मृदुल कुमार अग्रवाल निदेशक	अतुल कुमार अग्रवाल निदेशक	डॉ. (श्रीमती) के.के. शर्मा निदेशक	एस. ज्ञानवेल निदेशक
	`		हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
के.के. अरोड़ा वाइस प्रेसिडेन्ट	नरेश भारद्वाज चीफ आपरेटिंग आफीसर		कृते विजय मुकेश एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार एफआरएन 014554 एन
			सी.ए.मुकेश जैन
स्थान— नई दिल्ली दिनांक ८ मई, 2015			साझेदार एमएन ०९४१९९



31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(रू० हजारों में)

(₹ In thousands)

		अनुसूची SCHEDULE	31-03-2015 के अनुसार As on 31.03.2015	31-03-2014 के अनुसार As on 31.03.2014
 l. आय	I. INCOME		AS 011 31.03.2013	AS OII 31.03.201
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	5075551	4325831
अन्य आय	Other Income	14	492018	259453
जोड़	Total	•	5567569	4585284
			3007 303	4000204
l. व्यय व्यय किया गया ब्याज	II. EXPENDITURE	4.5	2277067	0007024
	Interest Expended	15	3377067	2687234
परिचालन व्यय	Operating Expenses	. 16	1136375	929496
उपबन्ध और आकस्मिक व्यय	Provisions & Contingend	iles	382308	314320
जोड़	Total		4895750	3931050
II. लाम	III. PROFIT			
वर्ष का शुद्ध लाभ	Net profit for the year		671819	654234
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	Profit available for ap	propriation	671819	654234
V. विनियोजन	IV. APPROPRIATIONS			
अंतरण	Transfer To :			
(i) सांविधिक आरक्षितियां	(i) Statutory Reserve		167955	163558
(ii) राजस्व और अन्य आरक्षितियां	(ii) Revenue & Other Re	eserves:		
क) निवेश आरक्षित खाता	a) Investment Rese		0	0
ख) सामान्य आरक्षितियां ग) विशेष आरक्षितियां	b) General Reserve		295018 30655	286766 31320
प्रस्तावित लाभांश	c) Special Reserve		148500	
	Proposed Dividend			148500
लाभांश कर (सरचार्ज और शिक्षा प्रतिकर सहित)	Dividend Tax (including surcharge and edu.Ces	a)	29691	24090
आरक्षित पूंजी	Capital Reserve	5,		
जोड़	Total		671819	654234
प्रति शेयर आय (रू०)	Earnings per Share (₹	:)		
मूल	Basic		9.95	9.69
तनु	Diluted		9.95	9.69
रस.के.गुप्ता	एस.जी. राव	डॉ. वी.पी.एस. अरोड़ा		रज शारदा
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक	निदेशक	निदेशक	
प्ती.ए. मृदुल कुमार अग्रवाल	अतुल कुमार अग्रवाल	डॉ. (श्रीमती) के.के. शम		वेल
नेदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	0) ()
	X.			ातन रिपोर्ट के अनुसार
हे.के. <mark>अरो</mark> ड़ा	नरेश भारद्वाज			य मुकेश एण्ड कम्पनी
ग्राइस प्रेसिडेन्ट	चीफ आपरेटिंग आफीसर		सनदी लेख एफआरएन	श्राकार 1 014554 एन
थान– नई दिल्ली			सी.ए.मुके साझेदार	श जन
श्यान— नइ ।दल्ला देनांक ८ मई, २०१५			साझदार एमएन ०९४	1199
4 11 7 0 10, 2010		50	2.12.1 094	+100



तुलन–पत्र की अनुसूचियां Schedules to Balance Sheet

(रू० हजारों में)

(₹ In thousands)

			0.0.0	(₹ In thousands)
			31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
			के अनुसार As on 31.03.2015	के अनुसार As on 31.03.2014
अनुसूची – 1 पूंजी	SCH	IEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी (10 रूपये प्रति शेयर	Auth	orised Capital (15,00,00,000 Equity	1500000	1500000
वाले 15,00,00,000 शेयर)		res of ₹ 10/- each)		
(विगत वर्ष 10 / – रूपये प्रति शेयर मूल्य		vious Year -15,00,00,000 Equity		
वाले 15,00,00,000 शेयर)	Shar	res of ₹ 10/- each)		
जारी, अभिदत्त, मांगी गई और चुकता	Issu	ed,Subscribed,Called up and Paid up	675000	675000
पूंजी (10 रू० प्रति शेयर वाले	capit	tal 675,00,000 Equity Shares		
6,75,00,000 शेयर)	of ₹	10/- each		
जोड़	Tota	ıl	675000	675000
अनुसूची – 2 आरक्षितियाँ और अधिशेष	SCH	IEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS		
। सांविधिक आरक्षितियाँ	I.	Statutory Reserve :		
अथशेष		Opening Balance	1072757	909199
वर्ष के दौरान परिवर्धन		Addition during the year	167954	163558
अंतिम शेष		Closing Balance	1240711	1072757
॥ पूँजीगत आरक्षितियाँ	II.	Capital Reserve :	47122	49654
क) पुनर्मूल्यन आरक्षितियां	a)	Revaluation Reserve		
अथशेष		Opening Balance	49106	49390
वर्ष के दौरान परिवर्धन –		addition during the year -	8	0
परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुआ मूल्यहास		Depreciation on account of revaluation of	-2532	-284
जो लाभ और हानि खाते को अंतरित किया गया		premises transferred to Profit & Loss Account		
अंतिम शेष		Closing Balance	46574	49106
ख) अन्य	b)	Others	548	548
वर्ष के दौरान परिवर्धन		addition during the year -	0	0
अंतिम शेष		Closing Balance	548	548
III शेयर प्रीमियम	III.	Share Premium :		
अथशेष		Opening Balance	635000	635000
वर्ष के दौरान परिवर्धन		Addition During the Year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां		Deduction during the year	0	0
अंतिम शेष		Closing Balance	635000	635000
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ	IV.			
(क) निवेश विचलन आरक्षितियाँ	(a)	Investment Fluctuation Reserve :		
अथशेष		Opening Balance	0	0
वर्ष के दौरान परिवर्धन		Addition during the year	0	0
घटाएं : सामान्य प्रावधान को अंतरण		Less: Transferred to General Provision	0	0
अन्तिम शेष		Closing Balance	0	0
(ख) अन्य आरक्षितियां	(b)	Other Reserve :		
अथशेष		Opening Balance	1862959	1611246
जोड़ें :–		Addition:		
लाभ–हानि खाते से अन्तरित की गई राशि		Transferred from Profit & Loss Account	300554	286765
कटौती		Deduction:	2635	35052
अन्तिम शेष		Closing Balance	2160878	1862959
निवेश आरक्षिति खाता		Investment Reserve A/C	18117	18117
वर्ष के दौरान परिवर्धन		Addition during the year	0	0
अंतिम शेष		Closing Balance	18117	18117
विशेष आरक्षिति खंड 36(I)(VIII) के अन्तग	र्गत	Special reserve u/s 36 (I) (VIII)	139356	108036
वर्ष के दौरान परिवर्धन		Addition During the year	30655	31320
अंतिम शेष		Closing Balance	170011	139356
जोड़ (IV)		Total (IV)	2349006	2020432
V. लाम और हानि खाते का अतिशेष	٧.	Balance in Profit & Loss Account	0	0
जोड़ (I एवं V)		Total (I to V)	4271839	3777843
,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



(रू० हजारों में)

(₹ In thousands)

			(₹ In thousands)
		31.03.2015 की स्थिति	
		के अनुसार	के अनुसार
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
अनुसूची – 3 निक्षेप	SCHEDULE - 3 DEPOSITS		
क. ।) माँग निक्षेप	A. I) Demand Deposits	44744	24.007
i) बैंकों से ii) अन्य से	i) From Banks ii) From Others	11711 2880173	31667 2610492
,	,		
जोड़	Total	2891884	2642159
II) बचत बैंक निक्षेप III) सावधि निक्षेप	II) Savings Bank Deposits	15469346	14250893
ii) बैंकों से	III) Term Deposits i) From Banks	5181511	5161719
ii) अन्य से	ii) From Others	29897688	24441033
, जोड़	Total	35079199	29602752
जोड़ (।,॥ एवं॥)	Total (I, II & III)	53440429	46495804
ख. ।) भारत में शाखाओं के निक्षेप	B. I) Deposits of Branches in India	53440429	46495804
॥) भारत के बाहर शाखाओं के निक्षेप	II) Deposits of Branches outside India	0	0
•		53440429	
जोड़ (। एवं ॥)	Total (I & II)	53440429	46495804
अनुसूची – ४ उधार	SCHEDULE -4 BORROWINGS		
। भारत में उधार	I Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक	i) Reserve Bank Of India	0	0
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	136	0
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण	iii) Other Institutions and Agencies	1478	1802
॥ भारत के बाहर से उधार	II Borrowings outside India	0	0
जोड़ (। एवं ॥)	Total (I & II)	1614	1802
III जमानती उधार राशियां जो	III Secured Borrowings Included		
उपरोक्त । में शामिल हैं	in I above	1614	1802
अनुसूची – 5 अन्य दायित्व और उपबंध	SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
। संदेय बिल	I Bills Payable	171749	1429970
 अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) 	II Inter Office Adjustments(Net)	0	0
III प्रोद्भूत ब्याज	III Interest Accrued	78680	27009
iv अग्रिम दिया गया कर/स्रोत पर काटा	iv Tax Paid in advance/tax deducted at source	0	0
गया कर (प्रावधान को छोड़कर)	(net of provisions)		
v अन्य (इसमें उपबंध शामिल हैं)	v Others(Including Provisions)	1139951	1018473
जोड़ (I, II, III, IV एवं V)	Total (I, II, III, IV & V)	1390380	2475452
नोट : टियर ॥ पूंजी में लिए गए गौण ऋण			
NOTE: Subordinated Debts raised in	Tier II Capital	Nil	Nil
अनुसूची — 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES		
	WITH RESERVE BANK OF INDIA		
। नकदी (इसमें विदेशी	I Cash in hand (Including foreign	221165	238234
करैंसी नोट सम्मिलित हैं) ॥ भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	currency notes)	2521512	1053560
i) चालू खाते में	II Balances with Reserve Bank of India i) In Current Accounts	2521512 2521512	1953562 1953562
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	0	0
जोड़ (। एवं ॥)	Total (I & II)	2742677	2191796
A (. 2 ,)		21 72011	2101100



(रू० हजारों में)

			(₹ In thousands)
		31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
		के अनुसार	के अनुसार
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
अनुसूची – 7 बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
। भारत में	I In India		
i) बैंकों में अतिशेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खाते में	a) In Current Accounts	626502	1016265
ख) अन्य जमा खाते में	b) In Other Deposit Accounts	14672719	13454079
जोड़	Total	15299221	14470344
णाञ् ii) माँग पर और अल्प सूचना	ii) Money at call and short notice	19299221	14470344
पर प्राप्य धन	,		_
क) बैंकों में	a) With Banks	0	0
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With other institutions	1550000	100000
जोड़	Total	1550000	100000
जोड़ (। एवं ॥)	Total (I & II)	16849221	14570344
॥ भारत के बाहर	II Outside India	NIL	NIL
जोड़ (। एवं ॥)	Total (I & II)	16849221	14570344
अनुसूची – 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS		
। भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	13792304	11434637
घटाएँ :– मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	10827	37237
भारत में शुद्ध निवेश	Net Investments in India	13781477	11397400
अलग–अलग विवरण	Break up		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	10669870	9277760
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	0	0
iv) डिबेंचर और बंध पत्र	iv) Debentures and Bonds	1631607	1314617
v) समनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	0	0
vi) अन्य (यू०टी०आई० की यूनिट्स और	vi) Others (units of UTI and other	1480000	805023
अन्य म्यूच्र्अल फंड्स, वाणिज्यिक पत्र आदि)	mutual funds, comm. papers)	40-044	4400=400
जोड़ ॥ भारत के बाहर निवेश	Total II Investments outside India	13781477 NIL	11397400 NIL
जोड़ (। एवं ॥)	Total (I & II)	13781477	11397400
अनुसूची — 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES		
क. i) क्रय किये गये और मितीकाटे पर	A. i) Bills Purchased and Discounted	62336	73101
भुगतान किये गये विनिमय पत्र	A. I) Bills Fulchased and Discounted	02330	73101
ii) कैश क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट और	ii) Cash Credit, Overdrafts and	15645002	14497010
मांग पर प्रति–संदेय उधार	Loans repayable on demand		
iii) सावधि ऋण	iii) Term Loans	9861117	9800314
, जोड़	Total	25568455	24370425
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	B. i) Secured by Tangible Assets	24137739	23040859
ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Parigible Assets	0	1625
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	1430716	1327941
जोड्	,		
ग. l. भारत में अग्रिम	Total C. I. Advances in India	25568455	24370425
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	14626722	13840391
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	2866	9199
iii) बैंक	iii) Banks	192329	72948
iv) अन्य	iv) Others	10746538	10447887
॥ भारत के बाहर अग्रिम	II. Advances outside India	0	0
जोड़ (। एवं ॥)	Total (I & II)	25568455	24370425
(- ,)	(2)		



(रू० हजारों में)

					(₹ In thousands)
			31.	.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
				के अनुसार	के अनुसार
_			A	s on 31.03.2015	As on 31.03.2014
अन्	प्रूची – 10 स्थिर आस्तियां	SCHEDULE - 10 FIXED ASSE	s		
ı	परिसर	Premises			
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के	At cost/revalued amount as	on 31st March of		
	अनुसार लागत पर / पुनर्मूल्यांकित राशि	the preceding year		120928	71268
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	Addition during the year		1000	49660
	अद्यतन अवक्षरण–पुनर्मूल्यांकन के कारण	Depreciation to date (includ	ng incremental		
	वृद्धिशील मूल्यद्वास सहित	depreciation due to revalua	tion)	18631	12661
	अन्तिम शेष–।	Closing Block I		103297	108267
П	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर	I Other Fixed Assets			
	और फिक्सचर सहित)	(including Furniture & F	xtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के	At cost as on 31st March o			
	अनुसार लागत पर	the preceding year		323665	291306
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	Addition during the year		27978	32538
	वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year		294	179
	अद्यतन अवक्षरण	Depreciation to date		271007	242807
	अन्तिम शेष—॥ का शेष	Closing Block II		80342	80858
	जोड़ (। एवं ॥)	Total (I & II)		183639	189125
अन्	ुसूची – 11 अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 OTHER ASSE	TS		
ı	अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	Inter Office Adjustment (Ne)	26953	84024
П	प्रोद्भूत ब्याज	I Interest Accrued		546615	546501
Ш	अग्रिम रूप से संदत्त / स्रोत पर काटा	II Tax Paid in advance/tax de	ducted at source	41946	32031
	गया कर (शुद्ध प्रावधान को छोड़कर)	(net of provisions)			
IV	लेखन सामग्री और स्टाम्प	V Stationery & Stamps		67	66
V	अन्य	/ Others		38212	44189
	जोड़ (I, II, III, IV एवं V)	Total (I, II, III, IV & V)		653793	706811
अन्	्सूची – 12 समाश्रित दायित्व	SCHEDULE - 12 CONTINGEN	T LIABILITIES		
1	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण	Claims against the Bank not			
•	के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	acknowledged as Debts		7299	4903
П	धोखाघड़ी के विरुद्ध देनदारी	I Liability against Frauds		0	0
 III	संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभृतियां	Il Guarantees given on behal	of constituents	708562	589967
١V	स्वीकृतियां, बेचान और अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements		59968	88946
٧	अन्य	/ Others	aria Carior Congacionic	67423	0
	जोड़ (I, II, III, IV एवं V)	Total (I, II, III, IV & V)		843252	683816
अन्	ुसूची – 13 अर्जित ब्याज	SCHEDULE - 13 INTEREST EA			
I	अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / मितीकाटा	Interest/Discount on Advan-		2882531	2680319
II	निवेशों से आय	I Income on Investments	965692	050055	70000
,,,	घटाएं – वर्ष के दौरान परिशोधित राशि	Less: amount amortised du		952255	793862
Ш	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेषों और अन्य अन्तर—बैंक निवेशों पर ब्याज	Interest on Balances with F of India and other Inter Ban		122/327	838423
iv	अन्य अन्तर—बक्र ।नवशा पर ब्याज	v Others	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1224327 16438	13227
IV	जाड़ (I, II, III, IV एवं V)	Fotal (I, II, III, IV & V)		5075551	4325831
	vii ♦ (i, ii, iii, iv 54 v)	iotai (i, ii, iii, iv o. v)		3073331	4020001



(रू० हजारों में) (₹ In thousands)

			(₹ In thousands)
		31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
		के अनुसार	के अनुसार
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
अनुसूची – 14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME		
l) कमीशन, विनिमय और दलाली	I) Commission, Exchange & Brokerage	36205	33880
॥) निवेशों के विक्रय पर लाभ / हानि	II) Profit/loss on sale of investments	278622	76979
III) आयकर वापसी पर ब्याज	III) Interest on Income Tax Refund	0	3970
IV) विविध आय	IV)Miscellaneous Income	168722	135779
V) तृतीय पार्टी की कमीशन	V) Third party commission	8469	8845
जोड़ (I, II, III, IV एवं V)	Total (I, II, III, IV & V)	492018	259453
अनुसूची – 15 व्यय किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED		
l) निक्षेपों पर ब्याज	I) Interest on Deposits	3376023	2686255
॥) भारतीय रिजर्व बैंक ∕	II) Interest on RBI /		
अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	Inter Bank Borrowings	986	828
III) अ न ्य	III) Others	58	151
जोड़ (।, ॥, एवं ॥।)	Total (I, II & III)	3377067	2687234
अनुसूची — 16 परिचालन व्यय	SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES		
i) कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and Provisions for Employees	776832	633152
ii) किराया, कर और रोशनी	ii) Rent,Taxes and Lighting	86271	74137
iii) मुद्रण और लेखन—सामग्री	iii) Printing and Stationery	7452	7218
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	2589	1247
v) बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षयण	v) Depreciation on Bank's Property	37070	25146
घटाइये – परिसर के पुनर्मूत्यांकन के कारण	Less: Depreciation adjusted from	2532 34538	284 24862
प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यद्वास	Capital reserve on account of revaluation		
	of premises		
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	vi) Directors' Fees, Allowances and Expenses	1120	829
vii) लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय	vii) Auditors' Fees & Expenses (including Branch		
(इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस	Auditors' fee & expenses)	3790	2975
और व्यय सम्मिलित है)			
viii) विधि प्रभार	viii)Law Charges	4434	6146
ix) डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि	ix) Postage,Telegrams, Telephones etc	6872	7174
x) मरम्मत और अनुरक्षण	x) Repairs and Maintenance	11078	9324
xi) बीमा	xi) Insurance	42809	33852
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	158590	128580
जोड़ (I से XII)	Total (I TO XII)	1136375	929496



अनुसूची 17— प्रमुख लेखा नीतियां 2014—15

1. लेखा अभिधारणाएँ

ये वित्तीय विवरण जब तक कि अन्यथा न बताया जाये अवधिगत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं और देश के बैंककारी क्षेत्र में विद्यमान सांविधिक प्रावधानों और प्रयासों के अनुरूप हैं।

2. निवेश:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक श्रेणी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है:

- 2.1.1 परिपक्वता अवधि तक रखे जाने वाले निवेश
- 2.1.2 बिक्री के लिए उपलब्ध निवेश
- 2.1.3 खरीद-बिक्री हेत् रखे गए निवेश
- 2.2 "परिपक्वता अवधि तक रखे जाने वाले" शीर्ष के तहत् आने वाले निवेशों का मूल्यांकन अभिग्रहण लागत जब तक यह अंकित मूल्य जिसमें प्रीमियम लागत को प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया गया है, से अधिक नहीं है पर किया गया है।
- 2.3 "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "खरीद—बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी के निवेश बाजार मूल्य पर चिन्हित हैं। उनका मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम है, पर किया गया है। प्रत्येक स्क्रिप का मूल्यांकन किया गया है तथा मूल्यहास /अधिमूल्यन तुलनपत्र की श्रेणियों के अनुसार श्रेणीवार जोड़ा गया है। शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है किंतु यदि यह मूल्य वृद्धि है तो इसकी नजरअंदाज कर दी गई है।
- 2.4 "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "खरीद—बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी के निवेश में मूल्यहास के कारण किये गये शुद्ध प्रावधानों को लाभ—हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा इतनी ही राशि अथवा "निवेश आरक्षित खाते" में उपलब्ध शेष राशि में से जो भी कम हो को "निवेश आरक्षित खाते" से "लाभ—हानि विनियोजन खाते" को अंतरित किया गया है।

"बिक्री हेतु उपलब्ध" और "खरीद—बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी में अतिरिक्त शुद्ध प्रावधान होने पर उसे लाभ—हानि खाते में जमा किया गया है और उतनी ही राशि का (शुद्ध कर यदि कोई हो एवं ऐसे अतिरिक्त प्रावधान में प्रयोज्य सांविधिक प्रारक्षितियों को अन्तरण को छोड़कर) निवेश आरक्षित खाते में विनियोजन किया गया है।

- 2.5 निवेशों की बिक्री से लाभ / हानि को जो सम्बन्धित निवेशों की भारित औसत लागत / उनके बही मूल्य पर आधारित है को लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।
- 2.6 अनर्जक प्रतिभूतियों (जहां ब्याज / मूल बकाया है) के सम्बन्ध में आय का अभिज्ञान नहीं किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है।

SCHEDULE 17 — SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2014-15

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements have been prepared on the historical cost basis unless otherwise stated and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the Banking Sector of the country.

2. INVESTMENTS:

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, Investments portfolio of the bank is classified into the under mentioned categories and the valuation norms, as prescribed by RBI have been applied to each category:

- 2.1.1 Held to Maturity
- 2.1.2 Available for Sale, and
- 2.1.3 Held for Trading
- 2.2 Investment under "Held to Maturity" are valued at cost of acquisition unless it is more than the face value in which case premium is amortized over the remaining maturity period of the security.
- 2.3 Investment held under "Available for Sale" & "Held for Trading" category are marked to market and valued at cost or market value whichever is lower. Individual scrips are valued and depreciation / appreciation is aggregated category wise as per the classification in Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.
- 2.4 The net provisions arising on account of depreciation in "Available for Sale" & "Held for Trading" is charged to Profit & Loss Account and an equivalent amount or the balance available in the "Investment Reserve Account", whichever is less, is transferred from the "Investment Reserve Account" to the "Profit & Loss Appropriation Account".

In case of excess net provision in "Available for Sale" & "Held for Trading", the same is credited to Profit & Loss Account and an equivalent amount (net of taxes, if any, and net of transfer to Statutory Reserve as applicable to such excess provisions) is appropriated to the Investment Reserve Account.

- 2.5 Profit/ Loss on sale of investments are recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost of the related investments/ book value thereof.
- 2.6 In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrear) income is not recognized, and appropriate provision is made for depreciation in value of securities.



- 2.7 निवेशों के अभिग्रहण की लागत में कमीशन, दलाली, स्टाम्प शुल्क, प्रोत्साहन राशि आदि को सिम्मिलित नहीं किया गया है।
- 2.8 "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "खरीद—बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पी०डी०ए०आई०)/फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्ज एसोसिएशन (फिमडा) और स्टाक एक्सचेंज द्वारा घोषित दरों को आधार बनाया गया है।

उन निवेशों, जिनके लिए ऐसी दरें / दाम उपलब्ध नहीं है, का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मानकों जो नीचे दिए गए हैं के अनुसार किया गया है :

- 2.8.1 इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन कम्पनी के नवीनतम तुलनपत्र (जो 12 माह से अधिक पुराना न हो) यदि उपलब्ध हो, के अनुसार अन्यथा एक रूपया प्रति कम्पनी के आधार पर किया गया है।
- 2.8.2 म्यूच्यल फंडों की यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन स्टाक एक्सचेंज की मूल्य सूची के अनुसार हुआ है। गैर सूचीबद्ध म्यूच्यल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन योजना विशेष के सन्दर्भ में म्यूच्यल फंडों के यूनिटों का मूल्यांकन योजना विशेष के सन्दर्भ में म्यूच्यल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद कीमत के आधार पर हुआ है। उन फंडों के मामले में जो लॉक इन अविध में हैं तथा जहां पुनर्खरीद कीमत / बाजार दाम उपलब्ध नहीं है यूनिटों का मूल्यांकन शुद्ध आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) पर हुआ है। यदि शुद्ध आस्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है तो इनका मूल्यांकन लॉक इन अविध की समाप्ति तक लागत पर किया गया है। जब कहीं पुनर्खरीद कीमत उपलब्ध नहीं है तो यूनिटों का मूल्यांकन सम्बन्धित योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य पर हुआ है।
- 2.8.3 शून्य कूपन बाण्डों का मूल्यांकन रखाव लागत अर्थात् अभिग्रहण लागत तथा उस पर अभिग्रहण के समय विद्यमान दर से प्रोद्भूत रियायत पर किया गया है। बाजार मूल्य के सन्दर्भ में इन बाण्डों को बाजार मूल्य पर बही खाते में अंकित किया गया है।

3. अग्रिम और उन पर प्रावधान:

- 3.1 अग्रिमों को, उचंत ब्याज, मुकदमा दायर किये गये खातों से प्राप्त विविध जमा खाते में रखी राशि, साविध जमा रसीद के रूप में रखी मार्जिन राशि (संदिग्ध / हानिकर खातों के मामले में), गैर निष्पादक आस्तियों के लिए समय—समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप किये गये प्रावधानों और अनुदान आरक्षित निधि (गैर निष्पादक अग्रिमों पर) घटाकर दिखाया गया है।
- 3.2 भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अग्निमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानिकर आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है और उन के लिए भा.रि.बै. द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

4. अचल आस्तियां :

अचल आस्तियों को उनकी अवधिगत लागत आधार पर लेखे में लिया गया है सिवाय कुछ परिसरों के, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया था और जिनका पुनर्मूल्यांकित मूल्य दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आई अतिरिक्त राशि को "पूंजीगत आरक्षित निधि" शीर्ष के अन्तर्गत "पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि" में जमा किया गया है।

- 2.7 Cost of acquisition of investments excludes commission, brokerage, stamp duty, incentive etc.
- 2.8 For the purpose of valuation of Investments in "Available for Sale" & "Held for Trading" category, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) and quotes of Stock Exchange has been considered.

Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

- 2.8.1 Equity Shares are valued as per latest Balance Sheet of the company (not more than 12 months), if available, otherwise are valued at Re. 1/- per company.
- 2.8.2 Investments in Mutual Funds Units are valued as per Stock Exchange quotation, Investment in non-quoted Mutual Fund Units are valued on the basis of the latest repurchase price declared by the Mutual Fund in respect of each particular Scheme. In case of funds with a lock-in period, where repurchase price/ market quote is not available, Units are valued at NAV. If NAV is not available, then the same are valued at cost, till the end of the lock-in period. Whenever the re-purchase price is not available, the Units are valued at the NAV of the respective scheme.
- 2.8.3 Zero coupon bonds are valued at carrying cost ie. acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition. These bonds are marked to market with reference to market value.

3. ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

- 3.1 Advances are shown net of Interest Suspense, amount received and held in Suit filed Sundry Deposits, Margin held in form of FDR (in case of doubtful/loss accounts), Provisions have been made for Non Performing Advances in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India from time to time and Subsidy Reserve Fund (on Non-performing advances).
- 3.2 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets as per prudential norms of the Reserve Bank of India and Provision is made as per guidelines issued by RBI.

4. FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at their historical cost except certain Premises, which were revalued and are stated at revalued amounts. The surplus on account of revaluation stands credited to Revaluation Reserve under the head "Capital Reserve".



5. स्टाफ हित लाभ:

मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी कोष, पेंशन निधि और संचित उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिए प्रावधान की गणना एक्चूरियल आधार पर की गई है।

6. आय अभिज्ञान:

- 6.1 आय की पहचान प्रोद्भवन आधार पर की गई है। गैर निष्पादक अग्रिमों और निवेशों के मामले में वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए ऐसी आय को वसूली होने पर ही आय में लिया गया है।
- 6.2 कमीशन से आय (बैंक गारन्टी सहित), विनिमय और दलाली, शुल्क, लॉकर के किराये और अतिदेय बिलों पर ब्याज को प्राप्ति आधार पर ही आय के रूप में लिया गया है।

मूल्यहास :

- 7.1 वर्ष के दौरान बैंक ने कम्पनी अधिनियम 2013 की "अनुसूची ॥" के अन्तर्गत दिए गए परिवर्ती प्रावधानों के अनुसार अचल आस्तियों के मूल्यह्मस की गणना की विधि में परिवर्तन किया है। मूल्यह्मस की दर कम्पनी अधिनियम की "अनुसूची XVI" के अन्तर्गत निर्दिष्ट पुरानी दरों {मूल्यह्मसित मूल्य (WDV)} से परिवर्तित करके जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की "अनुसूची ॥" {मूल्यह्मसित मूल्य (WDV)} के अनुसार) में निर्दिष्ट है सम्बन्धित आस्तियों की लागत के 5 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य को लेने के बाद आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि को लेकर किया गया है।
- 7.2 खरीद वर्ष में पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया और बिक्री / निस्तारण / समाप्ति के वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं लगाया / प्रभारित किया गया है।
- 7.3 कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर सोफ्टवेयरों पर मूल्यह्नास का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार 33.33 प्रतिशत की दर से सरल रेखा पद्धति पर किया गया है।

8. आय पर कर:

आयकर के लिए लेखाकरण इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एकाउन्टिंग मानक—22 के अनुरूप आस्थिगित कर आस्ति/देयता के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थिगित कर आस्ति/देयता की संगणना तुलन पत्र की दिनांक तक प्रचलित कर की दरों और नियमों के अनुसार की गई है।

9. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 135 के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह का.सा.उ. (सीएसआर) समिति बनाये। सी.एस.आर. समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

5. STAFF BENEFITS

Contribution to recognized Gratuity Fund, Pension Fund and Provision for encashment of accumulated earned leaves are accounted for on actuarial basis.

6. REVENUE RECOGNITION

- 6.1 Income is recognized on accrual basis. In view of uncertainty of realization in case of Non-Performing Advances and Investments, such income is accounted for only on realization.
- 6.2 Income from Commission (including bank guarantee), Exchange & Brokerage, Fees, Locker Rent and Interest on Overdue Bills is taken on receipt basis.

7. DEPRECIATION

- 7.1 During the year the Bank, as per the transitional provisions under 'Schedule II' of the Companies Act, 2013 changed the method/calculation of depreciation of fixed assets. The depreciation rate has been changed from the old rate prescribed under 'Schedule XVI' of Companies Act, 1956 (as per WDV Method) to rate calculated on the basis of remaining useful life of the assets (as per WDV Method) as prescribed in 'Schedule II' of the Companies Act, 2013 after taking residual value @ 5% of the cost of the respective assets.
- 7.2 Depreciation is charged, for full year in the year of purchase and no depreciation is provided/ charged in the year of sale/disposal/deletion.
- 7.3 Depreciation on Computers and Computer Software's are provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% in line with guidelines of Reserve Bank of India.

8. TAXES ON INCOME

In compliance with Accounting Standard-22 on Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India, accounting for Income tax is made after considering the effect of Deferred Tax assets/ liabilities. While calculating the deferred tax assets/ liabilities, tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of Balance Sheet date are applied.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

According to Section 135 of the Companies Act, 2013 bank is required to have CSR Committee. The formation of CSR Committee is under process.



Notes on Accounts



अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियाँ 2014-15

- ये खाते बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 की धारा 29 जिसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- 2. तुलनपत्र में सभी आंकड़े भारतीय हजार रुपये में दर्शाये गये हैं सिवाय प्रति शेयर आय के जिसे रुपये में दर्शाया गया है।

3. बही संतुलन और समाधान

- 3.1 कुछ शाखाओं में सहायक बही / तुलन बही में शेष मिलान या महाबही में तद्नुरूप नियंत्रक खातों से उनके समाधान का कार्य प्रगति पर है।
- 3.2 खातों के विभिन्न शीर्षों जिनमें अंतर शाखा समायोजन / समाशोधन समायोजन आदि सम्मिलित है में बकाया कुछ नामे / जमा प्रविष्टियों में समाधान का कार्य प्रगति पर है।
- 3.3 उपरोक्त बही संतुलन/समाधान/मिलान का कार्य जो अभी पूरा नहीं हुआ है के परिणामस्वरूप होने वाले समायोजन का खातों पर प्रभाव सुनिश्चत किये जाने योग्य नहीं है।

अग्रिम

- 4.1 मानक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधान तथा प्रावधान की उस राशि में से जो भा०रि०बैं० के विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अपेक्षित राशि से अधिक है हानिकर आस्तियों की बट्टे खाते डाली जाने वाली राशि को कम करके "अन्य दायित्व और उपबन्ध" शीर्ष के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है सिवाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii क) के अन्तर्गत वर्ष 1997—98 की समाप्ति तक की रू० 312.54 लाख की संचित राशि के, जिसे निरन्तर "आरक्षितियां और अधिशेष" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा है।
- 4.2 भा०रि०बैं० के दिशा—िनर्देशों के अनुसार बही ऋण के विरुद्ध किए गए अग्रिमों को "मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत" शीर्ष के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है जो इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा दिए गए मार्गदर्शन नोट के अनुरूप नहीं है।

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS 2014-15

- The accounts have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 read with the provisions of Section 128 of the Companies Act, 2013.
- 2 All figures in Balance Sheet are provided in Indian Rupees in terms of thousands except EPS, which is shown in Rupees.

3. BALANCING OF BOOKS AND RECONCILIATION:

- 3.1 At some branches, balancing of subsidiary ledgers / balance books or reconciliation thereof with the corresponding control accounts in General Ledger are in progress.
- 3.2 Reconciliation of some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc are in progress.
- 3.3 Pending completion of aforesaid balancing / reconciliation/matching, the impact of consequential adjustments on the accounts is not ascertainable.

4. ADVANCES:

- 4.1 Provision made for Standard Advances and Provision made in excess of RBI prudential norms after meeting the write off of loss assets are included under the head "Other Liabilities and Provisions" except the accumulated balance of Rs. 312.54 Lac up to the close of the year 1997-98 created under Section 36(1) (vii a) of the Income Tax Act, 1961, which is continued to be shown under the head "Reserve & Surplus".
- 4.2 In accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India, advances against book debts have been included under the head "Secured by Tangible Assets" which is not in line with guidance note issued by The Institute of Chartered Accountants of India.



लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts

6.1 Capital:

5. करों के लिए प्रावधान

एसैसमैंट / आयकर अधिनियम की अपील के विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में न्यायिक उद्घोषणा और / या न्यायिक सलाहकार की राय के अनुसार पहले से ही किए प्रावधानों को समुचित माना गया है।

6. भा०रि०बैं० द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

5. PROVISION FOR TAXATION:

In respect of pending cases of assessment /appeal under The Income Tax Act ,the provisions already made are, in view of judicial pronouncement and/ or counsel's opinion ,considered to be adequate .

In terms of guidelines issued by the RBI the following disclosures are furnished:

6.1 पूंजी

6.1	पूजा .				
मद		Iten	ıs	चालू वर्ष	विगत वर्ष
				Current Year	Previous Year
(i)	जोखिम भारित परिसम्पति की तुलना में पूंजी का अनुपात (प्रतिशत)	(i)	CRAR (%)	14.71%	15.02%
(ii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात — टियर l पूंजी (प्रतिशत)	(ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	14.26%	14.58%
(iii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात — टियर II पूंजी (प्रतिशत)	(iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	0.45%	0.44%
(iv)	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	(iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India in nationalized banks	NA	NA
(v)	बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर धारिता का प्रतिशत	(v)	Percentage of Share holding of Bank of Baroda	98.57%	98.57%
(vi)	टियर II पूंजी के रूप में दिए गए गौण ऋण की राशि	(vi)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital	NIL	NIL
	बेसल III		BASELIII		
(i)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात प्रतिशत	(i)	CRAR (%)	14.86%	15.13%
(ii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में टियर—। पूंजी प्रतिशत	(ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	14.41%	14.69%
(iii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में टियर—।। पूंजी प्रतिशत	(iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	0.45%	0.44%





6.2 निवेश **6.2 Investments** रूपये करोड़ में (₹ in crore)

मद		lter	ms	चालू वर्ष	विगत वर्ष
				Current Year	Previous Year
(l)	निवेशों का मूल्य	(l)	Value of Investments		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य	(i)	Gross Value of Investments		
(ক)	भारत में	(a)	In India	1379.23	1143.46
(ভা)	भारत से बाहर	(b)	Outside India	0.00	0.00
(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान	(ii)	Provisions for Depreciation		
(ক)	भारत में	(a)	In India	1.08	3.72
(ভা)	भारत से बाहर	(b)	Outside India	0.00	0.00
(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य	(iii)	Net Value of Investments		
(ক)	भारत में	(a)	In India	1378.15	1139.74
(ভা)	भारत से बाहर	(b)	Outside India	0.00	0.00
(II)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए	(II)	Movement of provisions held towards		
	प्रावधान में उतार–चढ़ाव		depreciation on investments		
(i)	अथशेष	(i)	Opening balance	3.72	2.00
(ii)	जोड़े : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	(ii)	Add: Provisions made during the year	0.00	1.72
(iii)	घटाइये : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान की	(iii)	Less: Write-off/write-back of excess	2.64	0.00
	बट्टे खाते में डाली गई/पुरांकित राशि		provisions during the year		
(iv)	इति शेष	(iv)	Closing Balance	1.08	3.72

6.2.1 रिपो (पुनः खरीद) लेन-देन/Repo Transactions: शून्य/NIL 6.2.2 गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग / Non-SLR Investment Portfolio :

(i) गैर एस.एल.आर. निवेशों के निर्गमकर्त्ताओं का संघटन / Issuer composition of Non SLR investments रूपये करोड़ में (₹ in crore)

क्र.सं.	जारीकर्ता	राशि	प्राइवेट स्थापन	इन्वेस्टमैंट ग्रेड से	वे प्रतिभूतियां जिनकी	गैर सूचीबद्ध
S.No.	Issuer	Amount	Private Placement	नीचे की प्रतिभूतियां 'Below investment Grade' securities	दर निर्घारित नहीं है 'Unrated' securities	प्रतिभृतियां 'Unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	17.05	11.34	0.00	0.00	0.00
	Public Sector Undertakings	(17.55)	(11.34)	(0.00)	(0.00)	(0.50)
(ii)	वित्तीय संस्थान	115.45	66.25	0.00	0.00	0.00
	Financial Institutions	(83.25)	(56.99)	(0.00)	(0.14)	(3.26)
(iii)	बैंक / Banks	15.15	10.13	0.00	0.00	0.00
		(15.15)	(10.13)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
(iv)	निजी कम्पनी / Private Corporate	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		(15.51)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidiaries/Joint Ventures	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
(vi)	अन्य / Others	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(83.16)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
(vii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Provisions held for depreciation	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	जोड़ / Total	311.16	87.71	0.00	0.00	0.00
		(214.62)	<u>(78.45)</u>	(0.00)	(0.14)	(3.76)

नोट – कोष्ठक में दी गई संख्याएं विगत वर्ष की संख्याओं को दर्शाती हैं / Note: Figures in bracket indicates previous year's figures.

(₹ in crore)



(ii) अनर्जक हो गये गैर एस.एल.आर. निवेश

(ii) Non performing Non-SLR investments

(रू० करोड़ में)

		(<u> </u>
विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष	Particulars	Current	Previous
	-11/6 -11			Year	Year
अथ शेष	0.00	0.04	Opening balance	0.00	0.04
वर्ष के दौरान वृद्धि			Additions during the year		
(1 अप्रैल से 31 मार्च तक)	0.00	0.00	(since 1st April to 31st March)	0.00	0.00
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	0.00	0.04	Reductions during the above period	0.00	0.04
इति शेष	0.00	0.00	Closing balance	0.00	0.00
सकल प्रावधान	0.00	0.00	Total provisions held	0.00	0.00

6.3 व्युत्पन्न/Derivatives

शून्य/NIL

6.4 आस्तियों की गुणवत्ता / Asset Quality

6.4.1 सकल अनर्जक आस्तियां / Non-Performing Asset

रूपये करोड़ में (₹ in crore)

मद		Iter	n	चालू वर्ष	विगत वर्ष
				Current Year	Previous Year
(i)	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध गै.नि.आ. का प्रतिशत	(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	0	0
(ii)	गै.नि.आ. (सकल) में उतार–चढ़ाव	(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
(ক)	अथशेष*	(a)	Opening balance*	61.10*	67.26*
(ভা)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	(b)	Additions during the year	26.30	13.50
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	(c)	Reductions during the year	9.99	19.66
(ঘ)	इति शेष*	(d)	Closing balance*	77.41	61.10
(iii)	शुद्ध गै.नि.आ. में उतार–चढ़ाव	(iii)	Movement of Net NPAs		
(ক)	अथ शेष	(a)	Opening balance	0	0
(ভা)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	(b)	Additions during the year	0	0
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	(c)	Reductions during the year	0	0
(ঘ)	इति शेष	(d)	Closing balance	0	0
(iv)	गै.नि.आ. के लिए प्रावधान में	(iv)	Movement of provisions for NPAs		
	उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए		(excluding provisions on standard assets)		
	प्रावधान को छोड़कर)				
(ক)	अथशेष**	(a)	Opening balance**	67.07	67.27
(ভা)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(b)	Provisions made during the year	10.67	0.00
(ग)	अतिरिक्त प्रावधान की बट्टे खाते में	(c)	Write-off / write-back of		
	डाली गयी / प्रतिलेखित की गई राशि		excess provisions	00.33	00.20
(ঘ)	इतिशेष**	(d)	Closing balance**	77.41	67.07

^{*} उचंत ब्याज की राशि को घटाकर आई राशि / * Amount is net of interest suspense

^{**}इस राशि में अस्थाई प्रावधान सम्मलित है। / ** Amount includes floating provision



6.4.2 पुनर्गठन के आधीन ऋण आस्तियों का विवरण / Details of Loan Assets subjected to Restructuring

	पुनर्गतन का Types of Re	प्रकार structure	व	ज्यमी ऋण Under C	पुनर्गतन त DR Me	न्त्र के अन्तः echanism	र्गत 1	लघु	सूक्ष्म उद्यो Under S	ाऋण पुनर ME Debt	हिन तंत्र के Rest.Me	अन्तर्गत ech			अन्य Others				7	योग / Tota	al	
	आस्ति वर्गीo AssetClss.	मानक St	मा. St	अवमा. Ss	सं. D	ळानि Lo	योग tot	मा. St	अवमा SS	₹i.	हानि. Lo	योग Tot	मा. St	अवमा. SS	₩. D	हानि. Lo	योग Tot	मा. St	अवमा SS	सं. D	हानि. Lo	योग Total
	विवरण Details	51									LU	101	51	33		LU	101	31				TOTAL
1	01-04-2014 को पुनर्गतित खाते Rest. a/c as on 1.04.2014	उधारकर्ताओं की संख्या No.of Borr.								1		1	28		3		31	28		4		32
	1.04.2014	बकाया राशि / Amt. O/St								11.9 2		11.92	31.29		3.55		34.84	31.29		15. 47		46.76
		प्राय / धान Prov.								2.48		2.48	0.06		1.42		1.48	0.06		3.9 0		3.96
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित खाते Fresh. Rest.	उधारकर्ताओं की संख्या No.of Borr.											470	12			482	470		12		482
	During The Year	बकाया राशि Amt. O/St											30.31	0.05			30.36	30.31		0.0 5		30.36
		ਸ਼ਥ धान Prov.											2.09	0.01			2.10	2.09		0.0		2.10
3	उच्चीकरण Upgradation											शून्य / N	lil									
4	पुनर्ग.मा.आ.जिनके लिए बड़े प्रावधान की और / या वि . व. की समाप्ति पर	चधारकर्ताओं की	ा संख्या / ।	No.of Bo	rr.					1		1	26		3		29	26		4		30
	जोखिम भार जोड़ने की आयश्यकता नहीं है अतः उन्हें आगामी विस्तीय	बकाया राशि / A	बकाया चाकि / Amt. O/St							11.9 2		11.92	24.23		3.55		27.78	24.23		15. 47		39.70
	वर्ष की शुरुआत पर पुन गैं के रूप में दर्शाने की आयश्यकता नहीं हैं।	प्राय ∕ Prov .								2.48		2.48	0.06		1.42		1.48	0.06		3.9 0		3.96
	Rest. St. Adv.which cease to attract	_		_																		
	higher prov.and or add. Risk weight at the																					
	end of the FYand hence need not be shown as		_																			
	rest.St adv.at the beg. Of next FY					_		_														
5	विस्तीय वर्ष के दौरान पुन र्ग. खातों का स्तर निम्नतर होना											शून्य / N	lil									
	Downgradin g of rest. a/cs during the FY																					
6	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये पुनर्ग. खाते Write off rest. a/cs during the year											शून्य ∕ N	lil									
7	31.03 2015) को पुनर्ग खाते Rest. a/cs as on	उधारकर्ताओं की संख्या No.of Borr.	-	-	-	-							472		12		484	472	1:	2		484
	31.03.2015	बकाया राशि Amt. O/St	-	-	-	-							37.3	7	0.05		37.42	37.3	7 0.0	05		37.42
		प्राय धान Prov.	-	-	-	-							2.09	٠	0.01		2.10	2.09	0.0	01		2.10

^{*}इसमें से 2014—15 से पहले पुनर्गठित खातों में किए गए रु.0.32 करोड़ का प्रावधान हटा दिया गया है। इसलिए पुनर्गठित खातों में उपरोक्त राशि सिंहत सकल प्रावधान रु.2.41 करोड़ है।

^{*}This excludes provision of ₹ 0.32 Crore made on restructured accounts prior to 2014-15 therefore total provision on restructured accounts inclusive of aforesaid amount is ₹ 2.41 Crore



लेखों पर टिप्पणियां Notes on Accounts

6.4.3 आस्तियों की पुनर्संरचना के लिए सिक्यूरिटाईजेशन / पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण : शून्य

6.4.3(क) खरीदी / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण : शून्य

6.4.4 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

म

(रू० करोड़ में)

6.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction: NIL

6.4.3(a) Details of non performance financial assets purchased/sold.: Nil

6.4.4 Provisions on Standard Asset

(₹ in crore)

मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष	Item	Current Year	Previous Year
नानक आस्तियों के लिए प्रावधान	8.84	8.68	Provisions towards Standard Assets	8.84	8.68

6.4.5 वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अस्थाई प्रावधान

(रू० करोड़ में)

		1
मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क) अस्थाई प्रावधान खाते में अथशेष	37.02	48.12
ख) लेखा वर्ष में किये गये		
अस्थाई प्रावधान की मात्रा	3.75	0.00
ग) लेखा वर्ष में किये गये आहरण की राशि	0.00	11.10
घ) अस्थाई प्रावधान खाते में इति शेष	40.77	37.02

6.4.5 Floating Provisions for Financial year 2013-14

(₹ in crore)

Item	Current Year	Previous Year
(a) Opening balance in the floating provisions account	37.02	48.12
(b) The quantum of floating provision made in the accounting year	3.75	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	0.00	11.10
(d) Closing balance in the floating provision account	40.77	37.02

7.4.7 प्रावधान सुरक्षा अनुपात

सकल

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
न प्रावधान / सकल एन.पी.ए.	(77.41/77.41)	(67.07/61.10
	100%	110%

बैंक ने 31 मार्च, 2015 को सकल एन.पी.ए. के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान सुरक्षा अनुपात रखा जबिक भा.रि.बैं. ने इसके लिए 70 प्रतिशत का मानक निर्धारित किया है। इसलिए शुद्ध एन.पी.ए. शून्य है। सकल प्रावधान में रु.40.77 करोड़ का अस्थाई प्रावधान सम्मिलित है।

7.4.7 Provisioning Coverage Ratio

	Current Year	Last Year
Total Provision/Total NPA	(77.41/77.41)	(67.07/61.10)
	100%	110%

The bank has achieved Provisioning Coverage Ratio of 100% as against the stipulated RBI provision coverage ratio norm of 70% with reference to the gross NPAs as at 31st March, 2015. Hence the net NPAs stand at "NIL". Total provision includes floating provision amounting to ₹ 40.77 crore.

6.5 व्यावसायिक अनुपात/Business Ratio

मद	Item	चालू वर्ष	विगत वर्ष
		Current Year	Previous Year
i) कार्यकारी निधियों में ब्याज से आय का प्रतिशत	i) Interest Income as a percentage to Working Funds	9.55%	9.79%
ii) कार्यकारी निधियों में गैर ब्याज से आय का प्रतिशत	ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.93%	0.59%
iii) कार्यकारी निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.98%	2.19%
iv) आस्तियों से प्राप्ति	iv) Return on Assets	1.26%	1.48%
v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम, बैंक जमा को छोड़कर) (रू० करोड़ में)	v) Business (Deposits plus advances excluding bank deposits) per employee (₹ in crore)	9.88	8.73
vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रू. करोड़ में)	vi) Profit per employee (₹ in crore)	0.09	0.09



Notes on Accounts



6.6 आस्ति देयता प्रबन्धन (ए.एल.एम.) / Asset Liability Management (ALM)

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों की परिपक्वता पद्धित के आंकड़े नीचे दिये गये हैं (ये आंकड़े प्रबन्धन द्वारा संकलित किए गए हैं तथा उन पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।)/Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (as compiled by the management and relied upon by the Auditors) are as under:

रूपये करोड़ में (₹ in crore)

देयताएं	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक और		1 वर्ष से अधिक और	3 वर्ष से अधिक और	5 वर्ष से अधिक	कुल
Liabilities	1 day	2-7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	6 माह तक Over 3 months & up to 6 months		3 वर्ष तक Over 1year & up to 3 years	5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
जमा /	55.83	121.50	158.11	118.08	372.07	896.06	1615.76	1260.60	733.33	12.70	5344.04
Deposits	(17.53)	(174.59)	(111.59)	(68.79)	(291.33)	(681.92)	(1419.82)	(1195.57)	(676.42)	(12.02)	(4649.58)
अग्रिम /	23.31	94.58	96.36	191.23	196.11	51.22	104.66	1390.04	167.11	282.29	2596.91
Advances	(21.37)	(76.74)	(93.64)	(221.89)	(183.30)	(57.83)	(103.27)	(1300.97)	(175.35)	(235.63)	(2469.99)
निवेश /	148.00	0.00	14.72	14.80	403.86	29.20	24.50	107.84	135.36	500.95	1379.23
Investments	(83.16)	(0.00)	(0.00)	(34.61)	(251.78)	(0.00)	(25.83)	(165.80)	(85.02)	(497.26)	(1143.46)
उधार	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.01	0.04	0.01	0.16
Borrowings	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.03)	(0.04)	(0.10)	(0.00)	(0.01)	(0.18)
विदेशी मुद्रा आस्तिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foreign Currency assets	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
विदेशी मुद्रा देयताऐं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foreign Currency Liabilities	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें विगत वर्ष के आंकड़ों को दर्शांते हैं /Note: Figures in bracket indicate previous year figures.

6.7 संवेदनशील क्षेत्र को उघार/Lending to Sensitive Sector

6.7.1 भूमि भवन क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

रूपये करोड़ में (₹ in crore)

श्रेणी / Category	चालू वर्ष	विगत वर्ष
	Current Year	Previous Year
(क) प्रत्यक्ष ऋण/Direct exposure		
i) आवासीय बंधक / Residential Mortgages –		
आवासीय सम्पत्ति जो उधार कर्त्ता के कब्जे में है या होगी या उसके द्वारा किराये पर दी गई है को बंधक बनाकर पूरी		
तरह सुरक्षित उधार (रू. 20 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण को अलग से दिखाया जा सकता है)	365.07*	353.04
Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the	(215.96)	(210.70)
borrower or that is rented; (Individual housing loans up to ₹ 20 lakh may be shown separately)		
ii) व्यापारिक भूमि भवन / Commercial Real Estate — व्यापारिक भूमि भवन (कार्यात्मय भवन, खुदरा जगह, बहु उद्देशीय व्यापारिक परिसर, अनेक परिवारों के आवासीय भवन, अनेक व्यक्तियों को किराये पर दिये गये व्यावसायिक भवन, उद्योग या गोदाम के लिए जगह, होटल, भूमि पर कब्जा, विकास और संरचना आदि) को बंधक बनाकर पूरी तरह सुरक्षित ऋण। ऋण में गैर निधि आधारित सीमाएं भी सम्मिलित होंगी। Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	131.18**	117.45



लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts

iii) बंधक से समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत ऋण — Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures - (अ) आवासीय / Residential		
(आ) व्यापारिक भूमि भवन / Commercial Real Estate		
(ख) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्तीयन कम्पनियों को निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण। Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	0.00	0.00
भूमि भवन क्षेत्र को कुल ऋण Total Exposure to Real Estate Sector	496.25	477.46

*इसमें स्टाफ को दिए गए रू. 24.84 करोड़ के आवास ऋण की राशि सम्मिलित है। ∕*include staff housing loans for ₹ 24.84 Crores included.

6.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर (ऋण) / Exposure to Capital Market

रूपये करोड़ में (₹ in crore)

	मद Items	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
i)	इविवटी शेयर, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईविवटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों, की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी संपूर्ण राशि केवल कंपनी ऋण में निवेशित नहीं है direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of	0.00	14.50
	equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;		14.50
ii)	शेयरों (आई.पी.ओ. /ई.एस.ओ.पी. सिहत), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबैचरों, तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बांडों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभृतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम		
	advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;		
iii)	किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की युनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है।		
	advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		
iv)	किन्ही अन्य प्रयोजनो शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इंक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडो की यूनिटों समर्थक जमानत द्वारा रक्षित हिस्से की सीमा तक अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईविवटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों से अन्य प्राथमिक जमानत अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती, किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares		
	or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;		
v)	स्टॉक दलालों को जमानती तथा बेजमानती अग्रिम तथा स्टॉक दलालों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां		
	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;		
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बिना जमानत के कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण		
	loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;		

^{**}इसमें वाणिज्यिक भूमि भवन क्षेत्र को ऋण सम्मलित है। /**Exposure to Commercial Real Estate Includes-

⁻इसमें रु. 122.68 करोड़ के निधि आधारित ऋण सम्मलित हैं। /-Funded Exposure ₹ 122.68 crores

⁻गैर निधि आधारित ऋण की रु. 8.50 करोड़ की राशि सम्मलित हैं। /-Non Funded Exposure ₹ 8.50 crores

लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts



14.50

NIL

vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाहों / निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को दिए गए तात्कालिक (ब्रिज) ऋण bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	
viii)	शेयरों / परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईविवटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों की हामीदारी प्रतिबद्धताएं underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक दलालों को वित्तपोषण financing to stockbrokers for margin trading;	
x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा पंजीकृत न किए गए दोनों) में सभी एक्सपोजर all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	

6.7.3 जोखिम की श्रेणीवार किसी देश को ऋण: शून्य

6.7.4 ऋण जहां बैंक ने व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ता के लिये यथोचित उधार सीमा का उल्लंघन किया:

बैंक ने किसी व्यक्तिगत, समूह खाते के लिये विवेक सम्मत ऋण सीमा का उल्लंघन नहीं किया।

पूजी बाजार में कुल एक्सपोजर (ऋण) / Total Exposure to Capital Market

6.7.5 गैर जमानती अग्रिम

अनुसूची 9 में दर्शाये गये गैर जमानती अग्रिमों की राशि निश्चित करने के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (संरचनात्मक परियोजना साहित) में अधिकार, लाईसैंस, अधिकरण आदि जो बैंक में समर्थक जमानत के रूप में हैं को गोचर प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना गया है। इसलिए ऐसे अग्रिमों को असुरक्षित माना गया है। ऐसे कोई अग्रिम नहीं है जिसके लिए अग्रोचर प्रतिभूति जैसे — अधिकारों पर प्रभार, लाइसैंस, अधिकार आदि को सिक्योरिटी के रूप में रखा गया हो।

6.8 विविध

6.8.1 वर्ष के दौरान आय कर के लिए किये गये प्रावधान की राशि

(रू० करोड़ में) **चालू**वर्ष वर्ष

29.15
29.00

आयकर के लिए प्रावधान

6.8.2 भा0रि0बैं0 द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड का प्रकटीकरण : शून्य

लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (जहाँ भा.रि.बैं. ने दिशा निर्देश जारी किये हैं।)

7.1 कर्मचारियों को हितलाम ले.मा.—15 (संशोधित) ले.मा.—15 (सं.) को अंगीकार करना :

बैंक ने 1 अप्रैल, 2007 से आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 (सं) — कर्मचारी हितलाभ को अंगीकार किया है।

1. पेंशन

भारतीय जीवन बीमा निगम, बजाज एलाएन्स, लाईफ इन्श्योरैन्स कं. लि., आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडैन्शियल लाईफ इन्श्योरैन्स क.लि., इण्डिया फर्स्ट लाईफ इन्श्योरैन्स क.लि., एस.बी.आई. लाईफ इन्श्योरैन्स क.लि., एच.डी.एफ.सी. स्टेन्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लि.,

6.7.3 Risk Category wise Country Exposure:

6.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

The Bank has not exceeded the prudential limits in respect of any individual, group account

0.00

6.7.5 Unsecured Advances

For determining the amount of unsecured advances reflected in Schedule 9, the rights, licenses, authorizations, etc., charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) financed by bank, have not been reckoned as tangible security. Hence such advances have been reckoned as unsecured. Moreover, there is no amount of advance for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc has been considered.

6.8 Miscellaneous

6.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year;

Current Year Year 29.15 (₹ in crore)

Current Year year 29.00

6.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI

NIL

Disclosure as per Accounting Standards (where RBI has issued guidelines)

7.1 Employees Benefits AS-15 (Revised) Adoption of AS-15(R):

The Bank has adopted Accounting Standard 15 (R) - Employees Benefits, issued by ICAI w.e.f. 1st April, 2007.

1. PENSION

The fund is managed by Life Insurance Corporation of India, Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd., ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., India First Life Insurance Co. Ltd., BBI Life Insurance Co. Ltd., HDFC Standard Life Insurance Company Limited, Reliance



लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts

रिलाइन्स लाईफ इन्स्थोरेंन्स कम्पनी लि. और आईडीबीआई फैडरल लाइफ इन्स्थोरेंस कम्पनी लिमिटेड इस निधि के प्रबन्धन का कार्य करते हैं। बैंक पेंशन फंड को वार्षिक योगदान लाभ और हानि खाते से देता है। बैंक अपनी बही में आस्ति और देयता का अभिज्ञान नहीं करता है। निधि का प्रबन्धन एक अलग मान्यता प्राप्त न्यास द्वारा किया जाता है।

2. छुट्टी नकदीकरण

इस निधि का प्रबन्धन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। इसके लिए बैंक अपना योगदान लाभ और हानि खाते से देता है। आस्ति और देयता का हिसाब ज्ञापन बही में रखा गया है।

3. ग्रेच्युटी

एस.बी.आई. लाईफ इन्श्योरैन्स कं.लि., बजाज एलाएन्स, लाईफ इन्श्योरैन्स कं.लि., आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडैन्शियल लाईफ इन्श्योरैन्स कं.लि., इण्डिया फर्स्ट लाईफ इन्श्योरैन्स कं.लि., एच.डी.एफ.सी. स्टेन्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाईफ इन्श्योरेन्स क.लि., एल.आई.सी. आफ इण्डिया और आई.डी.बी. आई. फैडरल लाईफ इन्श्योरेंस लिमिटेड द्वारा ग्रेच्युटी निधि के प्रबन्धन का कार्य किया जाता है। बैंक ग्रेंच्युटी निधि को दिए जाने वाले अपने वार्षिक योगदान को लाभ और हानि खाते से अदा करता है। बैंक आस्ति और देयता को अपनी बहियों में चिन्हित नहीं करता है। निधि के प्रबन्धन का कार्य एक अलग मान्यता प्राप्त न्यास द्वारा किया जाता है।

कर्मचारियों को अन्य हित लाभ

कर्मचारियों को दिए जाने वाले अन्य हित लाभ के सम्बन्ध में बैंक ने अवकाश के दौरान यात्रा के किरायों में रियायत (एल.एफ.सी.) के लिए रु.1.26 करोड़ और 31–03–2015 तक अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए रु.2.19 करोड़ का प्रावधान किया है। यह प्रावधान एक्चुरी द्वारा किये गये आकलन के आधार पर किया गया है।

5. क) देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन /

A) Changes in the present value of the obligation

Life Insurance Company Limited and IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd. The Bank charges the annual contribution towards pension fund to its Profit & Loss Account. The Bank does not recognize the asset and liability in its books. The fund is managed by a separate recognized Trust.

2. LEAVE ENCASHMENT

The fund is managed by LIC of India. The Bank charges the annual contribution towards the fund to its Profit & Loss account. The asset and liability are maintained in Memorandum Books.

3. GRATUITY

The fund is managed by SBI Life Insurance Co. Ltd., Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd., ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., India First Life Insurance Co. Ltd. HDFC Standard Life Insurance Company Ltd., Reliance Life Insurance Company Ltd., LIC of India and IDBI Federal Life Insurance Co Ltd. The Bank charges the annual contribution towards Gratuity fund to its Profit & Loss Account. The Bank does not recognize the asset and liability in its books. The fund is managed by a separate recognized Trust.

4. OTHER EMPLOYEES BENEFITS

In respect of other employees benefit, the Bank has made a provision of ₹ 1.26 crore on account of LFC & ₹ 2.19 crore on account of Ex-gratia payment upto 31.03.2015. These provision have been made on the basis of valuation of obligation carried out by actuarial.

रूपये करोड में (₹ in crore)

A) Changes in the present value of the obligation			
विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्यूटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment
			(Funded)
1 अप्रैल, 2014 को निर्धारित हित लाभ के दायित्व का वर्तमान मूल्य			
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April, 2014	128.67	34.13	15.66
ब्याज लागत / Interest Cost	10.94	2.90	1.33
चालू सेवा लागत / Current service cost	3.86	1.48	0.77
पूर्व सेवा लागत / Past service cost	-	-	-
घटाएं / Less :	-	-	-
अदा किए गए हित लाभ / Benefits Paid	-8.99	-1.88	-0.91
एक्चूरियल हानि / (लाभ)			
Actuarial loss/(gain)	20.88	0.83	0.60
31 मार्च, 2015 को निर्धारित हितलाभ देयता का वर्तमान मूल्य			
Present value of defined benefits obligations as at 31st March,2	015 155.36	37.46	17.45



5. ख)/B) योजना बद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन / Changes in the fair value of Plan Assets

रूपये करोड़ में **(₹ in crore**)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्यूटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment
			(Funded)
1 अप्रैल, 2014 को योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य –			
Fair value of Plan Assets as at 1st April, 2014.	94.27	34.90	15.74
योजनाबद्ध आस्तियों से अपेक्षित प्राप्ति, जैसा कि एक्चूरी की रिपोर्ट में दिया गया है।			
Expected Return of Plan Assets as in the actuarial report	8.81	2.97	1.45
नियोक्ता का योगदान 2014–15			
Employer's Contribution 2014-15	22.44	4.46	1.17
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खरीदी गई एन्यूटीज			
Annuities Purchased for retirees	38.82	-	-
घटाएं / Less :			
प्रदत्त लाभ / Benefits Paid	-	-1.88	-0.91
एक्चूरियल हानि / (लाभ) / Actuarial loss/(gain)	-8.81	-2.96	-0
31 मार्च, 2015 को योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य			
Fair value of Plan Assets as at 31st March, 2015	155.53	37.49	17.45

5. ग)/C) शुद्ध एक्चूरियल घाटा/(लाम)/ Net Actuarial Loss/(Gain)

रूपये करोड़ में **(₹ in crore**)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)	ग्रेच्यूटी (निधिक) Gratuity (Funded)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)
दायित्वों पर एक्चूरियल हानि / (लाभ) (क)			
Actuarial Loss/(gain) on obligation (A)	20.88	0.83	0.60
योजनाबद्ध आस्तियों पर एक्चूरियल घाटा / (लाभ) (ख) Actuarial Loss/(gain) on Plan Assets (B)	8.81	2.96	1.45
शुद्ध एक्चूरियल हानि ⁄ (लाभ) Net Actuarial loss/(gain)	29.69	3.79	2.05
इस अवधि में चिन्हित एक्चूरियल हानि / (लाभ) Actuarial Loss/(gain) recognized in the period	29.69	3.79	2.05
वर्ष के अंन्त में निश्चित न की गई एक्चूरियल हानि ⁄ (लाभ) Unrecognised Actuarial loss/ (gain) at the end of the year.	0	0	0



लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts

5. घ) / D) लाभ और हानि खाते में दिये गये व्यय /Expenses Recognised in Profit & Loss Account रूपये करोड़ में (₹ in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)	•••	छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	3.86	1.48	0.77
ब्याज लागत / Interest Cost	10.93	2.90	1.33
योजनाबद्ध आस्तियों से अपेक्षित प्राप्ति / Expected Return on Plan Assets	-8.81	-2.97	-1.45
पूर्व सेवा लागत – निहित हितलाभ / Past Service Cost - Vested Benefits	s 0	0	0
पूर्व सेवा लागत–गैर–निहित हितलाभ / Past Service Cost - Non-Vested Be	enefits 0	0	0
वर्ष के दौरान निश्चित की गई संक्रमण कालीन देयता Transitional liability recognized during the year.	0	0	0
घटाएं / Less :			
एक्चूरियल घाटा / (लाभ) Net Actuarial Loss/(gain)	29.69	3.79	2.05
वास्तव में निश्चित किया गया शुद्ध हितलाभ व्यय/Net benefits expenses actually recognised	35.67	5.20	2.70

5. ङ) / E) तुलन पत्र में दी गई राशि / Amount recognized in the Balance Sheet

रूपये करोड़ में (₹ in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)	٠, ٠,	छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)
देयता का वर्तमान मूल्य / Present value of Obligation योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य / Fair Value of Plan Assets	155.36 155.53	37.46 37.49	17.45 17.45
निधिक स्थिति Funded Status	-0.17	-0.03	0.00

5(च) तुलन पत्र की दिनांक को मुख्य एक्चूरियल पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में प्रदर्शित)

F) Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet date (expressed as weighted average)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)	ग्रेच्यूटी (निधिक) Gratuity (Funded)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)
रियायत दर			
Discount rate	8	8	8
योजनाबद्ध आस्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर			
Expected rate of return on Plan Assets	9.35	8.5	9.2
वेतन में वृद्धि की दर			
Rate of escalation in salary	6	6	6
क्षरण दर			
Attrition rate	0	0	0
अपनाई गई विधि			
Method Used	PUC	PUC	PUC



Notes on Accounts



7.2 खण्डवार सूचना (लेखा मानक 17)/ Segment Reporting (Accounting Standard 17)

भाग (क) : व्यावसायिक खण्ड (रू० करोड़ में) / Part A: Business segments (Rs. in crore)

व्यावसायिक खण्ड Business Segments	ट्रेजरी Treasury	कम्पनी / थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operation	कुल योग Total
विवरण Particulars	2014-15	2014-15	2014-15	2014-15	
राजस्व / Revenue	245.52	67	243.39	0.85	556.76
	(170.93)	(73.06)	(213.26)	(1.28)	(458.53)
परिणाम / Result	64.98	13.92	52.54	0.85	132.29
	(45.43)	(19.69)	(57.66)	(1.28)	(124.06)
आवंटित न किए गए खर्चे Unallocated expenses					35.96 (29.64)
परिचालन लाभ /					96.33
Operating profit					(94.42)
आयकर / Income tax					29.15
					(29.00)
असामान्य लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss					0 (0)
शुद्ध लाभ / Net profit					67.18
					(65.42)
अन्य सूचना / Other Information					
खण्ड आस्तियाँ / Segment assets	3030.54	732.30	2196.74	0	5959.57
	(2489.37)	(912.79)	(1921.52)	(0)	(5323.68)
आवंटित न की गई आस्तियां Unallocated assets					18.36 (18.91)
कुल आस्तियां / Total assets					5977.93
					(5342.59)
खण्ड देयताएं / Segment liabilities	2740.18	686.61	2059.64	0	5486.43
	(2191.73)	(872.42)	(1836.35)	(0)	(4900.50)
आवंटित न की गई देयताएं Unallocated liabilities					491.50 (442.09)
कुल देयताएं /Total liabilities					5977.93 (5342.59)

भाग ख : भौगोलिक खण्ड / Part B : Geographic segments

शून्य / NIL



7.3. सम्बन्धित पक्षों का प्रकटीकरण (लेखा मानक 18) / Related Party disclosures (Accounting Standard 18) :

रूपये करोड में (₹ in crore)

					रूपये करोड़	में (₹ in crore)
मद / सम्बन्धित पक्ष	मूल कम्पनी (स्वामित्व	मूल कम्पनी	सहयोगी संस्था/	प्रमुख प्रबन्धक	प्रमुख प्रबन्धक	कुल
Items/Related Party	या नियंत्रण के अनुसार	की अनुषंगियां	संयुक्त उद्यम	कार्मिक	कर्मचारियों के सम्बन्धी	
	Parent (as per ownership or control)	Parent's Subsidiaries	Associates/ Jointventures	KeyManagement Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
वर्ष की समाप्ति पर उधार/	0					0
Borrowings at the year end	(0.00)					(0.00)
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S	40.00 (40.00)					40.00 (40.00)
जमा / Deposit						
जमाओं का विवरण / Placement of deposits						
चाल खाता** वर्ष के अंत में	53.28					53.28
Current A/c at the year end**	(77.85)					(77.85)
सावधि जमा राशि वर्ष के अंत में/	62.00					62.00
Fixed Deposit at the year end	(78.00)					(78.00)
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S	78.00					78.00
	(78.00)					(78.00)
वर्ष के अंत में चालू खाते में प्राप्त जमा राशि	0.00					0.00
Deposit reveived Current a/c at the year	(0.00)					(0.00)
वर्ष के अंत में सावधि खाते में प्राप्त जमा राशि						
Fixed Deposit at the year end						
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S						
अग्रिम / Advance						
निवेश वर्ष के अंत में/		-	0.00			0.00
Investments at year end		_	(14.50)			(14.50)
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S			14.50			14.50
Waller and Maximum 575		_	(19.50)			(19.50)
वर्ष के अंत में गैर निधिक प्रतिबद्धता /	14.81					14.81
Non-funded Commitments at the year end	(17.16)					(17.16)
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S	27.21					27.21
,,,,	(20.47)					(20.47)
वर्ष के अंत में जारी गैर निधिक प्रतिबद्धता/	24.89					24.89
Non-funded Commitments issued	(23.02)					(23.02)
at the year end						
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S	24.89					24.89
	(23.02)					(23.02)
उपयोग की गई पट्टादायी / किराया खरीद व्यवस्था Leasing/HP arrangements availed						
उपलब्ध कराई गई पट्टादायी / कि.ख.व्यवस्था						
Leasing/HP arrangements provided						
अचल सम्पत्तियों की खरीद/म्यू फण्ड के		-	48.00			48.00
यूनिटों की खरीद		-	(15.00)			(15.00)
Purchase of fixed assets /mutual fund units						
अचल संम्पत्तियों की बिक्री / म्यू फण्ड के यूनिटों की बिक्री		-	62.50			62.50
Sale of Fixed assets /mutual fund units		-	(20.00)			(20.00)
प्रदत्त ब्याज ∕ Interest paid	0.10					0.10
	(0.08)					(0.08)
प्रदत्त कमीशन / Commission paid	0.22					0.22
	(0.39)					(0.39)
प्राप्त कमीशन / Commission received	0.05	-	0.05			0.05
	(0.05)	-	(0.05)			(0.05)
उिविडेन्ड आय / Dividend income		-	शून्य / Nil			शून्य / Nil
		-	(0.10)			(0.10)
यूनिटों की बिक्री से लाम / Profit on sale of Units	शून्य / Nil	-	शून्य / Nil			शून्य / Nil
	(शून्य / Nil)	-	(शून्य / Nil)			(शून्य / Nil)
प्राप्त ब्याज / Interest received	6.38 (2.41)					6.38 (2.41)
प्रदत्त सेवाएं / Rendering of Services	(2.41)					(2.41)
A THE MAILY INCHINGUING OF MICES		 ()				()
प्राप्त सेवाएं / Receiving of services		-				
	(-)	(-)		(-)		(-)
THE CITY AND ADDRESS OF THE COLUMN ASSESSMENT AND ADDRESS OF THE COLUMN ASSESSMENT ASSES						
प्रबन्धन / Management	()	(0.00)		0.23		0.23
	()	(0.00)		(0.22*)		(0.22)

^{*}मु.का.अ. और ची.ऑ.ऑ.को प्रबन्धकीय पारिश्रमिक 🖊 *Managerial Remuneration to CEO & COO.

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष के आंकडे हैं। शेष राशियां पुष्टिकरण के अधीन हैं। / Note: Figures in brackets indicate previous year figures. Balances are subject to confirmation.



Notes on Accounts



सम्बन्धित पक्षों के नाम व उनका बैंक से सम्बन्ध / Names of the related parties and their relationship with the Bank

(i) मूल कम्पनी / Parent : बैंक आफ बड़ौदा (प्रमुख अंश घारक) / Bank of Baroda (Major Shareholder)

(ii) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक / Key Management Personnel : श्री एस.के. गुप्ता (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) 14.01.2013 से

Shri S. K. Gupta (Chairman & CEO) w.e.f. 14.01.2013

ः श्री नरेश भारद्वाज (चीफ ऑपरेटिंग आफीसर) 31.07.2013 से

Shri Naresh Bhardwaj (Chief Operating Officer) w.e.f. 31.07.2013

(iii) मूल कम्पनी का अनुषंगी / Parent's Subsidiary : बॉब कैपिटल मार्केट्स लि. / BOB Capital Markets Ltd.

: बॉब कार्ड्स लिमिटेड/BOB Cards Limited

7.4 आय पर करों के लिए लेखाकरण (लेखा मानक 22) / Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard 22)

वर्ष के अंत में आस्थिगित कर आस्ति/देयता का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है/The break up of deferred tax asset / liability at the year end is as under:

रूपये करोड में (₹ in crore)

मद / Item	31.03.2015			
		सकल आस्थगित कर देयता		
	Total Deferred Tax Asset	Total Deferred Tax Liability		
बही मूल्यह्रास (बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति के) और आयकर अधिनियम				
के अन्तर्गत मूल्यहास में अंतर	0.89	-		
Difference between WDV as per book (Without Revaluation				
Reserve) and depreciation under Income Tax Act				
कर्मचारी हित लाभ के लिए प्रावधान/Provision For Employee Benefits	4.81	शून्य / NIL		
खण्ड 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित आरक्षित निधि / Reserve created u/s	36(i)(viii) –	5.78		
कुल / Total	5.70	5.78		
31.03.2015 को सकल आस्थगित कर आस्ति/देयता				
Total Deferred Tax Assets/Liability as on 31.03.2015	0.08			

31.03.2015 को समाप्त हुए वर्श के लिए रू० 1.03 करोड़ की आस्थिगित कर आस्तियां (विगत वर्ष रू. 1.12 करोड़ की आस्थिगित कर आस्तियां) को लाभ और हानि खाते में सम्मिलित किया गया। प्रबन्धान की राय में अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समयान्तर नहीं है इसलिए उसके लिए कोई आस्थिगित कर आस्ति नहीं रखी गई है।

Net addition of Deferred tax assets of ₹ 1.03Crore for the year-ended 31.03.2015 (Previous year DTA ₹ 1.12 crore) has been recognized in the Profit and Loss Account. In view of the management, there is no timing difference arising in connection with NPA provisions, hence no deferred tax assets have been recognized.

7.5 प्रति शेयर आय/Earnings Per Share:

विवरण / Particulars	31.03.2015	31.03.2014
क) प्रति शेयर आय / Earning per share		
i) मूल / Basic	₹ 9.95	₹ 9.69
ii) तनु ∕ Diluted**	₹ 9.95	₹ 9.69
ख) (कर के बाद) लाभ के रूप में आई राशि	₹ 67.18 Crores	₹ 65.42 Crores
Amount used as numerator (Profit after tax)		
ग) शेयरों का न्यूनतम मूल्य /Nominal value of shares	₹ 10/- per share	₹ 10/- per share
घ) इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या जिससे भाग दिया गया।	67500000	67500000
Weighted average number of equity shares used as the denominator		

^{**} बैंक के पास वर्ष के दौरान तनु प्रति शेयर आय की गणना के लिए कोई सम्भावित तनु इक्विटी शेयर नहीं है और प्रति शेयर मूल आय लेमा—20 के अनुसार, कर के बाद आये शुद्ध लाभ को औसत भारित इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करके निकाली गई है।

^{**}The bank has no dilutive potential equity shares outstanding during the year for the purpose of computing diluted EPS and the basic earnings per share has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares as per AS-20.





7.6 आस्तियों की क्षति (लेखा मानक 28) :

बैंक के प्रबन्धन की राय में आस्तियों की ऐसी कोई क्षिति नहीं हुई है जिस पर 31.03.15 की स्थिति के अनुसार किसी ठोस सीमा तक उपरोक्त लेखा मानक प्रयुक्त होता हो। चालू वर्ष के दौरान रू० 5.00 लाख का पूर्ववत् तदर्थ प्रावधान किया गया है।

7.6 Impairment of Assets (Accounting Standard 28):

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment of the assets to which aforesaid Accounting Standard applies to any material extent as at 31.3.2015 An adhoc provision of ₹ 5.00 Lac has been continued during the current year.

7.7 समाश्रित देयता और प्रावधानों का विवरण (ले0 मा0 29) / Statement of contingent Liability & Provisions (Accounting Standard 29)

रूपये करोड़ में (₹ in crore)

मद / Item			लेखा मा	नक 29 के अनुसा	र प्रावधान Provis	sion as per A	.S. 29	
	वह राशि जिसके लिये बैंक समाश्रित रूप से देनदार हो सकता है Amt. for which the Bank is contigently	वर्ष के आरम्म में किया गया प्रावधान Provision as at the Begining of	वर्ष के दौरान प्रवर्धन Addition during the Year	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि Amount used during the Year	उपयोग न की गई राशि जिसे वर्ष के दौरान वापस किया गया। Unused amount reversed during the Year	वर्ष की समाप्ति पर कुल प्रावधान Provision as at the close of the year	भविष्य की गतिविधियों के सम्बन्ध में बड़ी अभिधारणाएं Major assumption regarding	टिप्पणी Remarks
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं समझा गया। Claims against the Bank not acknowledged	0.93 (0.72)	0.31 (0.31)	Nil	Nil	0.11 (0.00)	0.20 (0.31)	tuture events *	-
as debt संघटकों की ओर से जारी की गई गारन्टियां Guarantees issued on behalf of constituents	70.85 (59.00)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	*	-
स्वीकृतियां, बेचान और अन्य दायित्व Acceptance Endorsements and other obligations	6.00 (8.89)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	*	
अन्य मद जिसके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है। Other items, for which the Bank is contingently liable	6.85 (0.11)	0.12 (0.12)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	0.01 (Nil)	0.11 (0.12)	*	

- ऐसी देयताएं न्यायालय / मध्यस्थ / न्यायालय से बाहर समझौते, मुकदमों के निस्तारण, मांगी जा रही राशि, संविदा की शर्तों, सम्बन्धित पक्षों द्वारा मांग व उसके विकास के परिणाम पर निर्भर हैं।
- 8. भा०रि०बैं० के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.15 की स्थिति के अनुसार निवेशों की स्थिति निम्नानुसार है :--
- निवेशों का प्रतिशतक्र.सं.विवरण31.03.201531.03.2014(i)परिपक्वता अवधि तक रखे गये52.82%63.90%(ii)बिक्री के लिये उपलब्ध45.21%36.10%(iii)व्यापार के लिये रखे गये1.98%0.00%
- Such liabilities are dependent upon the outcome of court/ arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively.
- 8. In accordance with RBI guidelines, the Bank's Investment portfolio has been classified into three categories. The position of holding as on 31.03.2015 is as follows:

		% Holding		
S.No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014	
i)	Held to Maturity	52.82%	63.90%	
ii)	Available for Sale	45.21%	36.10%	
iii)	Held for trading	1.98%	0.00%	

Account.:

Break-up of the items "Provisions and Contingencies"

included under the head Expenditure in the Profit & Loss



(₹ In crore)

लाम हानि खाते के "व्यय" शीर्ष के अन्तर्गत "प्रावधान और आकिस्मकताओं" में निम्निखित सिम्मिलित हैः

(रू० करोड़ में)

							C III Crore)
		2014-15	2013-14			2014-15	2013-14
(ক)	आयकर के लिए प्रावधान (चालू कर)	29.15	29.00	â	a) Provision for Income Tax (Current Tax)	29.15	29.00
(ख)	आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर)	-1.03	-0.13	ŀ	o) Provision for Income Tax (Deferred Tax)	-1.03	-0.13
(ग)	निवेशों के मूल्य हास के लिए प्रावधान	0.00	1.76	C	c) Provision for Depreciation in investment	0.00	1.76
(ঘ)	गै.नि. अग्रिमों के लिए प्रावधान	10.67	0.00	C	d) Provision for NPA	10.67	0.00
(ভ)	मानक ऋणो के लिए प्रावधान	0.15	00.80	6	e) Provision for Standard Advances	0.15	00.80
(च)	पुर्नगठित अग्रिमों के लिए प्रावधान	2.04	0.00	f	Provision for Restructured Advances	2.04	0.00
(छ)	अन्य प्रावधान	0.00	0.00	ç	g) Other provision	0.00	0.00
	जोड़	40.98	31.43		Total	40.98	31.43
घटाएँ	:– निवेशों पर अतिरिक्त	2.64	0.00		Less: Excess Provision /Depreciation on	2.64	0.00
	प्रावधान / मूल्यह्नास की वापसी				Investment written back		
	प्रतिलेखित किए गये अन्य प्रावधान	0.11	0.00		Other Provisions written back	0.11	0.00
	जोड़	38.23	31.43		Total	38.23	31.43

10. शिकायतों की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

10.1 ग्राहकों से शिकायतें :

क) व	र्ष के आरम्भ में अर्थात् 01.04.2014 को	01
~	ांम्बित शिकायतों की संख्या	
ख) व	र्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1367
ग) व	र्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	1356
ਬ) व	र्ष की समाप्ति पर अर्थात् 31.03.2015 को	12
~	गिन्बत शिकायतों की संख्या	

यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों में से 1357 शिकायतें ए.टी.एम. से असफल लेन—देन / उन्हें वापस करने के मामलों से सम्बन्धित थी। पुनः ऐसी 1357 शिकायतों में से 1347 शिकायतें निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सौहार्द्रपूर्ण ढंग से ग्राहक की संतुष्टि तक सुलझा ली गई और केवल 10 शिकायतें ऐसी थी जो मार्च, 2015 के दौरान प्राप्त हुई तथा जो सुलझने की प्रक्रिया में थी।

10.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय:

क)	वर्ष के आरम्भ में अर्थात् 01.04.2014 को	शून्य
	कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए	शून्य
	गए अधिनिर्णयों की संख्या	
ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए	शून्य
	अधिनिर्णयों की संख्या	
ਬ)	वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् 31.03.2015 को	शून्य
	कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	

10.3 बैंकों द्वारा जारी लैटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) का प्रकटीकरण शन्य

	`& '	
11.	अनु० जा०/अनु० जन० को ऋण	(रू० करोड़ में)
11.1	31.03.2015 को अनु.जा. / अनु.जन. को	47.07
	दिए गए ऋण का शेष	
11.2	वर्ष के दौरान अनु० जा०/अनु० जन० के	23.86
	उधारकर्त्ताओं से ऋण की वसूली	

जहाँ आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलन योग्य बनाने के लिए पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

10 Statement showing the position of Complaints

10.1 Customer Complaints

a) No. of complaints pending at the	01
beginning of the year i.e. 01.04.2014	
b) No. of complaints received during the year	1367
c) No of complaints redressed during the year	ar 1356
d) No. of complaints pending at end of the	12
vearie 31 03 2015	

It is clarified that out of the complaints received during the year, 1357 complaints pertained to ATM failed transactions/ charged back cases. Further Out of 1357 such complaints, 1347 were resolved to the satisfaction of customers amicably, within the stipulated time frame and only 10 complaints which were received during the month end March 2015, were in process of resolution.

10.2 Awards Passed by the Banking OMBUDSMAN

a)	No. of unimplemented Awards at the	
	beginning of the year i.e. 01.04.2014	Nil
b)	No. of Awards passed by the Banking	
	Ombudsmen during the year	Nil
c)	No of Awards implemented during the year	Nil
d)	No. of unimplemented Awards at the end	
	of the year i.e. 31.03.2015	Nil
	b) c)	b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the yearc) No of Awards implemented during the yeard) No. of unimplemented Awards at the end

10.3 Disclosure of letter of comfort (LOC) issued by Banks: NIL

11. Advances to SC/STs (Rs in crores)

11.1 Outstanding credit to SC/STs as on 31.03.2015 47.07

11.2 Recovery from SC/STs borrowers during the year 23.86 Figures for the previous year have been regrouped/ recasted wherever considered necessary to make them comparable with

current year figures.



अतिरिक्त प्रकटीकरण :

(i) 31.03.2015 को अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(रू० करोड़ में)

चार शीर्षस्थ अनर्जक आस्ति खातों में कुल एक्सपोजर 26.19

(ii) क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां*

(रू० करोड में)

		(1.0 1.1.9 1)
क्रमां	क क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	2.46
2	उद्योग (माईक्रो और लघु,	
	मझौले और बड़े)	6.01
3	सेवाएं	1.76
4	वैयक्तिक ऋण	1.65

(iii) अनर्जक आस्तियों की उतार-चढ़ाव*

(रू० करोड़ में)

ब्यौरे	राशि
गत वर्ष के 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां	61.10
(आरंभिक शेष)	
वर्ष के दौरान वृद्धि (नयी अनर्जक आस्तियां)	26.30
उप-जोड़ (क)	87.40
घटाएं :-	
(i) श्रेणी उन्नयन	1.26
(ii) वसूली (जिन खातों का श्रेणी उन्नयन हुआ है	
उनसे वसूली को छोड़कर)	8.40
(iii) बहे खाते डाले गये	0.33
उप–जोड़ (ख)	9.99
वर्तमान वर्ष के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां	
(इति शेष) (क—ख)	77.41

भा.रि.बैं. के परिपत्र, दिनांक 24.09.2010 की अपेक्षाओं के अनुसार सकल गै.नि.आ. (एन.पी.ए.) में उचंत ब्याज खाते के शेष की राशि सम्मिलित नहीं है।

(iv) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(रू० करोड़ में)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दी गई कुल ऋणराशि	435.20
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े	16.76%
उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	

Additional Disclosures

(i) Concentration of NPAs* as on 31.03.2015

(₹ in crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	26.19

(ii) Sector-wise NPAs*

(₹ in crore)

SI. No	Sector	Percentage of NPAs to total Advances in that sector
1	Agriculture & Allied Activities	2.46
2	Industry (Micro & Small,	
	Medium and Large)	6.01
3	Services	1.76
4	Personal Loans	1.65

(iii) Movement of NPAs*

	(₹ in crore)
Particulars	Amount
Gross NPA* as on 1st April of previous year (Opening Balance)	61.10
Additions (Fresh NPAs) during the year	26.30
Sub - Total (A)	87.40
Less :-	
(i) Upgradations	1.26
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	8.40
(iii) Write - offs	0.33
Sub - Total (B)	9.99
Gross NPA* as on 31st March of current year (closing balance) (A-B)	77.41

^{*}Gross NPAs are net of balance in interest suspense account as per RBI requirements vide circular dated 24.09.2010.

(iv) Concentration of Advances

(₹ in crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	435.20
Percentage of advances to twenty largest	16.76%
borrowers to Total Advances of the bank	



(v) एक्सपोजर का संकेन्द्रण (रूo	करोड़ में)
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं /	534.49
ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर में	20.58%
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर	
का प्रतिशत	
(vi) जमाराशि का संकेन्द्रण (रू०	करोड़ में)
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	1076.64
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं	20.14%
की जमाराशियों का प्रतिशत	

(vii) बैंकाश्योरैंस व्यवसाय

बैंक को वित्तीय वर्ष 2014—15 के दौरान बैंकाश्योरेन्स व्यवसाय से निम्नानुसार रू. 81.12 लाख की कुल आय हुई :

(रू० लाख में)

क्र.सं.	ri. बीमा कम्पनी			
1	एक्साइड लाइफ इन्श्योरैन्स कम्पनी लि.	38.34		
2	नेशनल इन्श्योरैन्स कम्पनी लि.	36.48		
3	इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्स्योरैंन्स कं. लि.	6.30		
	जोड़	81.12		

बैंक को वित्तीय वर्ष 2014—15 के दौरान अन्य उत्पादों से बैंक को निम्नानुसार रू. 5.86 लाख की आय हुई:

(रू० लाख में)

क्र. सं.	कम्पनी	राशि
1	विजमैंन ['] फोरेक्स लि.	1.56
2	यू.टी.आई.आई.टी.एस.एल.	0.01
3	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	4.29
	जोड़	5.86

(viii) डी ई ए एफ (जमाकर्ता को शिक्षित एवं जागरुक करने के लिए निधि): (रु. करोड़ में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
डी ई ए एफ को अंतरित	शून्य	-
प्रारम्भिक जमा राशि		
जोड़ें वर्ष के दौरान डी ई ए एफ	6.74	-
को अंतरित राशि		
घटाएं: दावों के लिए डी ई ए एफ	0	-
द्वारा प्रतिपूरित राशि		
डी ई ए एफ को अंतरित राशि	6.74	-
का इतिशेष		

(v) Concentration of Exposure	₹ in crore)
Total Exposures to twenty largest	534.49
borrowers/ customers	
Percentage of Exposures to twenty largest	20.58%
borrowers / customers to Total Exposure of the	
bank on borrowers / customers	
(vi) Concentration of Deposits	(₹ in crore)
Total Deposits from twenty largest Depositors	1076.64
Percentage of Deposits from twenty largest customers to Total deposits of the bank	20.14%

(vii) Bancassurance Business

The total income of the bank in respect of bancassurance business was $\ref{81.12}$ Lac during the financial year 2014-15, with details are as under :

(₹ in lacs)

S.N	Amount				
1	38.34				
2	2 National Insurance Company Ltd				
3	3 India First Life Insurance Co. Ltd				
	Total	81.12			

The total income of the bank in respect of other products was ₹ 5.86 Lac during the financial year 2014-15, with details as under

(₹ in lacs)

Sr. No.	Company	Amount
1	Weizmann Forex Ltd.	1.56
2	UTIITSL	0.01
3	Stock Holding Corporation of India Ltd.	4.29
	Total	5.86

(viii) DEAF (Depositor Education and Awareness Fund)

(Rs. In Crores)

	Current Year	Previous Year
Opening balance of amounts transferred to DEAF	NIL	-
Add: Amounts Transferred to DEAF during the year	6.74	-
Less :Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0	-
Closing balance of amounts transferred to DEAF	6.74	-



(ix) चलनिधि व्याप्ति अनुपातः

(ix) LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(Amount in crore)

			(Amount in oil			
_			चालू वर्ष / C	Current year	विगत वर्ष / Previous Year	
			सकल गैर भारित ³ मूल्य (औसत) Total Unweighted ³ Value (average)	सकल⁴ भारित मूल्य (औसत) Total Weighted⁴ Value (average)	सकल गैर भारित³ सकल⁴ भारित मूल्य (औसत) मूल्य (औसत) Total Unweighted³ Total Weighted⁴ Value (average) Value (average)	
_	उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति	High Quality Liquid Assets				
1	उच्च गुणवत्ता की सकल आस्ति (एचक्यूएलए)	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	*******	208.32		
	नकदी का बाह्य प्रवाह	Cash Outflows				
2	फुटकर जमा और छोटे व्यापारी ग्राहकों द्वारा जमा जिसमें से	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	2660.84	198.59		
	(i) स्थिर जमा	Stable deposits	1349.92	67.50		
	(ii) कम स्थिर जमा	Less stable deposits	1310.92	131.09		
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें से	Unsecured wholesale funding, of which:	214.86	10.74		
	(i) परिचालनगत जमा (सभी प्रतिपक्षी)	Operational deposits (all counterparties)				
	(ii) गैर परिचालनगत जमा (समस्त प्रतिपक्षी)	Non-operational deposits (all counterparties)	214.86	10.74		
	(iii) असुरक्षित ऋण	Unsecured debt				
4	सुरक्षित थोक निधीयन	Secured wholesale funding				
5	अतिरिक्त आवश्यकता, जिसमें से	Additional requirements, of which				
	(i) गौण ऋण और अन्य संपार्श्विक	Outflows related to derivative exposures				
	आवश्यकताओं से सम्बन्धित बहिर्गमन	and other collateral requirements				
	(ii) ऋण उत्पादों पर वित्तीयन की हांनि से सम्बन्धित बहिर्गमन	Outflows related to loss of funding on debt products				
	(iii) ऋण और तरलनिधि स्विधाएं	Credit and liquidity facilities	147.54	7.38		
6	अन्य संविदागत वित्तीयन बाध्यता	Other contractual funding obligations	38.13	38.13		
7	अन्य आकस्मिक वित्तीयन बाध्यता	Other contingent funding obligations	10.67	0.53		
8	सकल नकद बहिर्गमन	Total Cash Outflows	3072.04	255.37		
	नकदी आगमन	Cash Inflows				
9	सुरक्षित उधार (उदाहरण के लिए रिवर्स रिपो)	Secured lending (e.g. reverse repos)				
10	पूरी तरह निष्पादक ऋणों से	Inflows from fully performing	399.08	199.54		
	आगमन	exposures				
11	अन्य नकद आगमन	Other cash inflows	696.08	340.64		
12	सकल नकद आगमन	Total Cash Inflows	1095.16	540.18		
				कल समायोजित मूल्य Fotal Adjusted Value	सकल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	
21	उच्च गुणवत्ता की सकल आस्ति(एचक्यूएलए)	TOTAL HQLA	*******	208.32		
22	सकल शुद्ध नकद बहिर्गमन	Total Net Cash Outflows	*******	63.84		
23	चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%)	Liquidity Coverage Ratio (%)	********	326.30%		

नोटः आंकड़े केवल खाली और हल्के सलेटी कक्षों में डालने हैं।

Note - Data to be entered only in blank and light grey cells



चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास पर्याप्त स्तर पर बिना भार ग्रस्त उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति है जिसे तरल निधि के पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट उल्लेखनीय रूप से तीब्र दबाव की स्थिति में अपनी तरलनिधि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 30 दिनों की अवधि में नकदी में बदला जा सकता है।

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एल सी आर) के दो घटक हैं :

- क) उच्च स्तर की चलनिधि आस्ति (एच क्यू एल ए) का स्टाक दबाव की स्थिति में होना।
- ख) सकल शुद्ध नकदी बहिर्गमनः "सकल शुद्ध नकदी बहिर्गमन" शब्दांश को इस प्रकार परिभाषित किया गया है— विनिर्दिष्ट दबाव के परिदृश्य में 30 दिनों (दबाव की अवधि) के लिए "सकल अपेक्षित नकदी बहिर्गमन" से "सकल अपेक्षित नकदी आगमन" को घटाना।

तरलनिधि व्याप्ति अनुपात-उच्च स्तर की तरल आस्ति के स्टाक/आगामी 30 दिनों में सकल शुद्ध नकदी बहिर्गमन > =100%

तरल आस्ति में उच्च स्तर की वह आस्ति समाविष्ट है जिसे दबाव के पिरेदृश्य की अविध में तत्काल बेचा जा सकता है या निधि के प्राप्ति के लिए संपार्शिवक निधि के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। उसे भार रहित अर्थात् किसी भी प्रकार के विधिगत, नियामक या परिचालनगत् व्यवधान से रहित होना चाहिए। आस्तियों को उस स्थिति में उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति समझा जाता है जब वह आसानी से या तुरन्त उसके मूल्य में बहुत कम या बिना नुकसान के नकदी में परिवर्तित हो जाये। एक आस्ति की तरलता विचाराधीन दबाव परिदृश्य, मुद्रीकृत की जाने वाली राशि की मात्रा और निर्धारित समय सीमा पर निर्भर करती है।

बैंक की उच्च स्तरीय गुणवत्ता की तरल आस्ति में मुख्यतः सम्मिलित है:-

- 1. नकदी
- 2. न.नि.अ.(सी.आर.आर.) का अतिरिक्त शेष
- 3. सं.च.अनु.(एस.एल.आर.) की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभृति
- 4. 2क स्तर की आस्तियां

नकदी के बहिर्गमन में मुख्यतः सम्मिलित हैं:-

- 1. फुटकर जमा
- 2. असुरक्षित थोक वित्तीयन
- 3. उधार
- 4. अनाहरित प्रतिबद्ध ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं
- 5 गारन्टी और लैटर आफ क्रेडिट
- 6. अन्य संविदागत बहिर्गमन में अन्य देयताएं, देय ब्याज सम्मिलित है ।

नकदी आगमन में मुख्यतः सम्मिलित हैं:-

- 1. निष्पादक अग्रिम (फुटकर एवं थोक)
- 2. वह राशि जो वित्तीय/भा.रि.बैं./केन्द्रीय बैंक से प्राप्त होनी है।
- अन्य संविदागत आगमन में अन्य आस्तियां, प्राप्य ब्याज आदि सिम्मिलित है।

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

The LCR has two components:

- (a) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.
- (b) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >=100%

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value. The liquidity of an asset depends on the underlying stress scenario, the volume to be monetized and the timeframe considered.

Bank's composition of HQLA mainly consists of

- 1. Cash in Hand
- 2. Excess CRR balance
- Government securities in excess of minimum SLR requirement.
- 4. Level 2A Assets

The Cash Outflow mainly consists of

- 1. Retail deposit
- 2. Unsecured Wholesale Funding
- Borrowings
- 4. Undrawn committed credit and liquidity facilities
- 5. Guarantee and Letter of Credit
- 6. Other contractual outflow involves other liabilities, interest payable.

The cash Inflow mainly consists of

- 1. Performing advances (Retail and Wholesale)
- 2. Amount to be received from financial and RBI/Central banks
- 3. Other contractual inflow involves other assets, interest receivable etc.



31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2015

(रू० हजारों में) (₹ In thousands)

		(" (" ", (" " " " ")				
	31.3.2015 को				31.3.2014 को	
				समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	
				As on 31-03-2015		
_ क.	परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	Α.	Cash flow from operating activities :			
	कराधान से पहले शुद्ध लाभ	-	Net profit before taxes.	963319	944234	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		Adjustments for :	000010	011201	
	स्थाई आस्तियों पर मूल्य ह्रास		Depreciation on Fixed Assets	0	24862	
	प्रतिलेखित निवेश पर मूल्य ह्वास		Depreciation on Investment Written Back	-26410	0	
	निवेशों के लिए किया गया प्रावधान		Provision on Investments	0	17227	
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision in respect of NPA	106721	0	
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for standard assets	21987	8060	
	अन्य मदों के लिए प्रावधान		Provision for other items.	0	0	
	स्थाई आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		Profit / Loss on sale of fixed Assets.	-45	-27	
	चालू वर्ष के लिए आस्थिगत कर			-10330	-36396	
	अतिरिक्त प्रावधान जो प्रतिलेखित किया गया		Deferred Tax for Current year Excess Provision written back			
	आतारक्त प्रावधान जा प्रातलाखत किया गया		Excess Provision written back	-1160	0.00	
				1054082	957960	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		Adjustment for :	2057222	1050001	
	निवेशों में वृद्धि / कमी		Increase/Decrease in investments	-2357668	-1058604	
	अग्रिमों में वृद्धि / कमी		Increase/Decrease in advances	-1198030	-2818510	
	अन्य आस्तियों में वृद्धि / कमी		Increase/Decrease in other assets	63347	-299751	
	उधार में वृद्धि / कमी		Increase/Decrease in Borrowings	-188	-72275	
	जमा में वृद्धि / कमी		Increase/Decrease in deposits	6944624	9259514	
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / कमी		Increase/Decrease in other			
			liabilities and provisions	-1218220	603417	
	भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर		Direct Taxes paid	-291500	-290000	
	परिचालनगत कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)		Net Cash from operating activities (a)	2996447	6281751	
ख.	निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	B.	Cash flow from investing activities:			
	स्थाई आस्तियों में वृद्धि / कमी		Increase/Decrease in fixed Assets	5899	-81992	
	व्यापार से सम्बन्धित निवेशों मे परिवर्तन		Changes in Trade related investments	0.00	0.00	
	समनुषंगी / अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	0.00	0.00	
	निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)		Net Cash from investing activities (b)	5899	-81992	
	शेयर पूंजी		Share Capital	0.00	0.00	
	शेयर पर वर्धित मूल्य (प्रीमियम)		Share Premium	0.00	0.00	
	अरक्षित मोचनीय बॉण्ड		Unsecured Redeemable Bonds	0.00	0.00	
	लाभांश		Dividend	-172590	-172590	
	अरक्षित मोचनीय बॉण्डों पर दिया गया/		Interest paid/payable on unsecured			
	देय ब्याज		redeemable bonds	0.00	0.00	
ग.	वित्तीय कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ग)	C.	Net Cash from financing activities (c)	-172590	-172590	
	नकदी और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि		Net increase in cash & cash equivalents			
	(क) + (ख) + (गं)		(A) + (B) + (C)	2829756	6027169	
	वर्ष के आरम्भ पर नकदी व समतुल्य		Opening Cash & cash equivalents	16762141	10734972	
	वर्ष की समाप्ति पर नकदी व समतुल्य		Closing Cash & cash equivalents	19591897	16762141	



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंशधारकों के प्रति

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने नैनीताल बैंक लिमिटेड (इसके बाद जिसे "बैंक" लिखा गया है) की, संलग्न विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र, लाम—हांनि खाता विवरण और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सिम्मिलित हैं, लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 5 शाखाओं की विवरणियां तथा शाखा लेखा परीक्षाकों द्वारा परीक्षित 116 शाखाओं की विवरणियां तथा उन शून्य शाखाओं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है की विवरणियां सिम्मिलित हैं। वे शाखाएं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है अग्रिमों, जमा, ब्याज से आय और ब्याज पर व्यय के शुन्य स्तर को दर्शाती हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों के लिये प्रबन्धन का दायित्व

2. बैंक का निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के खण्ड 134 (5) में दिए गए मसलों के लिए उत्तरदायी है जो इन एकल वित्तीय विवरिणयों जो वित्तीय स्थितियों, वित्तीय कार्यकलापों और बैंक के वित्तीय प्रवाह की उन लेखा सिद्धान्तों, जो सामान्यतः भारत में स्वीकार्य हैं तथा अधिनियम के खण्ड 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और आंकलन करने तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रुपरेखा के कार्यान्वयन, कियान्वयन और रख-रखाव, जो ऐसी वित्तीय विवरिणयों जो सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं और किसी भी अवास्तविकता चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या त्रुटिवश, से मुक्त हो, से सम्बन्धित लेखा रिकार्ड को पूरा करने और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए प्रमावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड के रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सिम्मिलत है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

- हमारा दायित्व है कि हम स्वयं द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय प्रकट करें।
- 4. इमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखा परीक्षा के मानकों और उन मसलों को जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अन्तर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करना अपेक्षित है को संज्ञान में लिया है।
- 5. हमने अधिनियम के खण्ड 143 (10) के अन्तर्गत जारी मानकों के अनुरुप लेखा परीक्षा का कार्य किया। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा परीक्षा की योजना एवं कियान्वयन इस प्रकार करें तािक यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां किसी भी त्रुटिपूर्ण कथन से मुक्त हैं।
- लेखा परीक्षा के कार्य में वित्तीय विवरणियों में दिए गए आंकड़ों और प्रकटीकरण के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्य निष्पादन की प्रक्रिया की जाती है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्मर करती है जिसमें वित्तीय विवरणियों में त्रुटिपूर्ण कथन चाहे वो धोखे से हो या गलती से, के जोखिम का आंकलन भी सिम्मिलित है। उन जोखिमों का आंकलन करते समय लेखा परीक्षक बैंक द्वारा सही एवं निष्पक्ष वित्तीय विवरणियों की तैयारी के सम्बन्ध में आन्तरिक नियंत्रण पर विचार करता है तािक वह लेखा परीक्षा की रुपरेखा जो उस स्थिति में उचित हो तैयार कर सके। लेकिन यह कम्पनी की वित्तीय विवरणियों के लिए पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण व्यवस्था और ऐसे नियन्त्रण के परिचालनगत प्रभावशीलता पर विचार व्यवत्व करने के उद्देश्य से नहीं है। लेखा परीक्षा में बैंक के निदेशकों द्वारा अपनायी गई लेखा नीितयों की समुचितता, लेखानुमानों के औचित्य तथा वित्तीय विवरणियों के समग्रता प्रकटीकरण का आंकलन भी सिम्मिलित है।
- हमें विश्वास है कि जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे लेखा परीक्षा से सम्बन्धित राय देने के लिये पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

राय

 इमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर उपरोक्त एकल विवरणियां और उक्त खाते और उन पर दी गई टिप्पणियाँ, बैंकिंग

AUDITORS' REPORT

To The Shareholders of The Nainital Bank Ltd.

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

1. We have audited the accompanying financial statements of the The Nainital Bank Limited, (hereinafter referred to as "the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2015 and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 5 branches audited by us, 116 branches audited by branch auditors and unaudited returns of Nil branches. These unaudited branches account for NIL percent of advance, NIL percent of deposit, NIL percent of interest income and NIL percent of interest expense.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 4. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there
- 5. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- 6. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- 7. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

OPINION

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements





विनियमन अधिनियम 1949 तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित सुचनाएं बैंककारी कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधि से देती हैं तथा 31 मार्च, 2015 को बैंक के काम-काज और उसी दिन समाप्त वर्ष को इसके लाभ और नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं।

अन्य विधिक और नियामक मामलों पर रिपोर्ट

- तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- 10. जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के खण्ड 30 के उपखण्ड (3) के अनुसार अपेक्षित है हम सूचित करते हैं कि :
 - क) वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमें मिल गए हैं और हमने इन्हें सन्तोषजनक
 - ख) हमारी जानकारी में आये बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र किए गए हैं।
 - ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा परीक्षा हेतु पर्याप्त पायी
- 11. जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 143 (3) के अनुसार अपेक्षित है हम पुनः सूचित करते हैं कि
 - i) वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमने मांगे तथा यह हमें मिल गए हैं
 - ii) हमारी राय में बैंक ने यथोचित लेखा बहियां, जहां तक इनकी जांच से प्रकट होता है यथाविधि तैयार की हैं और उन शाखाओं जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की हैं, से उचित विवरणियां जो हमारे द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त हैं, प्राप्त कर ली गई हैं।
 - iii) बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 143 (8) के अन्तर्गत लेखा परीक्षित शाखाओं के खातों पर रिपोर्ट भी हमें भेजी गई है और इन्हें इस रिपोर्ट में लिया गया है।
 - iv) तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी जिनसे यह रिपोर्ट सम्बन्धित है लेखा बहियों और उन शाखाओं से, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है, प्राप्त विवरणियों से मिलान कर तैयार किये गये हैं।
 - v) हमारी राय में उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणियां अधिनियम के खण्ड 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार हैं।
 - vi) 31 मार्च, 2015 को प्राप्त निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों जिन्हें निदेशक मंडल ने रिकार्ड में लिया है, के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 को अधिनियम के खण्ड 164 (2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के पद के लिए अपात्र नहीं है।
 - vii) हमारी राय में एवं समुचित सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधीन अन्य मामलों में, जिन्हें कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में सम्मिलित करना है:-
 - क) बैंक ने अपनी वित्तीय विवरणियों में विचाराधीन मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को उजागर किया है– [देखें वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 12(1)}।
 - खा) बैंक ने दीर्घ अवधि की ऐसी कोई संविदा जिसमें अनुमानित संविदाएं भी सम्मिलित हैं व जिसमें कोई पूर्वानुमानित नुकसान हों, नहीं की है।
 - ग) इन्वेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फन्ड में अपेक्षित राशि को अन्तरित करने में बैंक द्वारा कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

कृते विजय मुकेश एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

ह. ∕ –

स.सं. 094199

एफ.आर.एन. ०१४५५४एन

(सी.ए. मुकेश जैन) भागीदार

said accounts together with the notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013, in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2015, and its profit and its cash flows for the year then ended.

Report on Other Legal and Regulatory Matters

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- 10. As required sub section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- 11. Further, as required by section 143(3) of the Companies Act, 2013, we further report that:
 - We have sought and obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of
 - in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.
 - iii) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 143(8) of the Companies Act 2013 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing
 - iv) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by us in the Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us
 - In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - vi) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2015 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2015 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
 - vii) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - a) The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements-Refer Schedule 12(i) to the financial statements
 - b) The Bank did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - c) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

For Vijay Mukesh & Co.

Chartered Accountants

Sd/-

(CA Mukesh Jain) Partner M.No: 094199

FRN: 014554N

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 08/05/2015

Place: New Delhi

Date: 08/05/2015





दिल्ली / DELHI (16)	8 न्यू कोंडली / New Kondli (M) 9. विकास मार्ग / Vikas Marg (M)
1. पंचकुंइया रोड / Panchkuian Road(M)2. पटपड़गंज / Patparganj(M)3. लाजपत नगर / Lajpat Nagar(M)4. पीतमपुरा (पश्चिम) Pitampura(M)5. शालीमार बाग / Shalimar Bagh(M)6. आई.पी०एक्सटैन्सन / I.P.Extension(M)7. तिलक नगर / Tilak Nagar(M)	9. विकास मार्ग / Vikas Marg (M) 10. पप्पनकलां / Pappankala (M) 11. रोहिणी सेक्टर 16 / Rohini Sector 16 (M) 12. रोहतक रोड / Rohtak Road (M) 13. सर्विस ब्रान्च, पंचकुंड्या रोड / Serv. Br. Panchkuian Road (M) 14. सुरहेड़ा (नजफगढ़) / Surhera (Najfagarh) (R) 15. द्वारका / Dwarka (M) 16. दिलशाद गार्डन / Dilshad Garden (M)

उत्तराखंड/UTTARAKHAND	(65)
जिला – अल्मोड़ा / DISTTALMORA	(4)
17. अल्मोड़ा (मुख्य) / Almora (Main)	(SU)
18. लोअर माल, अल्मोड़ा / Lower Mall, Almora	(SU)
19. रानीखेत / Ranikhet	(SU)
20. द्वारहाट / Dwarahat	(R)
जिला – बागेश्वर/DISTTBAGESHWAR	(3)
21. बागेश्वर / Bageshwar	(R)
22. बनलेख / Banlekh	(R)
23. कपकोट / Kapkot	(R)
जिला – नैनीताल/DISTTNAINITAL	(17)
24. नैनीताल (मुख्य) / Nainital (Main)	(SU)
25. तुल्लीताल, नैनीताल / Tallital, Nainital	(SU)
26. भीमताल / Bhimtal	(R)
27. हल्द्वानी रामपुर रोड	(SU)
Haldwani Rampur Road	(011)
28. हल्द्वानी रेलवे बाजार Haldwani Railway Bazar	(SU)
थ्या एका एका प्रवास विकास विकास का प्रवास विकास	(SU)
Haldwani, KaladhungiRoad	(00)
30. हल्द्वानी, एम.बी. डिग्री कालेज	(SU)
Haldwani, M.B.Degree College	
31. हल्द्वानी, अर्जुनपुर (गोरापड़ाव)	(R)
Haldwani, Arjunpur (Goraparao)	(D)
32. हल्द्वानी, लोहरियासाल मल्ला (कठघरिया)	(R)
Haldwani, Lohariasal Malla (Kathgharia) 33. कमलुवागांजा हल्द्वानी	(R)
Kamluwaganja, Haldwani	(14)
34. जगतपुर (गौलापार)/Jagatpur (Gaulapar)	(R)
35. रानीबाग / Ranibagh	(SU)
36. लाल कुंआ / Lalkuan	`(R)
37. रामगढ़ / Ramgarh	(R)
38. पहाड़पानी ∕ Paharpani	(R)
39. रामनगर / Ramnagar	(SU)
40. बैल पड़ाव/Bailparao	(R)
41. भवाली / Bhowali	(R)
जिला– हरिद्वार / DISTT HARIDWAR	(3)
42. हरिद्वार / Haridwar 43. रूडकी / Roorkee	(U) (SU)
४४: रुष्का/ Rootkee ४४: ज्वालापुर, हरिद्वार/Jawalpur, Haridwar	(SU) (U)
जिला – पिथौरागढ़ / DISTTPITHORAGARH	
1जला	(2) (SU)
46. धारचूला / Dharchula	(30) (R)
- IV - III - KIII / DIMINIMI	(11)

जिला – चम्पावत / DISTT. – CHAMPAWAT (6)				
47. चम्पावत / Champawat	(R)			
48. भिंगराड़ा / Bhingrara	(R)			
49. चौमेल / Chaumel	(R)			
50. देवीधुरा / Devidhura				
	(R)			
51. लोहाघाट / Lohaghat	(R)			
52. टनकपुर / Tanakpur	(SU)			
जिला – ऊधम सिंह नगर/DISTT U.S. NAGAR (15)				
53. बरा / Bara				
	(R) (SU)			
54. बाजपुर / Bazpur				
55. महेशपुरा(दोराहा), बाजपुर7 /				
Maheshpura (Doraha), Bazpur				
56. बहरैनी, बाजपुर ⁄ Bhareni, Bajpur	(R)			
57. जसपुर / Jaspur	(SU)			
58. काशीपुर / Kashipur	(SU)			
59. किच्छा / Kichha	(SU)			
60. किलाखेड़ा / Kilakhera	(R)			
61. नगला (पंतनगर)/Nagla (Pantnagar)	(SU)			
62. रूद्रपुर / Rudrapur	(SU)			
63. श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa	(R)			
64. गदरपुर / Gadarpur	(SU)			
65. भूड़ महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima)	(R)			
66. सिडकुल / SIDCUL	(SU)			
67. सितारगंज / Sitargang	(SU)			
जिला-पौड़ी (गढ़वाल)/DISTT PAURI (GARHWAL) (3				
10001-4191 (19400)/ DISTT- FAORI (GARTIVAL) (S				
68. कोटद्वार / Kotdwar	(SU)			
69. श्रीनगर / Srinagar	(SU)			
70. पौढ़ी /Pauri	(SU)			
जिला – टेहरी / DISTT TEHARI				
71. नई टेहरी / New Tehari	(SU)			
72. तपोवन (ऋषिकेश) / Tapovan-Rishikesh	(R)			
	(17)			
जिला – चमोली / DISTT CHAMOLI (2)				
73. जोशीमठ / Joshimath	(SU)			
74. कर्णप्रयाग / Karn Prayag	(R)			
जिला – देहरादून/DISTT DEHRADUN (8)				
75. देहरादून / Dehradun	(U)			
76. विकास नगर / Vikas Nagar	(SU)			
77. डोईवाला / Doiwala	(SU)			
78. हरिद्वारा रोड, देहरादून / Haridwar Road, Dehradun	(U)			
79. सहारनपुर रोड, देहरादून / Saharanpur Road, Dehradun	(U)			
80. वसन्त विहार, देहरादून / Vasant Vihar, Dehradun	(U)			
81. ऋषिकेश / Rishikesh	(SU)			
82. मंसूरी / Mussoorie	(SU)			
83. चकराता रोड, देहरादून/Chakrata Road, Dehradun	(U)			
जिला – रुद्रप्रयाग / DISTT Rudra Prayag	(0)			
Total - wkyari/ DISTI Kuula Flayay				

(SU)

84. रूद्रप्रयाग / Rudra Prayag



Our Branch Network



उत्तर प्रदेश / UTTAR PRADE	2 П	(28)	जिला आगरा / DISTT.	AGRA		
		100 आगरा / Agra			(U)	
जिला – बरेली/DISTTBAREI	ला – बरेली / DISTTBAREILLY (4)			जिला – मेरर /DISTT MEERUT		
85. बरेली सि. लाईन्स / Bareilly (101.मेरठ / Meerut		
86. बरेली, प्रभात नगर		(U)	जिला – मुरादाबाद/DISTT MORADABAD		(U)	
_	Bareilly, Prabhat Nagar			_		
_	रेली, फरीदपुर /Bareilly, Faridpur (SU)			102.मुरादाबाद / Moradabad (U.) जिला – मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR		
88. बहेड़ी / Baheri		(SU)	103. मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar			
जिला – बुलन्दशहर/DISTTB	ULANDSHAHR		जिला – पीलीभीत /DI			
89. बुलन्दशहर / Bulandshahar		(U)	104. पीलीभीत / Pilibhit	(U)		
जिला-गाज़ियाबाद / DISTT GH	AZIABAD (2)		जिला – रामपुर/DIST	T RAMPUR ((2)	
90. गाज़ियाबाद / Ghaziabad		(U)	105. रामपुर / Rampur		(U)	
91. वैशाली / Vaishali		(U)	106. बिलासपुर / Bilasp		(SU)	
जिला – कानपुर/ DISTT. – KA	NPUR (2)	,		DISTT SHAHJAHANP		
92. कानपुर / Kanpur	(2)	(M)	107. शाहजहाँपुर / Sha		(U)	
~			जिला – सीतापुर/DIS	STT SITAPUR	4.0	
93. बर्रा–कानपुर / Barra-Kanpur	(M) 108. सीतापुर / Sitapur			(U)		
	जिला – लखनऊ / DISTT LUCKNOW (6)			DISTT SAHARANPUR		
94. त्रिलोक नाथ रोड, लखनऊ		(M)	109. सहारनपुर / Sahai		(U)	
Triloki Nath Road, Lucknov					(011)	
	95. महानगर, लखनऊ / Mahangar, Lucknow (M) 110. नजीबाबाद / Nazibabad 96. आशियाना, लखनऊ / Ashiana, Lucknow (M) 111. बिजनौर / Bijnore				(SU)	
97. नादान महल मार्ग, लखनऊ	or area unit areas		(SU)			
Nadan Mahal Road Lucknow				(2) (U)		
98. गोमती नगर, लखनऊ / Gomti Nagar, Lucknow (M)				(U)		
99. आईआईएम रोड, लखनऊ						
IIM Road, Lucknow		(M)	114.ग्रेटर नोएडा / GREATER NOIDA (U)			
हरियाणा / HARYANA		(5)	जिला–अम्बाला / DIS			
		(0)	118. अम्बाला / Ambala (U)			
जिला–गुड़गाँव/DISTTGURGA	AON	4.0	जिला-करनाल / DIST		71.1N	
115. गुड़गाँव / Gurgaon जिला–पानीपत / DISTTPANIPA	\T	(U)	119. करनाल / Karna राजस्थान / RAJASTH		(U) (2)	
116. पानीपत / Panipat	A)	(U)	•		(-)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	116. पानीपत / Panipat (U) <mark>जिला—जयपुर / DISTTJAIPUR</mark> <mark>जिला—फरीदाबाद / DISTTFARIDABAD</mark> 120. जयपुर / Jaipur		(M)			
117. फरीदाबाद / Faridabad		(U)	121. जयपुर, कोटपुतली / Jaipur, Kotputli (SU)			
Key : M = Metropolitan [∓]	हानगरीय केन्द, U = Urba	an Centre शहरी	ा न्द्र, SU = Semi Urban अर्द्धशहरी	केन्द्र, R = Rural Centre ग्रामीप	ग केन्द्र	
शाखाओं की संख्या विभिन्न केन्त्र	हों पर ∕ No.of Bran	ches at va	us Centers :			
1. महानगरीय केन्द्र	1. महानगरीय केन्द्र 2. शहरी केन्द्र		3. अर्द्धशहरी केन्द्र 4. ग्रामीण		ामीण केन्द्र	
Metro	Urban		Semi Urban Ru		Rural	
24	29		39 29			
क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offi				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
1. दिल्ली / Delh	i	२. हल्द्वा	/ Haldwani	3. देहरादून ∕ Dehra	dun	
COMPANY SECRETARY :	Vivek Sah, Co	ompany S	retary			
STATUTORY AUDITORS	•		•	countants Dalhi		
STATUTORT AUDITORS	ivi/s. vijay iviu	resii & C	iipaiiy, Gilaiteleu At	Doumants, Denn.		

92nd Annual General Meeting



Assocham Social Banking Excellence Awards 2014







NITALBANK





OWN A CAR



सुहाना सफर कार लोन

सबके लिए सुविधा.. बैंकिंग आसान...

फसली ऋण एवं सभी कृषि कार्यों के लिए आसान शर्तों पर ऋण

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लोन्स, धान मिल एवं सीड्स प्लांट के लिए ऋण

नैनी व्यापार सुविधा - व्यापारियों के लिए ऋण

नैनी गोल्ड सेविंग एकाउंट - सेविंग एकाउंट पर एफ.डी. का ब्याज, अधिकतम आमदनी

सं हवं वर्सिंग होत को लिए ऋष

जीवन बीमा
 मेडिकल बीमा
 पैन कार्ड सेवा
 ई-स्टाम्प बिक्री (उत्तराखण्ड में)

Card Facility

Bankina

Mobile

Banking

प्रधानमंत्री जन-धन योजना में सिक्रय भागीदार

Regd. Office: G.B. Pant Road, Nainital-263001, U.K. | Ph.: 05942-236195, 236138 | www.nainitalbank.co.in



Regd Off.: G.B. Pant Road, Nainital - 263001 (Uttarakhand)

H.O.: Naini Bank House, 7 Oaks, Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand)

Phone: 05942 - 236 138/195, Fax: 05942 - 236 120

email: accounts@nainitalbank.co.in Website: www.nainitalbank.co.in CIN NO.:U 65923UR 1922 PLC 000234